पंचम माला, खंड 63, अंक 4, शुक्रवार, 13 अगस्त, 1976/22 श्रावण, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXIII, No. 4, Friday, August 13, 1976/Sravana 22, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[17वां सत्र
Seventeenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 63 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speaches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/ CONTENTS

अंक 4, शुक्रवार, 13 अगस्त, 1976/22 श्रावण, 1898 (शक)

No. 4, Friday, August 13, 1976/Sravana 22, 1898 (Saka)

विषय	UBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 61, 62, 71, 64, 66 से 70 और 72	Starred Questions Nos. 61, 62, 71, 64, 66 to 70 and 72	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 63, 65, 73 और 75 से 80	Starred Questions Nos. 63, 65, 73, and 75 to 80	19—24
अतारांकित प्रश्न संख्या 459 से 471, 473 से 494, 496 से 526, 528 से 551, 553 से 556, 558 से 563, 565, 566, 568 से. 589, 591, 593 से 603 और 605 से 642	Unstarred Questions Nos. 459 to 471, 473 to 494, 496 to 526, 528 to 551, 553 to 556, 558 to 563, 565, 566, 568 to 589, 591, 593 to 603 and 605 to 642	24—124
अतारांकित प्रश्न संख्या 3885 दिनांक 14-5-1976 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement correcting Answer to USQ 3885 dated 14-5-76	124—125
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	126—130
सभा का कार्य	Business of the House ..	130—131
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee	
62वां प्रतिवेदन	Sixty Second Report	131
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1976-77 विवरण प्रस्तुत किया गया	Supplementary Demands for Grants (General) (1976-77) Statement presented	132
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills Introduced—	
(1) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक,	(*i*) Representation of the people (Amendment) Bill ..	132
(2) भारत के आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक	(*ii*) Contingency Fund of India (Amendment) Bill	132

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1976 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution *Re.* Dis-approval of Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, 1976	
और	and	
आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (दूसरा संशोधन) विधेयक—	Maintenance of Internal Security (Second Amendment) Bill	133—146
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh ..	133
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ..	134—136
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar ..	136
श्री राम भगत पासवान	Shri Ram Bhagat Paswan	136—137
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve ..	137—139
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	139—140
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shailani	140—141
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	141
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma	141
श्री पी० गंगा रेड्डी	Shri P. Ganga Reddy	141—142
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao ..	142—143
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	143
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	143
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy ..	143—144
श्री राम चन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal ..	144—145
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya ..	145—146
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Member Bills and Resolutions Sixtyfifth Report	146
65वां प्रतिवेदन		
संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 75 का संशोधन) श्री विभूति मिश्र द्वारा— वापस ले लिया गया।	Constitution (Amendment) Bill— *Withdrawn* (Amendment of Article 75 by Shri Bibhuti Mishra) ..	146
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider —	
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	146—147
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ..	147
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga ..	147—148
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	148
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	148
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	148—149

विषय	पृष्ठ
श्री डी० एन० तिवारी	
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	
श्री के० एम० मधुकर	
डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद	
श्री विभूति मिश्र	
कम्पनी संशोधन विधेयक—	
(नई धारा 224क 224ख और 224ग का अन्तःस्थापन) श्री चिन्तामणि पाणिग्रही द्वारा	
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	
श्री रानेन सेन	
श्री मूलचन्द डागा	

SUBJECT	PAGE
Shri D. N. Tiwary	149
Shri N. K. P. Salve ..	149—150
Shri K. M. Madhukar ..	150
Dr. V. A. Seyid Muhammad ..	151—152
Shri Bibhuti Mishra	152—153
Companies (Amendment) Bill—	153—156
Insertion of new sections 224A, 224B and 224C by Shri Chintamani Panigrahi	153—155
Shri Chintamani Panigrahi	155
Shri Ranen Sen	155—156
Shri M. C. Daga	156

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 13 अगस्त, 1976/22 श्रावण, 1898 (शक)
Friday, August 13, 1976/Sravana 22, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

निर्यात में चीनी का भाग

*61. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि

(क) क्या वर्ष 1975-76 में हमारे निर्यात व्यापार में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल निर्यात में चीनी के निर्यात का हिस्सा कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) 1975-76 के दौरान 11.98 प्रतिशत।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : इतने अच्छे निर्यात कार्य के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। क्या इस वर्ष भी निर्यात की यह प्रवृति जारी रहेगी और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : गत वर्ष हमारे चीनी के निर्यात ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। लगभग 47.97 लाख टन का उत्पादन हुआ। 8.78 लाख टन हमारे पास पिछले साल से शेष थी। इस तरह 56.75 लाख टन चीनी हमारे पास उपलब्ध थी;

34.57 लाख टन की घरेलू खपत हुई, शेष निर्यात और अगले वर्ष के लिए थी। इस वर्ष उत्पादन कुछ कम होगा। घरेलू मांग और उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही हम निर्यात लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : कठिन प्रयासों के बाद हमने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तैयार किया है। यदि हम एक साथ निर्यात करते हैं और दूसरे साल कम निर्यात करते तो क्या इससे हम उस बाजार को खो नहीं बैठेंगे? इसका क्या उपाय है? उत्पादन गिरने के क्या कारण हैं जबकि वर्षा अच्छी हुई है, खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और ऋण सुविधाएं भी प्राप्त हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमारे पास दो बाजार हैं--आन्तरिक और विदेशी। हमें दोनों बाजारों की वास्तविक मांग का ध्यान रखना होता है विशेषकर घरेलू बाजार का। मैं इस बात को मानता हूं कि हम उस विदेशी बाजार को बनाए रखें जो हमने पिछले दो वर्षों में बनाया है। पर यह उद्देश्य हमारी घरेलू मांग के अनुरूप होना चाहिए हम यह सहन नहीं कर सकते कि चीनी जैसी आवश्यक वस्त का मूल्य देशी बाजार में इतना बढ़ जाये कि साधारण आदमी उसे खरीद ही न सके। चीनी, खण्डसारी और गुड़ का कुल मिलाकर उत्पादन गिरा है। चीनी के उत्पादन में कुछ गिरावट आई है। सभी कारणों को ध्यान में रखकर उत्पादन में सन्तुलन लाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सही है कि हमें चीनी का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मूल्य से कम मिल रहा है?

प्रो० डी पी० चट्टोपाध्याय : यह सच नहीं है। हमें चीनी का वही मूल्य मिल रहा है जो अन्य निर्यातक ले रहे हैं। पिछले वर्ष चीनी का औसत मूल्य 3,900 रु० प्रति मीटरी टन रहा। यह मूल्य अन्य निर्यातक देशों के मूल्य की तुलना में अधिक है।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय : क्या माननीय मंत्री इस तथ्य पर प्रकाश डालेंगे कि देश में चीनी की खपत पिछले वर्ष 37 लाख टन रही जबकि इस वर्ष केवल 34.76 लाख टन की खपत हुई है। पर फिर भी निर्यात सम्बन्धी सौदे पूरे नहीं किये गये।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमें देशी बाजार की मांग का ध्यान रखना पड़ता है और यह भी देखना होता है कि इस की कमी न हो या कीमत न बढे। हम देशी उपभोक्ता की कीमत पर इसका निर्यात करना पसंद नहीं करते। उत्पादन स्तर को ध्यान में रखकर हमारा निर्यात उसके अनुरूप ही हुआ है। उसमें कोई अनौचित्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री इन्द्रजीत गुप्ता।

श्री समर मुखर्जी : महोदय आप प्रश्न सं० 71 ले सकते हैं, जोकि उसी विषय पर है। शायद प्रश्न सं० 79 भी लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह सभी एक साथ लिए जा सकते हैं। पर बात यह है कि आप वही बात दोहरायेंगे जो आपने कल कहीं हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : महोदय मुझे भी यही डर है।

कच्चे पटसन के लिये समर्थन मूल्य

*62 **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चालू मौसम में कच्चे पटसन के लिये 135 रुपये प्रति क्विन्टल का समर्थन मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने 180 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की है ;

(ग) क्या भारतीय पटसन निगम का क्रय लक्ष्य इस वर्ष केवल 8 लाख गांठें निर्धारित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो शेष फसल के लिये कोई न्यूनतम मूल्य कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) चालू मौसम में कच्चे पटसन के लिये कानूनी न्यूनतम कीमत कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद निर्धारित की गई थी।

(ख) कच्चे पटसन की कानूनी न्यूनतम कीमत में वृद्धि के लिये अभ्यावेदन किये गये हैं।

(ग) तथा (घ) भारतीय पटसन निगम के बोर्ड ने 1976-77 के लिये 8 लाख गांठों की खरीद सम्बन्धी एक योजना पर 31-5-1976 को फैसला किया। तथापि, भारतीय पटसन निगम को सलाह दी गई है कि वह अपनी खरीद की योजना को 8 लाख गांठों से आगे बढ़ाये, ताकि उपजकर्ताओं को कम से कम कानूनी न्यूनतम कीमत मिलना सुनिश्चित हो सके।

पश्चिम बंगाल में पटसन मिल मालिकों द्वारा उत्पादन में कमी

*71. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में पटसन मिल मालिकों को पटसन के उत्पादन में जितनी कमी करने की अनुमति दी गई थी उससे भी अधिक कमी कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पटसन मिल मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) : कालीन अस्तर तथा हैसियन से सम्बन्धित उत्पादन विनियम में उत्पादन के अधिकतम अनुमेय स्तर की ही व्यवस्था थी। कालीन अस्तर तथा हैसियन से सम्बन्धित उक्त उत्पादन विनियम को 14 जुलाई, 1976 से वापिस लिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 79 नहीं लिया जा सकता क्योंकि जिन सदस्यों ने इस की सूचना दी है वे अनुपस्थित हैं। इस लिए इस का उत्तर देना जरूरी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि चालू मौसम के लिए समर्थन मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया गया है। मैं यह जानना

चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि इस आयोग ने 140 रु० के समर्थन मूल्य की सिफारिश की थी न कि 135 रु० की ? यदि हाँ, तो सरकार ने 5 रु० कम क्यों किये ?

दूसरी बात यह है कि जूट के उत्पादन में जूट उत्पादन की जो लागत आती है क्या उस का हिसाब लगाया गया है ? क्या सच नहीं है कि इस की इस समय उत्पादन लागत 60 रु० प्रति मन बैठती है जबकि 135 रु० मूल्य के हिसाब से यह 54 रु० प्रति मन बैठती है। और यदि हाँ, तो जूट उत्पादकों को कोई सीमान्त मुनाफा देने का विचार है या नहीं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : कृषि मूल्य आयोग ने 135 रु० प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य इन आधारों पर निश्चित किया (1) देश में कच्चे पटसन की उत्पादन प्रवृति और उसका मूल्य, (2) वह भूमि जिनमें जूट की खेती की जाती है, (3) कच्चे पटसन की उत्पादन लागत संबंधी उपलब्ध आंकड़े, (4) धान जैसी प्रतियोगी फसल की कीमतों का स्तर, (5) पटसन की खेती के लिए, प्रोत्साहन देने की तथा धान की घरेलू कीमत तथा पटसन की कीमत में समता बनाए रखने की आवश्यकता तथा प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए पटसन उत्पादक को मदद देने की जरूरत, (6) पटसन निर्माताओं द्वारा अपने मूल्य में निर्यात बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कच्चे पटसन का मूल्य शामिल करने की सम्भावना और (7) पटसन अर्थ व्यवस्था का आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय पहलू।

जहाँ तक लागत मूल्य का हिसाब लगाने का प्रश्न है, इस बारे में अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकारों ने जो आंकड़े भेजे हैं उनसे पता चलता है कि उड़ीसा में 1973-74 में प्रति क्विन्टल उत्पादन लागत 77.13 रु० रही और पश्चिम बंगाल में 103.43 रु०। स्पष्ट है कि तब से कुछ उपकरणों की कीमतें बढ़ गई हैं पर इस वर्ष 71.6 लाख गांठों का उत्पादन होने की आशा है और पिछला शेष 8 लाख गांठें हैं। इस लिए इस वर्ष फसल अधिक होने के कारण समर्थन मूल्य बनाए रखने की समस्या हमारे सामने होगी जिससे कि पटसन की कीमत उससे भी अधिक न गिरे। अतः इसका मूल्य चाहे हम 135 रु० निर्धारित करें या 140 रु० मुख्य प्रश्न तो क्रय प्रक्रिया का इस प्रकार विस्तार करने का है कि मूल्य निर्धारित स्तर से नीचे न आये। अतः सरकार ने सोचा कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर हमें अपनी क्रय प्रक्रिया इस प्रकार की बनानी चाहिए कि उत्पादन को नुक्सान न हो तथा न्यूनतम मूल्य बना रहे । इस वर्ष मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न गिरने देने के लिए प्रयास जारी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस विस्तृत उत्तर की मैं सराहना करता हूं पर उत्पादन लागत सम्बन्धी पहलू के बारे में मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। किन्तु इस पर प्रश्न काल में विचार नहीं हो सकता । मेरा दूसरा प्रश्न यह है। इस वर्ष इस बात की भारी आशंका है कि अच्छी फसल होने तथा मिलों में उत्पादन कम होने के कारण कीमतें गिर सकती हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि जब रूई के मामले में एकाधिकार वसूली प्रक्रिया अपनाई जा सकती है तो कच्चे पटसन के मामले में क्यों नहीं अपनाई जा सकती और सरकार इस पर गम्भीरता से विचार क्यों नहीं करती ? क्या आधारभूत सुविधाएं प्राप्त न होने के कारण ऐसा है या सरकार की नीति ही यही है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : सम्भवतः माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं है कि कपास की एकाधिकारी खरीद एक भिन्न प्रकार की क्रिया है। महाराष्ट्र सरकार के अन्तर्गत सहकारी महासंघ कार्य करते हैं और वहां भी इस सहकारी एकाधिकारी खरीद के परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप तथा गरीब किसानों को जो कठिनाइयां महसूस हुई, महाराष्ट्र में कपास उत्पादन गिरा और यह गिरावट गत दो वर्षों में लगभग 35 से 40 प्रतिशत की रही। यह एक भिन्न प्रकार की क्रिया है। यह केन्द्रीय सरकार की क्रिया नहीं है। यदि पश्चिम बंगाल सरकार अथवा कोई अन्य राज्य सरकार चाहे वह आसाम या बिहार हो, भारतीय जूट निगम की क्रियाओं के अनुरूप इस प्रकार का कार्य करता है तो हम बहुत प्रसन्न होंगे। राज्य संगठनों तथा केन्द्रीय संगठन की क्रय नीति तथा मूल्य नीति में तालमेल होना चाहिए, किन्तु जहां तक समग्र दृष्टिकोण का सम्बन्ध है महाराष्ट्र का हमारा अनुभव बहुत संतोषप्रद नहीं रहा है और वहां उत्पादन घटा है।

दूसरी बात का जहां तक सम्बन्ध है मैं यह कहूंगा कि भारतीय जूट निगम की क्रियाओं के कारण तथा अन्य सरकारी नीतियों के कारण गत वर्ष कच्चे पटसन का मूल्य पिछले समय के सभी मूल्यों से अधिक रहा है और यही कारण है कि इस वर्ष हमारा पटसन का अधिक उत्पादन हुआ है।

श्री समर मुखर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या जूट मिल मालिकों को उत्पादन में जितनी कटौती करने की अनुमति दी गई है उन्होंने उससे अधिक कटौती कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें कितनी अनुमति दी गई थी और क्या सरकार को मालूम है कि उन्हें जितनी कटौती स्वीकृत की गई थी उन्होंने उससे भी अधिक कटौती की है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : उत्पादन में 22 प्रतिशत कटौती की अनुमति दी गई थी और अधिक कटौती की अनुमति नहीं दी गई थी। यदि किसी एकक ने इस सीमा से अधिक कटौती की है तो हम उसकी जांच कर सकते हैं किन्तु हमारे पास ऐसी कोई खास शिकायतें नहीं की गई हैं।

श्री समर मुखर्जी : क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में जूट मिलें बन्द हो गई हैं तथा और भी मिलें बन्द होने वाली हैं और कर्मचारी यह धमकी दे रहे हैं कि उत्पादन में और कटौती होगी क्योंकि कल ही मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है कि विदेशी बाजार में मांग 57,000 टन से गिर कर 27,000 टन रह गई है। प्रतिशत में यह 22 प्रतिशत से भी अधिक है। यदि उत्पादन केवल विदेशी बाजार में मांग पर ही निर्भर करता है तो आपने किस आधार पर 22 प्रतिशत कटौती की अनुमति दी है? जब कर्मचारी यह धमकी दे रहे हैं कि और भी मिलें बन्द होने जा रही हैं तथा उत्पादन में और भी कटौती होने जा रही है तो सरकार इसका तालमेल कैसे बिठाने की सोच रही है। क्योंकि इसका प्रभाव उन हजारों मजदूरों पर पड़ेगा जो बेरोजगार हो जायेंगे।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने इस समस्या का कल अपने ढंग से विस्तार से वर्णन किया है। यह उद्योग बहुत हद तक विदेशी बाजार तथा विदेशी मांग पर निर्भर करता है। चूंकि विदेशी बाजार बहुत ही गिर गया है, अतः स्थिति के सुधार के लिए हम बहुत अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं। किन्तु जिस सीमा तक जो भी सम्भव हो सकता है हमने किया

है। वास्तव में, इस्टर्न मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी, कमाहाटी, नार्थ ब्रूक और कटनारा, ये चार मिलें जो बन्द हो गई थीं, मेरे व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने तथा केन्द्रीय श्रम मंत्री श्री रेड्डी तथा राज्य श्रम मंत्री श्री नाग के हस्तक्षेप करने के कारण फिर खुल गई हैं। कल मुझे सूचना मिली है कि बारानगर मिल भी खुल गई है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम हमेशा यह प्रयत्न करते रहे हैं कि अधिकाधिक मिलें फिर से खुलें किन्तु औद्योगिक विवाद भी हैं जिनसे काम बन्द हो जाता है। उनके कारण हम यहां से न तो ठीक-ठीक ही बता सकते हैं और न उन कारणों को दूर ही कर सकते हैं। हम राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुये हैं कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक मिलें खुले और मजदूरों की कठिनाइयां कम हों।

SHRI MOHAMMAD ISMAIL : My question, which is quite simple and direct, is that it has been stated by you that production should be cut and employers have accepted it and as a result of that thousands of workers have been retrenched. This is correct but I would like to know whether there is production even below that cut and if so which are those mills that are having production less than the production cut. You, must be having this information.

MR. SPEAKER : He does not have that information.

SHRI MOHAMMAD ISMAIL : If he is not having this information then we should have it. I mean to say that there are some such mills as are not making the requisite production with the result that the workers have been retrenched and further low production is leading to further retrenchment. Who will look into it whether it is to be looked into by us or by them ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न आप वही दोहरा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उन्होंने क्या जबाब दिया है? उन्होंने टाल दिया है।

SHRI MOHAMMAD ISMAIL : My question has not been replied to.

MR. SPEAKER : He has replied. The reply given to the question of Shri Samar Mukherjee contains reply to your question also.

इस विषय पर कल एक घंटे से भी अधिक समय तक चर्चा हुई थी और वही फिर दोहराया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न--श्रीमती भार्गवी तनकप्पन।

वे यहां नहीं हैं।

श्रीमती रोजा देशपांडे--वे भी यहां नहीं हैं।

श्री राम सहाय पांडे।

नेपाल के साथ व्यापार समझौता

*64. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे**
श्री राम सहाय पाण्डे } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या नेपाल के वाणिज्य तथा उद्योग सचिव के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय अधिकारियों के साथ नेपाल के साथ नये व्यापार समझौते के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बातचीत पूरी नहीं हुई और शीघ्र ही काठमाण्डू में पुनः शुरू होने की आशा है।

श्री राम सहाय पाण्डे : भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल से 22 जून से 3 जुलाई तक विचार-विमर्श किया। क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त बातचीत में दोनों दलों ने कुछ कठिनाइयां प्रकट कीं, यदि हां तो 1971 में किए गए समझौते के बारे में, जो 1976 में समाप्त होने जा रहा है, क्या कठिनाइयां हैं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चूंकि बातचीत अभी निर्णायक दौर में नहीं पहुंची हैं और अगली बैठक 29 अगस्त, 1976 को काठमाण्डू में होने जा रही है तो हमारी पिछली बातचीत में जो कोई कठिनाईयां महसूस हुई हैं उन के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है और इससे भी कोई बात नहीं बनेगी जबकि अगली बैठक इतनी जल्दी होने वाली है।

श्री राम सहाय पाण्डे : खड़े हुए।

श्री एस० एम० बनर्जी : पाण्डे जी यह बड़ा नाजुक मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आप श्री बनर्जी से सहायता लीजिए।

श्री राम सहाय पाण्डे : जहां तक निर्यात और आयात का संबंध है भारत और नेपाल के बीच व्यापार की मात्रा क्या है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वर्ष 1973-74 में भारत से नेपाल को 2889 लाख रुपए का माल निर्यात किया गया। नेपाल से 1299 लाख रुपए का माल आयात किया गया और भारत के पक्ष में 1590 लाख रुपए का व्यापार संतुलन रहा। 1974-75 में 4240 लाख रुपए का माल निर्यात किया गया और नेपाल से 1930 लाख रुपए का आयात किया गया और भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन 2310 लाख रुपए का रहा।

अध्यक्ष महोदय : और अधिक प्रश्न न कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री चन्द्र शेखर सिंह—यहां नहीं हैं।

श्री चन्द्र गौडा।

तस्करी रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

*66. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या विदेशों से भारत में तस्करी विशेषकर अफीम की तस्करी को पूर्णरूप से रोकने के लिए सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत-पाकिस्तान और भारत-नेपाल सीमा पर देखने में आए कुछ छुट-पुट मामलों

को छोड़कर विदेशों से भारत में अफीम का तस्कर आयात बहुत कम है। तथापि, सरकार स्थिति के प्रति सतर्क है और उसने इस बारे में विभिन्न उपाय किए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत, औषधि दुरुपयोग नियंत्रण और उसके अवैध व्यापार का समाप्त करने के क्षेत्र में हुए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और करारों में एक संविदाकारी पक्ष है। भारतीय प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र नार्कोटिक्स औषधि आयोग, इंटरपोल तथा सीमासुरक्षा शुल्क सहयोग परिषद् द्वारा आयोजित बैठकों में भी नियमित रूप से भाग लेते हैं जहां अवैध व्यापार के क्षेत्र में, विशेषकर औषधि के क्षेत्र में, सरकारों के बीच अधिकाधिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जाता है।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : मंत्री महोदय ने भारत में इस सम्बन्ध में जो कदम उठाए हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अफीम की तस्करी के मामले में एयर इंडिया के लगभग 13 कर्मचारियों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी हाथ है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारत सरकार किस तरह इन अन्तर्राष्ट्रीय तस्करी विरोधी गतिविधियों का समन्वय करती है? भारत सरकार का इंटरपोल और सीमा शुल्क सहयोग परिषद् के साथ किस तरह का सम्बन्ध है तथा इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कितने भारतीय कार्य कर रहे हैं? क्या भारत सरकार इन संगठनों के कार्य करने के तरीके से खुश और संतुष्ट है?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों के साथ सहयोग के संबंध में मैंने अपने उत्तर में बता दिया है कि हमारा इन संगठनों में प्रतिनिधित्व है। इस बात को स्वीकार किया गया है कि अफीम के उत्पादन और सरकारी नियंत्रण में उसकी उपयोगिता के बारे में उठाए गए कदमों की सराहना संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी की है। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित घटनाओं के बारे में मैंने उन्हें बताया है कि कुछ छुट-पुट घटनाएं हुई हैं। परन्तु मैं बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि ईरान तथा कुछ अन्य देशों को छोड़कर भारत ही कानून अफीम उत्पादक देश है। हम अफीम का सबसे अधिक उत्पादन और निर्यात करते हैं। परन्तु "हशीश" और गांजा के रूप में अफीम उत्पाद कुछ हद तक देश में आ रहे हैं और जब इस तरह की घटनाओं की ओर हमारा ध्यान जाता है, तो हम समुचित कदम उठाते हैं। परन्तु औषधि नियंत्रण और औषधि के दुरुपयोग को रोकने के संबंध में हमने पहले ही कड़े कदम उठाए हैं और उठाए जा रहे हैं।

श्री डी० बी चन्द्र गौडा : यह अच्छी बात है कि मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान और नेपाल से होकर अफीम की कुछ तस्करी होती है। पाकिस्तान और नेपाल के साथ अच्छे संबंधों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने अफीम की तस्करी की बुराई समाप्त करने के लिये कोई समझौता करने हेतु इन देशों के साथ समन्वय कार्य के लिए कोई बातचीत की है?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : नेपाल के साथ चर्चा होने के समय यह कार्य किया जाएगा जिसके बारे में वाणिज्य मंत्री ने पहले ही इस सभा में बता दिया है। हमारा उसमें प्रतिनिधित्व होगा। इन देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग के महत्वपूर्ण मामले पर समुचित विचार किया जाएगा। यह सत्य है कि कुछ हद तक गांजा नेपाल से आ रहा है। हमने 'हशीश' और गांजा आदि का प्रयोग सीमित कर दिया है। यह सही है कि हमने इस प्रकार की

चीजों का प्रयोग कम कर दिया है, जिसके फलस्वरूप भारत नेपाल सीमा से होकर कुछ अवैध व्यापार चल रहा है। परन्तु हम इस सम्बन्ध में चौकस हैं और आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय ने यह बताया है कि हमारा ही देश ऐसा है जो अफीम का कानूनन उत्पादन कर रहा है। अतः क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्रालय स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रयोजन से आवश्यक सीमित मात्रा को छोड़कर इस धंधे को बन्द करने तथा इंडियन अलकालायड्स लिमिटिड को, जो 100 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करने वाली एक सरकारी संस्था है, बंद करने की दिशा में सोच रहा है? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तस्करी, अफीम और अलकालायड्स के विदेशों में निर्यात के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय राय हमारे खिलाफ है, क्या आप इसके उत्पादन पर रोक लगाने की बात पर विचार कर रहे हैं?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय राय हमारे खिलाफ है। इस के विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय राय भारत के पक्ष में है, क्योंकि यह इस पर कड़ाई के साथ नियंत्रण कर रहा है। उसकी उपयोगिता के बारे में और तैयार माल रखने के सम्बन्ध में पहले ही गाजीपुर में इसकी व्यवस्था है और नीमच के नवीनतम कारखाने में भी उत्पादन हो रहा है।

समुद्री तटों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास

*67. **श्री एन० आर० बेकारिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत में किन-किन समुद्री तटों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास किया गया है ;

(ख) क्या गुजरात राज्य में पर्यटक केन्द्रों के रूप में समुद्री तटों का विकास करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) त्रिवेन्द्रम के निकट कोवालम का एक समुद्रतटीय विहार-स्थल के रूप में विकास किया जा रहा है। केन्द्रीय क्षेत्र में गोवा में समुद्रतटीय पर्यटन का विकास करने का भी प्रस्ताव है तथा महाबलीपुरम में भी कुछ सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में गुजरात में समुद्र तटों का विकास करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बेकारिया : महोदय, मेरे प्रश्न के (ख) भाग के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कहा है कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है। यदि भेजा है तो इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : समुद्रतटीय विहार-स्थल की योजना भारत में न शुरू करने का कारण स्पष्ट ही है। इसका कारण यह है कि हमारे पास पहले ही एक या दो बड़ी परियोजनाएं हैं और हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं। यह एक नया प्रयोग है जिसे हमने शुरू किया है। जब तक हम इस बात से संतुष्ट न हों कि प्रयोग सफल है, तब तक हम और कोई योजना शुरू नहीं कर सकते।

श्री वेकारिया : महोदय, प्रत्येक वर्ष हमारे देश में विदेशी पर्यटक काफी संख्या में आते हैं और अधिकांश पर्यटक किसी अन्य स्थान में जाने की बजाय समुद्र तट पर जाना अधिक पसन्द करते हैं। अतः इन बातों को देखते हुए और अधिक समुद्र तटीय पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के लिए मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में अथवा अगली पंचवर्षीय योजना में अधिक समुद्र तटीय पर्यटन केन्द्र विकसित करने या अगले बजट में धनराशि का प्रावधान करने का है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : कोवालम समुद्रतट है। केन्द्रीय योजना में महाबलीपुरम और गोवा विकास के लिए हैं। यह सब इस बात पर निर्भर है कि यह परीक्षण कहां तक सफल होता है। यदि यह परीक्षण सफल होता है, यदि यह योजना लाभप्रद या लोकप्रिय होती है और यदि योजनाओं की सफलता का समुचित मूल्यांकन हो जाता है, तो निस्सन्देह हम और अधिक परियोजनाओं का विकास करेंगें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में पूर्वी भारत में किसी समुद्रीतट के बारे में उल्लेख नहीं किया है। मैं यहां पश्चिम बंगाल में दीगा समुद्र-तट का उल्लेख करना चाहता हूं। हाल ही में परसों के हिन्दुस्तान स्ट्रैण्डर्ड समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसमें लिखा था कि इसकी हालत बहुत खराब है। पश्चिम बंगाल सरकार के पास इस समुद्र-तट के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त धन नहीं है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनके मंत्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार से दीगा समुद्र तट के लिए धनराशि मंजूरी करने हेतु कोई पत्र मिला है और क्या सरकार के पास इसे हाथ में लेने तथा इसका विकास करने और इसे केन्द्रीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : पश्चिम बंगाल सरकार ने इस समुद्र तट का विकास किया है। संभव है कि धनराशि की कमी के कारण वह इसका पूर्णतया विकास न कर सकी हो। परन्तु हमें पश्चिम बंगाल सरकार से उनकी मदद के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। परन्तु सामान्यतया केवल यही समुद्र-तट नहीं है, इसके अतिरिक्त भारत के सभी तटों पर अनेक समुद्र-तट अन्य तटों की भांति अच्छे और सुन्दर हैं।

यथासंभव हम उनका विकास करेंगें, परन्तु हमारे साथ कठिनाई यह है कि हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं और हमें इसके लिए यहां वहां से कटौती करनी पड़ेगी। यदि वर्तमान योजनाएं सफल हो जाती हैं, तो धन उपलब्ध होने पर निस्सन्देह हम कुछ और योजनाएं अपने हाथ में लेंगें।

श्रीमती माया राय : क्या माननीय मंत्री कृपया हमें बतायेंगे कि क्या उन्हें उड़ीसा में 'पुरी' नाम से पुकारे जाने वाले समुद्रतट की जानकारी है जिसका रख-रखाव अच्छी तरह किया जा सकता है? केन्द्र मे बहुत कम धन की आवश्यकता होगी। यदि राज्य सहायता प्रदान

की जाएगी तो उसे और अधिक सुन्दर बनाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि पूर्वी क्षेत्र में यह बड़ा प्रसिद्ध समुद्र-तट है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जी, हां। यह सर्वविदित और महत्वपूर्ण समुद्र-तट है। मैंने अपनी असमर्थता और कठिनाई पहले ही व्यक्त कर दी है कि सभी समुद्रतटों पर काम शुरू करने के लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि नहीं है।

एक स्कूटर निर्माता फर्म पर मारे गये छापे में पकड़ी गई धनराशि

*68. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्कूटर निर्माता फर्म की मई 1976 में ली गई तलाशी में, वहां से 52.50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या उसकी धनराशि, दस्तावेजों और जेवरात की सही-सही जानकारी प्राप्त करने के लिए 44 बैंक लाकर खोले गए हैं, और उस कम्पनी का क्या नाम है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुकर्जी) : (क) से (ग) आयकर प्राधिकारियों ने बजाज समूह के मामलों में तलाशियां ली थीं तथा अभिग्रहण की कार्यवाही की थी, उनमें 58.69 लाख रुपयों से अधिक की परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं। जिन कम्पनियों, व्यक्तियों तथा अन्य लोगों के यहां तलाशियां ली गई उनके नाम तथा अभिग्रहण के ब्यौरे सदन पटल पर रख गए विवरण-पत्र में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11061/76**] इस समूह की कम्पनियों में से एक अर्थात् बजाज आटो लिमिटेड बम्बई स्कूटर बनाती है।

जिन 42 लाकरों की तलाशी ली गई उनमें 56,500 रु० नकदी, 6,16,074 रु० के जेवर जवाहरात और 1,19,900 रु० की सावधि जमा रसीदें या प्रामिसरी नोट पकड़े गए हैं। इन का मूल्य अभिग्रहण के कुल 58.69 लाख रु० मूल्य में शामिल है। बाकी के दो लाकर अभी खोलकर देखे जाने हैं।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान 27 मई, 1976 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है जिसमें यह कहा गया है कि :—

"छापे मारने वाल दलों को भारी मात्रा में सन्देहास्पद लेखा पुस्तिकाएं तथा अन्य दस्तावेज मिले हैं और उनकी जांच की जा रही है। इन पकड़े गए दस्तावजों में अनेक ऐसे खाली चैक हैं जिन पर अनेक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और यह चैक इन के नाम पर प्राथमिकता के आधार पर स्कूटरों के आबंटन के लिए हैं, अनेक वर्षों में खरीदे गए बिना भरे हुए टिकट भी मिले हैं, तथा एक कम्पनी के डायरैक्टर की एक निजी डायरी भी मिली है जिसमें बैंक लाकरों आदि के बारे में सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया गया है।

पकड़े गए कागजातों में से एक में निर्यात आदेश लाने के लिए एक पार्टी को 1,25,000 रुपए कमीशन के रूप में दिए गए दर्शाए गये हैं। यह भी बताया गया है कि यह पार्टी कर नहीं

देती है तथा निर्यात आदेश प्राप्त करने के लिए उसने कोई सेवा भी नहीं की है। जिन दस्तावेजों की अब तक जांच की जा चुकी है उनसे भारी धनराशि पर कर अपवंचन का संकेत मिलता है।"

इस प्रकार की सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में बताई गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है तथा इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : महोदय, हमने इस समाचार को देखा है। हमने कुछ सन्देहास्पद दस्तावेज पकड़े हैं किन्तु आप इस बात को समझेंगे कि जांच करने में; कुछ समय लगता है। उनकी जांच अब भी की जा रही है। दो लाकरों को भी खोलना अभी शेष है क्योंकि इसका मालिक इस समय भारत में नहीं है। वह देश से बाहर है। जब तक वह लौट नहीं आते हम उनके लाकर नहीं खोल सकते। इन दस्तावेजों की जांच में भी कुछ समय लगेगा । जब इस मामले की जांच हो रही है तो ऐसी स्थिति में उसकी ब्यौरेवार चर्चा संभव नहीं होगी।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : महोदय, कानून के अनुसार, जिन व्यक्तियों के दस्तावेज पकड़े गए हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए 90 दिन की अवधि पर्याप्त होती है। क्या मैं जान सकता हूं कि इन लोगों के विरुद्ध अभी तक क्यों कार्यवाही नहीं की गई है। महोदय, इसके अतिरिक्त, 114 बोर्ड डायरैक्टरों तथा एग्जीक्यूटिवों में से केवल 63 व्यक्तियों के यहां तलाशियां ली गई हैं और अन्य लोगों को छोड़ दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है तथा क्या जिनकी सम्पत्ति इस प्रकार पकड़ी गई है क्या उसे सरकार आंसुका के अन्तर्गत जब्त कर लेगी?

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : महोदय, मैंने इस प्रश्न के उत्तर के साथ जो विवरण पत्र संलग्न किया है उससे यह पता चलता है कि 63 परिसरों की तलाशी ली गई और माननीय सदस्य इस बात को समझते हैं कि जब इस प्रकार के छापे मारे जाते हैं तो अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय तो लगता ही है। सम्पत्ति के जब्त के बारे में संसद ने एक कानून पारित किया है यह कानून इन मामलों पर लाग् नहीं होता है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मै मन्त्री महोदय तथा मंत्रालय को इस साहसिक कदम पर बधाई देता हूं और मैं यह जानना चाहता हूं कि इन 90 दिनों की अवधि को पूरा होने में अभी और कितने दिन शेष हैं ताकि इन लोगों के विरुद्ध शीघ्र ही कार्यवाही की जा सके।

श्री भागवत झा आजाद : सामान्य दिनों में तो 90 दिन की अवधि है किन्तु आपात्-कालीन स्थिति में यह अवधि कितनी है?

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : हां, आपात्स्थिति भी है। किन्तु कल्पना करो कि 90 दिन की अवधि पूरी करनी है तो अब कितने दिन शेष हैं? ताकि हम जान सकें कि इन फर्मों के विरुद्ध शीघ्र ही कार्यवाही की जा सकेगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अन्य बड़े व्यापारियों के यहां भी छापे मारेगी जिन्हें अब तक छोड़ा गया है।

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : जहां तक तलाशी और छापे मारने का संबंध है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जब हमें कर की चोरी के बारे में सूचना मिलती है, चाहे यह कोई छोटा घर हो अथवा बड़ा, हम उस पर अवश्य छापे मारते हैं।

समय के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि 90 दिनों के अन्दर हमें सारांश में जांच करनी होती है। किन्तु इस प्रकार के मामलों में 90 दिन की अवधि में ही जांच समाप्त नहीं की जा सकती है। इसमें उससे भी अधिक समय लगता है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : कितना समय लग जाता है?

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : यह बताना कठिन है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे बताने की स्थिति में नहीं है। हम क्या कर सकते हैं?

श्री भागवत झा आजाद : एक विशेष प्रश्न को बार-बार पूछा जा रहा है। 119 डायरैक्टरों में से केवल 63 के परिसरों की तलाशी ली गई है। शेष को क्यों छोड़ दिया गया है? क्या वह इतने बड़े, शक्तिशाली और सुदृढ़ हैं कि उनपर छापा नहीं मारा जा सकता? मामला क्या है?

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : मैं माननीय सदस्य को बता रहा हूं कि जहां भी हमें कोई सूचना मिलती है हम उस आधार पर छापे मारते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : यह सब बजाज कम्पनियों से संबंधित हैं।

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : प्राप्त सूचना के आधार पर हमने सभी व्यक्तियों के परिसरों पर छापे मारे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : पुनः वही उत्तर दिया जा रहा है।

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : महोदय यह बात नहीं है। मुझे खेद है मैं इसे पूरा नहीं कर सका। हमने प्राप्त सूचना के आधार पर सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की है।

श्री शमीम अहमद शमीन : हमें एक नया उत्तर चाहिए।

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : प्राप्त सूचना के आधार पर हमने सभी व्यक्तियों और परिसरों के सम्बन्ध में कार्यवाही की है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं माननीय मंत्री को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने बजाज ग्रुप को जाल में फंसा लिया है यह ग्रुप चुनावों में विभिन्न उम्मीदवारों को स्कूटर और धन देता रहता था। यह कहा गया है कि पकड़े गए दस्तावेजों की प्रथम दृष्टि में जांच से इस ग्रुप के व्यक्तियों द्वारा भारी करापवंचन का पता चलता है। दो और लाकर अभी खोले जाने हैं। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन पकड़े गए दस्तावेजों से अथवा जांच से यह पता चलता है कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध राय बरेली में चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार को 1,20,000 रुपए दिए गए थे। पहली बात मैं यह पूछना चाहता हूं। दूसरी मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी उम्मीदवार विशेष को स्कूटर दिए गए थे? क्या यह तथ्य है अथवा नहीं, क्या स्कूटर

दिए गए थे अथवा नहीं और क्या हवाई जहाज से धनराशि वहां पहुंचाई गई थी। प्रधान मंत्री पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने चुनावों के दौरान धन जमा कर लिया था। अब इस बात का पता लगाने का समय आ गया है कि इस बजाज ग्रुप ने क्या किसी उम्मीदवार को स्कूटर तथा 1,20,000 रुपए नकद दिए थे। क्या इन बातों का दस्तावेजों से पता चलता है?

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : हमारे पास कुछ सूचना है किन्तु जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आगे पता लगाने के लिए अभी कुछ और समय लगेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह आरोप लगा रहा हूं.....

श्री भागवत झा आजाद : माननीय मंत्री महोदय को बताने दीजिए कि क्या 1,20,000 रुपए देने सम्बन्धी सूचना सही है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उनके पास कुछ सूचना है।

श्री भागवत झा आजाद : इस बारे में उन्हें यह स्पष्ट बताना होगा कि क्या 1,20,000 रुपए दिए गए हैं अथवा नहीं, वह हाँ अथवा नहीं में बताएं। 1,20,000 रुपए दिए गए हैं। हम जानते हैं सरकार यह बताए कि क्या उन्हें इस बात का पता है अथवा नहीं।

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : मैं बता चुका हूं कि हमारे पास कुछ सूचना है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या रुपए देने के बारे में सूचना है?

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : हां, मैं इसे क्यों छिपाऊं।

श्री एस० एम० बनर्जी : एक लाख बीस हजार रुपए तथा स्कूटर दिए गए थे। किन्तु कितने स्कूटर दिए गए थे। मुझे कोई स्कूटर नहीं देता। इस उम्मीदवार विशेष को इतने सारे स्कूटर दिए गए थे।

SHRI RAMAVTAR SHASTRI : How it will go on if he does not give the proper reply? He should not hide it.

अध्यक्ष महोदय : जो बताया नहीं गया वह अधिक महत्वपूर्ण है। श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपसे सहमत हूं कि जो सूचना दी गई है उससे कहीं अधिक वह सूचना महत्वपूर्ण है जिसे बतलाया नहीं गया है। इस प्रश्न के अनुपूरक मामले के रूप में क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने जांच की है इस सूची में दी गई कम्पनियों में सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों ने कितनी धनराशि निवेश की है तथा कितना ऋण दिया है। क्योंकि अन्त में हमें यह पता न चले कि भारी मात्रा में सार्वजनिक धनराशि व्यर्थ खो दी गई है जो अभी वापस नहीं मिलेगी? क्या सरकार को इस बारे में सूचना है कि क्या यह कम्पनियां सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ऋण और निवेश अपनी इक्यूटी में प्राप्त करती रही हैं और अगर हां, तो किस सीमा तक?

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : मुझे नहीं मालूम कि इस प्रश्न में से यह प्रश्न क्यों पैदा हो गया। उनके अनेक औद्योगिक कम्पनियां हैं और उनमें से कुछ कम्पनियों ने सर्वजनिक वित्तीय संस्थानों से कुछ धनराशि ले रखी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने सूची में दर्ज कम्पनियों के सम्बन्ध में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सुझाव के रूप में मान लें और उसकी जांच कर सकते हैं।

कर्मचारियों के लिए कम लागत के मकानों की व्यवस्था करने तथा उन्हें बीमा के अन्तर्गत लाने के संबंध में राष्ट्रीय बचत परामर्शदाता समिति की सिफारिशें

*69. **श्री धामनकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम लागत के मकानों की व्यवस्था करने तथा बीमा की राशि को कर्मचारियों के वेतन से सीधे काटे जाने के सम्बन्ध में श्रम तथा उद्योग सम्बन्धी राष्ट्रीय बचत परामर्शदाता समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या इन सिफारिशों की जांच की गई है तथा इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने व्यक्तियों को लाया जाएगा तथा इसमें कितना खर्च आएगा ; और

(घ) बचत द्वारा कम लागत के मकानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए यदि किसी विशेष प्रोत्साहन के बारे में विचार किया गया है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) सरकार को वेतन पाने वाले और मजदूरी पाने वालों में बचत की आदत को बढ़ावा देने की सिफारिशों के बारे में राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की उद्योग एवं श्रम संबंधी उप-समिति की रिपोर्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुई है।

श्री धामनकर : मेरा प्रश्न कम लागत के मकानों की व्यवस्था करने तथा उन्हें बीमा के अन्तर्गत लाने के बारे में राष्ट्रीय बचत परामर्शदाता समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में था जब कि मंत्री महोदय के उत्तर में वेतन भोगी तथा मज़दूरी कमाने वाले लोगों में बचत को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है । इसमें कुछ विषमता है । श्रम और उद्योग सम्बन्धी उप-समिति की जून में बम्बई में हुई चौथी बैठक में समिति के सभापति श्री घोरपड़े, जो कर्नाटक के वित्त मंत्री हैं, कहा कि कुछ प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय लिया गया है और वे सरकार को भेज दिए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे यहां नहीं पहुंचे हैं। कम लागत के मकानों के बारे में उन्होंने एक आशाजनक चित्र चित्रित किया है कि 200 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बने मकान की लागत 2000 रुपया होगी । मैं यह जनाना चाहूंगा कि क्या सरकार ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की समयसीमा निश्चित की है ? प्रतिवेदन सरकार को कब मिलेगा और कब उस पर कार्यवाही की जाएगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह विशिष्ट प्रश्न श्रम और उद्योग के बारे में राष्ट्रीय बचत परामर्शदाता समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में है और श्री घोरपड़े ने चर्चा आरम्भ की है तथा कुछ सदस्यों ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। यह केवल अन्तिम प्रतिवेदन है। और यह श्री घोरपड़े को वापस चला गया है, अन्तिम प्रतिवेदन वे प्रस्तुत करेंगे। यह अभी सरकार के पास नहीं आया है अतः समयसीमा का प्रश्न नहीं उठता है।

विदेशों से भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा में वृद्धि

*70. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से विदेशी मुद्रा भारत भेजने के संबंध में अनेक रियायतों की घोषणा

किये जाने के बाद विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार विदेशी मुद्रा भेजे जाने के फलस्वरूप चालू वर्ष के अन्त में देश की विदेशी मुद्रा स्थिति कितनी सुदृढ़ हो जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने नवम्बर, 1975 में कई रियायतों की घोषणा की थी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, नवम्बर, 1975 से उक्त स्कीम के शुरू किए जाने से लेकर जब निर्यात से भिन्न कुल मासिक प्राप्तियां 89.96 करोड़ रुपए थीं, अब बढ़कर जून, 1976 में 143.45 करोड़ रुपए हो गई हैं।

(ग) फिलहाल इस बारे में ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

श्री एस० आर० दामाणी : यह बड़ी सन्तोष की बात है कि हमारी जमा विदेशी पूंजी लगभग 2000 करोड़ रुपये है जो पहले किसी भी समय से सबसे बड़ी है और हर महीने जो रुपया आयेगा उससे यह और भी बढ़ जायेगी। हमारे देशवासी जो विदेशों में रह रहे हैं उन्हें इस देश में उद्योग लगाने के लिए मंत्रालय द्वारा जो रियायतों की घोषणा की गई थी उसकी क्या प्रतिक्रिया रही। उद्योग लगाने के लिए रियायतों में संशोधन करने अथवा विस्तार करने के बारे में क्या कोई सुझाव आया है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है माननीय सदस्य को चाहिए था कि वे उद्योग मंत्री को प्रश्न करते जिनके पास ये आंकड़े होंगे। जहां तक और रियायतें देने का सम्बन्ध है यह उनकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है यदि इस मार्ग में कोई बाधाएं होंगी तो हम निरंतर स्थिति की समीक्षा करते रहेंगे और यदि कुछ सुधार आवश्यक हुए तो हमें उन्हें करने में हिचकिचाहट नहीं होगी।

श्री एस० आर० दामाणी : विदेशों में रह रहे भारतीयों से प्रति माह लगभग 100–120 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं। क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी मुद्रा में बैंकों में जमा करने की पद्धति के अन्तर्गत कितना जमा किया जाता है और उस योजना के अन्तर्गत अब तक कितना प्राप्त हो चुका है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : दो खाते हैं। एक रुपया खाता है और दूसरा नया खाता की सुविधाएं हैं जो उन्हें डालर में अथवा पाउंड में जमा करने के लिए दी गई है। जहां तक रुपया खाते का सम्बन्ध है यह 31-3-1976 को 63.93 करोड़ रुपये हो गया था। सितम्बर, 1975 में यह केवल 21 करोड़ रुपये था। जब हमने विदेशी मुद्रा में जमा करने की इस नई योजना की घोषणा की थी तो यह आशंका व्यक्त की गई थी कि रुपया निधि में जमा ये रकम विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगी। सौभाग्य से यह नहीं हुआ है। रुपया अब काफी मजबूत और आकर्षक है यही कारण है कि रुपया खाता स्वयं काफी बढ़ गया है और 21 करोड़ रुपये से बढ़ कर 63.93 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात् तीन गुना बढ़ गया है। जहां तक विदेशी मुद्रा में जमा राशि का सम्बन्ध है, डालर में जुलाई, 1976

तक 23,224,000 डालर की रकम जमा हो गई है और पाउंड में जमा राशि 1,114,000 हो गई है। रुपयों में यह 29 करोड़ रूपया है।

श्री वयालार रवि : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विदेशों में रहने वाले निम्न आय वर्ग के भारतीयों द्वारा भेजी गई रकमों का कोई विश्लेषण किया है। दुबाई से मद्रास की उड़ाने यात्रियों की कमी के कारण रद्द करनी पड़ीं । इसका कारण यह है कि मद्रास सीमा शुल्क कार्यालय में यात्रियों को काफी परेशान किया जाता है। क्या विदेशों में रहने वाले निम्न आय वर्ग से अथवा उच्च आय वर्ग से, ज्यादा रकम भेजी जाती है और जो रियायतें इस समय घोषित की गई हैं उनसे उच्च आय-वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों की अधिक सहायता होती है। क्या सरकार निम्न आय वर्ग के लोगों को अधिक रुपया भेजने के लिए अधिक रियायतें तथा प्रोत्साहन दे रही है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मेरे पास आयवार कोई विश्लेषण नहीं है । सम्भवत : विश्लेषण करना अभी बहुत जल्दी है और यह कठिन भी है। जहां तक निम्न आय वर्ग का सम्बन्ध है, यदि कोई कठिनाइयां हैं तो मैं उनकी जांच करने के लिए तैयार हूं।

श्री आर० पी० स्वामीनाथन : इस बात को देखते हुए कि सिंगापुर और मलेशिया में, जैसा कि श्री रवि ने कहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां से धन राशि भेजने के लिए तैयार हैं, क्या सरकार ने इन लोगों के साथ सम्पर्क बनाने का प्रयत्न किया है ? कुछ निम्न-आय वर्ग हैं जिन्हें यह बात मालूम नहीं है और कुछ बैंक भी हैं जिनमें उनकी धन राशि जमा है और जो इस मामले में आवश्यक कदम उठाने के इच्छुक हैं । किन्तु उन देशों में हमारे मिशन बिल्कुल भी हितकर नहीं हैं। तो क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से सिंगापुर और मलेशिया को प्रतिनिधि भेजेंगे ताकि वे वहां निम्न-आय वर्गों से सम्पर्क बनायें और उन लोगों की सहायता के लिए कदम उठायें ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मेरे साथी श्री प्रणव कुमार मुकर्जी इन क्षेत्रों में गये । मेरी महिला साथी भी वहां गई। हमारे दूतावास मलेशिया और सिंगापुर जैसे क्षेत्रों में इन बातों का प्रचार करने का अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बैंक तथा बीमा कम्पनियां भी वहां काम कर रही हैं। अत: व्यापक प्रचार किया जा रहा है और हम उसका परिणाम देख रहें हैं।

श्री राम सहाय पांडे : क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस समाचार की ओर गया है कि कम बीजक लगाने तथा अधिक बीजक लगाने के कारण कुछ ऐसे लेखे विदेशों में पाये गये जहां भारतीय निर्यातकों द्वारा अवैध रूप से विदेशी मुद्रा जमा की गई है ? यदि हां, उसका क्या विवरण है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : किन्तु इससे यह पैदा नहीं होता है।

हथकरघा उत्पादों का निर्यात

*72. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्विति की दशा में हथकरघा क्षेत्र में राज्यों ने क्या कार्य किया है ;

(ख) क्या आपात स्थिति के दौरान हथकरघा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत हथकरघा विकास के लिए जो दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए वे ये हैं : गहन विकास तथा निर्यात उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना। अब तक सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वयन के लिए 17 गहन विकास तथा 19 निर्यात उत्पादन परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। ये परियोजनाएं हाल ही में मंजूर की गई हैं। कतिपय परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा चुका है और ऐसी आशा है कि अन्य परियोजनाएं शीघ्र ही शुरू हो जाएंगी। गहन विकास तथा निर्यात उत्पादन परियोजनाओं के अतिरिक्त, निम्नोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं शुरू करने का विचार है ;

(1) एपैक्स सोसायटियों तथा हथकरघा विकास निगमों को मजबूत करना; तथा

(2) सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत अधिक सोसायटियों को लाना ; और

(3) गैर-परियोजना क्षेत्रों में प्रोसेसिंग सुविधाओं की व्यवस्था करना।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित योजनाएं तैयार करें। कुछ राज्य सरकारों ने अपनी योजनाएं भेज दी हैं और वे समीक्षाधीन हैं। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत हथकरघा विकास सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों ने जोरदार कदम उठाएं हैं अथवा उठा रहीं हैं।

2. आयात स्थिति के दौरान हथकरघा वस्तुओं के निर्यातों में काफी वृद्धि हुई है। 1 जुलाई, 1975 से 30 जून, 1976 की अवधि के दौरान हथकरघा वस्तुओं के निर्यात 211.38 करोड़ रु० के रहे जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान वे 113.44 करोड़ रु० के थे।

श्री एन० टोम्बी सिंह : विवरण में कहा गया है कि अब तक 17 जोरदार विकास तथा 19 निर्यात उत्पादन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि ये परियोजनाएं राज्यों की सलाह से इस दृष्टिकोण से बनाई गई हैं कि भिन्न-भिन्न राज्य अपने विरले तरीकों से व्यापार चलाते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये परियोजनाएं बिल्कुल केन्द्रीय हैं ? इनमें कितनी धन-राशि लगेगी और क्या सभी राज्यों को इन परियोजनाओं का लाभ मिलेगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ये योजनाएं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की सलाह से बनाई गई हैं। जहां तक वित्तीय व्यवस्था का सम्बन्ध है, जोरदार विकास परियोजनाओं के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसमें से 1.85 करोड़ की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार करेगी। निर्यात प्रधान परियोजनाओं के लिए कुल परिव्यय लगभग 1 करोड़ रुपये का होगा जिसमें से 40 लाख रुपये की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार करेगी। हमारा यह उद्देश्य है कि इन परियोजनाओं के अन्तर्गत सारा देश आ जाये।

श्री एन० टोम्बी सिंह : विवरण में निर्यात की मात्रा में वृद्धि का उल्लेख किया गया है और मैं मंत्रालय को इसके लिए बधाई देता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि निर्यात के प्रश्न का सम्बन्ध देश के उत्पादन से होगा क्योंकि निर्यात की मात्रा उत्पादन के प्रकार तथा भिन्न भिन्न राज्यों में उत्पादन के सुधार पर निर्भर करती है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये विशेष कदमों को बताने की कृपा करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह स्पष्ट है कि निर्यात देश के उत्पादन पर आधारित है। विदेशी मंडियों की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्यात-प्रधान परियोजनाएं बनाई जा रही हैं जिनमें डिजाइन, सामग्री, कच्चा माल और विपणन सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ताकि उत्पाद बाहर की मंडियों में अपना स्थान बनाएं।

श्री बसंत साठे : हथकरघा उत्पादों के निर्यात की अच्छी सम्भावना को देखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि आपने अपनी योजनाओं के लिए जितनी रकम निर्धारित की है वह पर्याप्त है? यह बहुत कम मालूम होती है। यूरोप तथा अमेरीका के बाजारों में हथकरघा कपड़ों की मांग के बारे में आपका क्या अनुमान है और क्या यह सुनिश्चित करने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है कि वस्त्र भी उसी पैमाने पर बनाये जायें। जैसा कि आप जानते हैं मांग मौसमी है और यह लाखों वस्त्रों की है और आप किसी विशेष किस्म तथा आकार के वस्त्र नहीं बना सकते आप इसका कैसा समन्वय करने जा रहे हैं। क्या किसी क्रमबद्ध योजना के जरिये विदेशी मंडियों पर अधिपत्य करने का कोई प्रयास किया जा रहा है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जितनी राशियां आबंटित की गई हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। इसी वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपये की रकम का नियतन किया जा रहा है और इतनी ही रकम राज्य सरकारों द्वारा भी दी जा रही है। आने वाले दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार इसे बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर देगी। वित्तीय संस्थाओं से रुपया आयेगा। 5 वर्ष में कुल परिव्यय लगभग 300 करोड़ रुपये हो जायेगा। वर्तमान आवश्यकता के लिए हमने धन राशि का अनुमान लगाया है। यदि हमारी आवश्यकता अधिक होती है यह अच्छा है। गत वर्ष निर्यात लगभग 185 करोड़ रुपये का था। इस वर्ष 139 करोड़ रुपये का लक्ष्य है और हमें आशा है कि हम इसे प्राप्त करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशों के साथ व्यापार

*63. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारा रूस, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया, पौलैंड, जर्मन जनवादी गणराज्य तथा चीन जनवादी गणराज्य के साथ कितना व्यापार होता है; और

(ख) इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोवियत संघ, हंगरी, चैकोस्लोवाकिया, रूमानिया, पौलैंड तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के साथ भारत के व्यापार का परिणाम निम्नलिखित है :—

(करोड़ रु० में)

देश	1973-74	1974-75	1975-76
1. सोवियत संघ	540	830	708
2. हंगरी	35	41	38
3. चैकोस्लोवाकिया	70	93	86
4. रूमानिया	29	55	87
5. पौलैंड . .	97	171	158
6. जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य . .	48	69	59

इस अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य और भारत के बीच कोई व्यापार नहीं हुआ ।

(ख) पूर्व यूरोपीय देशों तथा सोवियत संघ के साथ व्यापार सुधारने के लिये किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) भारत तथा पूर्व यूरोपीय देशों में से प्रत्येक देश के साथ आदान-प्रदान किये जाने वाले माल की मात्रा तथा मूल्य निर्दिष्ट करते हुए : दीर्घावधि तथा वार्षिक व्यापार संलेख तैयार करना ; इससे व्यापार का परिमाण बढ़ाने तथा वस्तुओं की विविधता बढ़ाने में सहायता मिलती है ।

(2) पूर्व यूरोपीय बाजारों में नये गैर-परम्परागत माल, निर्मित माल तथा उपभोक्ता माल को प्रचलित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा विशेष वस्तु प्रदर्शनियां आयोजित करना ।

(3) खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सम्पर्क बढ़ाने के लिये पूर्व यूरोपीय देशों को व्यवसायियों तथा बिक्री-सह-अध्ययन दलों के दौरे प्रायोजित करना ।

(4) विक्रेता प्रतिनिधिमंडलों का भारत बुलाना ।

(5) निर्यात संवर्धन परिषदों/भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आदि जैसे विशेषीकृत निकायों द्वारा पूर्व यूरोपीय देशों के बाजार सर्वेक्षण को प्रोत्साहित करना ।

(6) व्यापार की क्वालिटी तथा स्तर सुधारने के लिये उत्पादन सहयोग तथा अन्य देशों में संयुक्त उद्यमों से सम्बन्धित प्रस्थापनाओं की छानबीन की जा रही है ।

(7) भारत स्थित पूर्व यूरोपीय देशों के व्यापार प्रतिनिधियों तथा विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है ताकि व्यापार संलेखों के सहज कार्यान्वयन में आने वाली रुकावटों को दूर किया जा सके ।

कर अपवंचकों को दी जानी वाली ऋण

सुविधाओं का समाप्त किया जाना

*65. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्णय किया है कि कर अपवंचकों को दोषसिद्धि के बाद तीन वर्ष तक किसी अनुसूचित बैंक से एक लाख रुपये से अधिक की राशि की ऋण सुविधायें नहीं दी जायेंगी ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुकर्जी) : सरकार ने निर्णय किया है कि जो व्यक्ति आय तथा धन छिपाने का दोषी पाया जायेगा अथवा जिसे कर की धोखाधड़ी के संबंध में आयकर विभाग द्वारा, मुकदमा चलाए जाने पर, न्यायालय से सजा मिलेगी, उसे किसी भी अनुसूचित बैंक से तीन वर्ष तक एक लाख रुपए से अधिक रकम का ऋण नहीं मिलेगा।

जर्मन संघीय गणराज्य से तावा परियोजना के लिये वित्तीय सहायता

*73. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन संघीय गणराज्य तावा परियोजना के लिए दान, ऋण या अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि देने पर सहमत हुआ है;

(ख) यह राशि कितनी अवधि में खर्च की जायेगी ; और

(ग) इसको किस प्रयोजन पर खर्च किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जर्मन संघीय गणराज्य ने तावा परियोजना के लिए वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में कुल 6.20 करोड़ ड्यूश मार्क की रकम देने का जो लगभग 22.06 करोड़ रुपए बैठती है, वचन दिया था। सहायता की कुल रकम में से 4.5 करोड़ ड्यूश मार्क की रकम उधार के रूप में और शेष 1.7 करोड़ ड्यूश मार्क अनुदान के रूप में हैं।

(ख) और (ग) इस रकम का इस्तेमाल पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भूमि विकास, जल निकासी, सड़क-निर्माण, विपणन और मालगोदामों, कार्मिकों के प्रशिक्षण और परियोजना क्षेत्र में सलाहकार सेवाओं के संबंध में आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए किए जाने की संभावना है।

समाज के दुर्बल वर्गों को ऋण

*75. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के दुर्बल वर्गों को ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या तथ्य हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मूखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को उनकी ऋण देने की प्रक्रियाओं, और विशेषतया प्राथमिकता वाले क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया को सरल युक्तिसंगत बनाने विषयक अनुदेश जारी कर दिये हैं और बैंक इन अनुदेशों का कार्यान्वियन कर रहे हैं। कृषि और छोटे पैमाने के उद्योगों आदि को अग्रिम देने के वास्ते, बैंक क्षेत्रीय भाषाओं में सरल आवेदन पत्र तैयार कर चुके हैं। ऐसे ऋणकर्त्ताओं को आवेदन-पत्र भरने, और जहां आवश्यक हो, अपेक्षित आंकड़े देने के वास्ते सहायता भी दी जाती है। शाखा-प्रबन्धकों को पर्याप्त अधिकार सौंपे जा चुके हैं ताकि ऋणकर्त्ताओं को दिये जाने वाले ऋणों का अधिकांश शाखा स्तर पर ही शीघ्र मंजूर किया जा सके।

भारतीय सूती कपड़े का निर्यात

*76. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976 के पहले छः महीने में भारतीय सूती कपड़े के निर्यात में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परम्परागत उद्योगों के आधुनिकीकरण और पुनः चालू करने के लिए अपेक्षित राशि

77. **श्री एस० ए० मूरुगन्तम** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने यह अनुमान लगाया है कि देश में कुछ परम्परागत उद्योगों के आधुनिकीकरण और पुनः चालू करने के लिए लगभग 1340 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निगमित क्षेत्र हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा धनराशि में से कुछ राशि दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उद्योग को प्रत्यक्ष सहायता के माध्यम से और अपनी हुंडी पुनर्भुगतान योजना के माध्यम से मशीनों के आधुनीकरण और अप्रचलित मशीनों की बदली का कार्य सम्पन्न कर देता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई और वितरित की गई सहायता राशि में प्रति वर्ष लगातार वृद्धि हो रही है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वित्तीय साधनों को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 1976-77 के वित्तीय वर्ष में निर्णय किया है कि उद्योगों

को आयकर पर लगाने वाले अधिभार को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा करने की अनुमति दी जाये। आशा है कि इस वित्तीय वर्ष में भारतीय विकास बैंक की/औद्योगिक जमाओं के रूप में 50 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के अनुमानों को ध्यान में रखकर सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संसाधनों की स्थिति की निरंतर समीक्षा करते रहने का निर्णय किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसाधनों की कमी के कारण आधुनीकरण में रुकावट पैदा न हो सके। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने चीनी, सीमेंट और कुछ इंजीनियरिंग उद्योगों के आधुनीकरण की एक योजना बना ली है। पटसन और सूती वस्त्रों के बारे में पृथक रूप से घोषणा की जायेगी।

लीड बैंक योजना को नया रूप दिया जाना

78. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपनी लीड बैंक योजना को नया रूप दें ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नये रूप की मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे लीड बैंक योजना को अधिक प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने पर जोर दें। इसके लिए वे बैंक ग्राह्य (बैंकेबल) योजनाएं बनाएं और वे अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्यान्वित करें, जिला सलाहकार समितियों के कार्याचालन में सुधार करें, एक ही योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों, द्वारा दिये जाने वाले ऋण की व्यवस्था में एक रूपता लाएं, सहकारी और वाणिज्यिक बैंकिंग ढांचे में समन्वय पैदा करें तथा बैंकों और सरकार दोनों के अभिकरणों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण और पुनश्चर्या का प्रबन्ध करें।

पटसन मिलों का सरकारीकरण

*79. **श्री भान सिंह भौंरा**
श्री नवल किशोर सिंह } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अकुशलतापूर्वक चलाये जा रहे पटसन मिलों का सरकारीकरण करने का है ;

(ख) क्या सरकार ने देश में ऐसी पटसन मिलों की संख्या के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) सरकार ने नेशनल कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है। सरकार द्वारा समय समय पर स्थिति का जायजा लिया जाता है तथा हर मामले पर उसके गुणावगुण के आधार पर उचित कार्यवाई की जाती है।

विदेशों में संयुक्त उपक्रम

*80. **श्री वरके जार्ज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में संयुक्त उपक्रमों को स्थापित करने से संबंधित अपनी योजना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शार्ट हाल जेट के चयन के बारे में निर्णय

459. **श्री मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने विमानों के स्थान पर अन्य विमानों के उपयोग के लिये 'शार्ट हाल जेट' के चयन के बारे में कोई निर्णय किया गया है?

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स इस समय ऐसे विभिन्न प्रकार के 'शार्ट हाल' जेट विमानों का मूल्यांकन कर रही है जिन्हें उनके विमान बेड़े में सम्मिलित किया जा सके। कारपोरेशन को आशा है कि वह अपने मूल्यांकन के परिणामों को अपने निदेशक मंडल के समक्ष उनके विचारार्थ शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगी।

Development of places as tourist centres in Madhya Pradesh

460. SHRI G. C. DIXIT. : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :—

(a) Whether Government proposed to develop some more places in Madhya Pradesh as tourist centres in the Central Sector during the fifth year plan ; and

(b) if so, the names of those places ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b) The provision, improvement and augmentation of tourist facilities at Khajuraho, Kanha National Park and Bhopal will continue to be made in the Central Sector. There is no proposal for the present to develop tourist facilities at other places in Madhya Pradesh during the remaining years of the fifth year plan.

सिले-सिलाये कपड़ों का निर्यात

461. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और ब्रिटेन द्वारा कुछ बाधाएं पैदा किये जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों को सिले-सिलाये कपड़ों के निर्यात में कमी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने और सिले-सिलाये कपड़ों का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार का विचार इस वर्ष क्या कार्यवाही करने का है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) हालांकि संयुक्त राज्य अमरीकी तथा ब्रिटेन जैसे देशों के बाजारों में प्रवेश करने से सम्बन्धित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है फिर भी विगत कुछ वर्षों के दौरान देश से होने वाले परिधानों के निर्यातों में बराबर वृद्धि हुई है।

(ख) इस सम्बन्ध में समस्याओं को आपसी परामर्शों द्वारा हल किया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्यात संवर्धन सम्बन्धी विभिन्न उपायों को क्रियान्वित किया जा रहा है, यथा मुआवजा सहायता, प्रतिपूरक लाइसेंसों के सम्बन्ध में उदार नीति तथा निर्यातोन्मुख नये एककों को प्रोत्साहन।

रुई की कमी

462. **श्री सी० जनार्दनन**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष में रुई की भारी कमी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो कितनी आवश्यकता का अनुमान है और चालू वर्ष में देश में कितनी रुई उपलब्ध होगी; और

(ग) इस कमी को किस प्रकार पूरा किया जायेगा?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) से (ग) चूंकि चालू रुई मौसम की रुई की आवक के पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इस लिये घरेलू रुई की मांग तथा उपलब्धता के बीच किस हद तक कमी रहेगी इसका पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है। बहरहाल, रुई की 2 लाख गाठें आयात करने के लिये एक तात्कालित कार्य क्रम है और कुछ उपलब्धता के आधार पर रुई की कमी होने की आशंका नहीं हो सकती है।

अत्यधिक लाभ के बावजूद कम्पनियों को रियायत दिया जाना

463. **श्री सरोज मूकर्जी**: क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिज़र्व बैंक द्वारा कुछ चुनी हुई 375 गैर-सरकारी तथा गैर-वित्तीय कम्पनियों के कार्यकरण का एक वर्ष से अधिक समय तक किये गये अध्ययन के अनुसार वर्ष 1974-75 में कर देने के बाद लाभ 44.2 प्रतिशत था जबकि वर्ष 1973-74 में वह 14.6 प्रतिशत था और दूसरी ओर कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ की राशि जो वर्ष 1973-74 में 15 प्रतिशत थी, वर्ष 1974-75 में कम हो कर 14.2 प्रतिशत रह गई है;

(ख) यदि हां, तो आपातस्थिति के बाद उद्योग तथा व्यापार को अनेक रियायत दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार आर्थिक नीतियां बनाते समय हिसाब लगाने की वर्तमान पद्धति बदलने का है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारत के रिज़र्व बैंक ने अपने जनवरी, 1976 के बुलेटिन में बड़ी-बड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के वित्त साधनों का अध्ययन 1974-75 प्रकाशित किया है। यह अध्ययन उन 375 गैर-सरकारी, गैर-वित्तीय पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के अप्रैल, 1974 से मार्च, 1975 तक की अवधि के दौरान बन्द किये गये वार्षिक लेखों पर आधारित है जिन में से प्रत्येक की प्रदत्त पूंजी एक करोड़ रु० तथा उससे अधिक है।

इस अध्ययन में कर्मचारियों के पारिश्रमिक हिस्से का सम्बन्ध उत्पादन मूल्य से जोड़ा गया है। 375 कम्पनियों के मामले में यह वर्ष 1973-74 में 15.00 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 1974-75 में 14.2 प्रतिशत रहा है। इस अध्ययन में 1974-75 के दौरान इस कम्पनियों में कर देने के बाद लाभ तथा उनकी विकास दर भी दी गई है। वर्ष 1973-74 में 14.6 प्रतिशत की विकास दर के मुकाबले वर्ष 1974-75 में यह दर 44.5 प्रतिशत बनती है। विकास की यह दर इन कम्पनियों के पूर्ववर्ती वर्षों के कर देने के बाद के लाभों को आधार मानकर निकाली गई है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक की तथा कर देने के बाद के लाभों की माननीय सदस्य द्वारा तुलना किये जाने का सम्बन्ध अलग-अलग आधार आंकड़ों से हैं। यदि किसी प्रकार की तुलना की जानी है तो उसका सम्बन्ध एक ही आधार से होना चाहिए। यदि लाभ हिसाब उत्पादन मूल्य की प्रतिशत दर के रूप में निकाला जाता है जैसा कि ऊपर उल्लिखित अध्ययन में कर्मचारियों के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में किया गया है, तो उत्पादन मूल्य की प्रतिशत दर के रूप में कर अदा करने के बाद का लाभ वर्ष 1973-74 में 4.6 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 1974-75 में 5.1 प्रतिशत बैठता है।

(ख) (1) आरम्भ में ही एक और स्पष्टीकरण दिया जाता है। विशेष रूप से 1976-77 के बजट में दी गई रियायतें उस समय विद्यमान परिस्थितियों, और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संभावित पूर्वानुमान पर आधारित थीं। रिज़र्व बैंक के अध्ययन का सम्बन्ध 1974-75 अथवा 1973-74 में किसी समय समाप्त होने वाले, कम्पनियों के 12 महीनों के लेखे से हैं और इस लिये इसका सम्बन्ध बहुत पहले की अवधि से है।

(ख) (2) प्रत्यक्ष करो के क्षेत्रों में मुख्य रियायतें दी गयी हैं ताकि खास तौर से चुनिंदा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में पूंजी निवेश और विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा सके।

(3) अप्रत्यक्ष-कर रियायतें, सामान्यतया किसी खास कम्पनी को ध्यान में रखते हुए नहीं दी जाती हैं बल्कि सम्बन्धित उद्योग के सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के बाद दी जाती है। उदाहरण के लिए, 1976-77 के बजट में, उच्चतर उत्पादन को प्रोत्साहन देने और मांग को बढ़ाकर संचित माल की कुछ खरीद की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से शुल्क सम्बन्धी छूट दी गयी थी। कुछ आम उपभोक्ता वस्तुओं में भी शुल्क सम्बन्धी छूट दी गयी थी। कुछ मामलों में छूट, निर्यात प्रोत्साहन उपाय के रूप में दी गयी थी।

(ग) ऊपर बतायी गयी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता है।

मेहतपुर हिमाचल प्रदेश में यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया की शाखा खोलना

464. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के मेहतपुर में एक शाखा खोलने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह शाखा कब तक खोले जाने की संभावना है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मूखर्जी) : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने अभी तक उसे हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मेहतपुर स्थान पर शाखा खोलने के लिए लाइसेंस जारी करने के वास्ते नहीं लिखा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Uniformity in the Prices of same Type of Cloth Produced by National textile Mills

465. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether there is no uniformity in the prices of same quality of different varieties of cloth manufactured by various nationalised textile mills in the various States and if so, the reasons therefor; and

(b) whether Government have formulated any policy to have uniform prices of the same quality of different varieties of controlled cloth ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) Yes, Sir. This is because of the difference in the rates prevailing in the local markets, the varying degree of reputation the mills enjoy and the differences in the finish of their products, and costs of production.

(b) An attempt is being made to secure standardisation of rates and qualities at least among the mills under the same subsidiary of the National Textile Corporation.

Alkaloid Factory, Neemuch

466. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) the total amount of expenditure incurred on Alkaloid Factory, Neemuch (Madhya Pradesh);

(b) the estimated annual production thereof; and

(c) the foreign exchange likely to be earned every year ?

MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPTT. OF REVENUE & BANKING (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) Out of the total estimated expenditure of Rs. 2,34,18,000 an expenditure of Rs. 1,98,15,413 has been incurred on the Alkaloid Project, Neemuch, upto 31st July, 1976.

(b) The Factory's estimated annual production of finished alkaloids & their salts in a single shift is as follows :—

Codeine Phosphate	4860 Kgs.
Codeine B.P.	1000 Kgs.
Narcotine	2400 Kgs.
Morphine Hydro chiloride	225 Kgs.
Morphine Sulphate	225 Kgs.
TOTAL	8710 Kgs.

(c) The Alkaloids and their finished salts produced in the Alkaloid Plant, Neemuch, in a single shift will be mostly consumed in India to meet the demand of Pharmaceutical Industry and only a small quantity is likely to be available for export which may fetch foreign exchange of about Rs. 18 lakhs. However, when the Plant works in two shifts and provided the indigenous demand does not go up, the produce of the 2nd shift would be available for export and the foreign exchange earnings are estimated at approximately Rs. 274 lakhs.

कर अपवंचन को रोकने के लिये कार्यवाही

467. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर अपवंचकों को अनेक अवसर देने के बाद अब सरकार का विचार उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में आयकर विभाग ने कर अपवंचकों को पकड़ने के लिए पर्याप्त छापे नहीं मारे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है, जिन्होंने अब तक करों का पूर्ण भुगतान नहीं किया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) कर अपवंचकों के विरुद्ध कार्यवाहियां जारी हैं और कर अपवंचन को रोकने के लिये विभिन्न प्रशासनिक तथा कानूनी उपाय किये जा रहे हैं।

(ख) तथा (ग) : आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के आयकर आयुक्तों के अधिकारक्षेत्रों में आयकर अधिकारियों द्वारा अप्रैल, से जुलाई, 1976 तक की अवधि में ली गयी तलाशियां की संख्या, गत वर्ष की संगत अवधि में की गयी ऐसी कार्यवाहियों की संख्या से लगभग पांच गुनी हैं।

तलाशी तथा अभिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाहियों की गति को देश भर में बढ़ा दिया गया है ।

(घ) उन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है कि आय/धन कर लगने योग्य है, परन्तु जिनका कर निर्धारण नहीं हुआ है। विद्यमान कर-निर्धारितयों के

मामलों की, जहां आवश्यक समझा जा रहा है, छानबीन की जा रही है। जिन मामलों में आवश्यक समझा जाता है, उनमें दण्ड लगाने तथा अभियोग चलाने की कार्यवाहियां की जा रही हैं।

Proposal to Provide Air Link to Kanha National Park and Mandu (Dhar)

468. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have received any proposal for providing air Link to Kanha National Park and Mandu (Dhar) in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI RAJ BAHADUR): (a) and (b) : No proposal as such has been received for airlinking Kanha National Park and Mandu (Dhar) in Madhya Pradesh though this matter was raised in a meeting.

Indian Airlines plans to airlink Jabalpur which would have provided an outlet for visitors to Kanha National Park could not materialise due to tight fleet position and the situation created by hike in the price of aviation fuel. Indian Airlines do not propose to operate the two places mentioned in the Question for the present. Proper landing facilities are not available at these places for the aircraft operated by Indian Airlines. Delhi/Allahabad/Jabalpur route was also offered by Director General of Civil Aviation to private operators but their applications could not be considered due to lack of proper aircraft and equipment available with them.

महाराष्ट्र में नियन्त्रित किस्म के कपड़े की खुदरा दुकानों का खोला जाना

469. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण समुदाय के निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को अधिक सस्ती दरों पर कपड़े की सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने सारे देश में खुदरा दुकानें खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए महाराष्ट्र राज्य में किन-किन केन्द्रों का चयन किया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के अकोला और खामगांव में ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामले में कब निर्णय लिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपनी मिलों के उत्पादों के सीधे विपणन करने के अपने विनिश्चय के अनुसरण में यथासम्भव अधिकतम सीमा तक अपने खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का और साथ ही सहयोगी केन्द्रों के माध्यम से उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था करने का विनिश्चय किया है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अनुषंगी कार्यालयों द्वारा पहले ही विभिन्न स्थानों पर 68 खुदरा केन्द्र चलाए जा रहे हैं जिनमें अकोला तथा महाराष्ट्र से खामगांव भी शामिल हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम का विचार बम्बई, नागपुर, नासिक. शोलापुर तथा पुणे में सीधे बिक्री केन्द्र खोलने का है।

कालीकट हवाई अड्डा

470. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कालीकट में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) और (ख) कालीकट में एक विमानक्षेत्र के निर्माण की परियोजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल की गई थी। परन्तु, विमानन ईंधन के मूल्यों में वृद्धि से हुई परिचालन लागत की बढ़ोत्तरी तथा अपने विमान बेड़े की तंग स्थिति के कारण इंडियन एयरलाइंस को अपनी योजनाओं का पुनरीक्षण करना पड़ा और कारपोरेशन ने अपने आप को पांचवीं योजनावधि में कालीकट के लिए सेवा परिचालित करने में असमर्थ पाया । अतः, परियोजना को स्थगित कर देना पड़ा । संसाधनों के उपलब्ध होने की स्थिति में इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव है ।

मद्रास में हवाई अड्डा

471. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में एक नये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करने सम्बन्धी परियोजना का परित्याग कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यट और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, मद्रास में नए अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र की कोई योजना नहीं है । तथापि, वर्तमान टर्मिनल भवन में अधिकांश सुधार कार्य पूरे हो चुके हैं तथा चौड़ी बॉडी वाले विमानों के परिचालन के लिए एप्रन के स्थान को बढ़ाने और कार्गो काम्पलेक्स में वृद्धि करने का कार्य प्रगति पर है । इनसे मद्रास विमान क्षेत्र पर यातायात संभाल क्षमता में सुधार होगा ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशों में धन भेजा जाना

473. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशों में धन भेजे जाने की दर क्या रही है ;

(ख) ऐसी प्रथम दस कम्पनियों के नाम और उनके द्वारा विदेशों में भेजी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने देश में पूंजी निवेश कर रखा है ; और

(ग) ऐसी कम्पनियों द्वारा लाभ का कितना अंश उसी उद्यम में भारत में अब फिर से लगाया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क),(ख) और (ग) यह सूचना यथासंभव इकट्ठी की जाएगी और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से औषध फर्मों को दिया गया कच्चा माल

474. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गत तीन वर्षों में कितनी औषध कर्मों को "हाई-सी" आधार पर कच्चा माल दिया गया है और उन फर्मों तथा "हाई-सी" आधार पर उनके साथ हुए सौदों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ख) कितनी औषध निर्माता फर्मों को "हाई-सी" आधार पर कच्चा माल देने से इन्कार कर दिया गया है ; और उनके नाम, मदों के नाम तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा इंकार किए जाने के कारण क्या हैं ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम "हाई-सी" आधार पर कच्चा माल देने का निर्णय किस आधार पर करता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चमड़ा उद्योग के बारे में सीतारमैया समिति का प्रतिवेदन

475. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चमड़ा उद्योग के बारे में सीतारमैया समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है तथा उसको क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने चमड़े की अर्ध-निर्मित वस्तुओं का निर्यात रोक दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) निर्यात में प्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वानाथ प्रताप सिंह) : (क) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार किया गया है और जहां सम्भव था उन्हें कार्यान्वित किया गया है ।

(ख) से (घ) सरकार ने अर्ध तैयार खालों तथा चमड़ियों के निर्यात पर, जो इस समय चमड़े के हमारे निर्यातों का बड़ा अंश ठहराते हैं, इस लिए प्रतिबन्ध लगाए हैं ताकि तैयार चमड़े तथा जूतों समेत चमड़े के निर्मित माल के निर्यातों को बढ़ावा दिया जा सके । विदेशी मुद्रा की अधिक आय के लिए तैयार मदों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है । सरकार ने इसके लिए कतिपय प्रोत्साहन भी दिए हैं ।

इस नीति के कारण कोई गिरावट आने की सम्भावना नहीं है ।

केरल स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन में कमी

476. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल की बिजली कटौती के कारण केरल स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन में कुल कितनी कमी हुई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मती सुशीला रोहतगी) : केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा हाल ही में बिजली की सप्लाई में कटौती कर दिए जाने से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के केरल स्थिति उपक्रमों को उत्पादन में कुल 2.16 करोड़ रुपए की हानि हुई ।

वर्ष 1976-77 के दौरान कोयले का निर्यात

477. **चौधरी रामप्रकाश** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976–77 के दौरान कोयले के निर्यात के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : 1976–77 के दौरान कोयले के निर्यात का लक्ष्य अभी अन्तिम रूप से निश्चित किया जाना है ।

कर्नाटक में बैंकिंग द्वारा छोटे किसानों तथा शिल्पियों को वित्तीय सहायता

478. **श्री के० लकप्पा** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में जून, 1975 के पश्चात् कितने छोटे किसानों तथा शिल्पियों को बैंकों द्वारा धन दिया गया है ; और

(ख) बंधक मजदूरी प्रथा की समाप्ति के बाद राज्य में छोटे किसानों की सहायता के लिए बैंकों ने क्या कदम उठाए हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) और (ख) 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ कार्यान्वयन के संदर्भ में जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों की परेशानियों को दूर करने में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास-प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायता करता है, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे छोटे और सीमान्तिक किसानों की और भूमिहीन मजदूरों की जिन्हें भूमि आवंटित की गई है, विशेष रूप से उन मजदूरों को जो बंधुआ मजदूरी से मुक्त हुए हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजनाएं तैयार करें, ताकि पुनर्वास संभावनाओं और अन्य कमजोर वर्गों का पता लगाया जा सके और उन्हें कृषि से सम्बद्ध उत्पादक गतिविधियों को हाथ में लेने का अवसर मिल सके। बैंकों ने सूचित किया है कि आदिवासियों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों, सहायता प्राप्त व्यवसायो में लगे हुए मुक्त बंधुआ मजदूरों को और भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमान्तिक किसानों आदि के लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं के वास्ते सहायता देने के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार की गई हैं और क्रियान्वित की जा रही हैं। कुछ बैंकों ने अपने कृषक ऋण-कर्त्ताओं के परिवार के सदस्यों की बीमारी और उनके बच्चों की शिक्षा के खर्चों को पूरा करने विषयक ऋण आवश्यकताओं को साधारण रूप में पूरा करने के लिए उपभोग ऋण प्रदान करने की योजनाएं भी तैयार की हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक अब इस कार्यक्रम सहायतार्थ किए गए अपने कार्य की परिमाण और गुण की दृष्टि से जांच करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

479. श्री त्रिविद चौधरी
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी
श्री अर्जुन सेठी
श्री सोमनाथ चटर्जी
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जुलाई, 1976 तक थोक मूल्य सूचकांकों में मास-प्रति मास कितनी वृद्धि हुई ;

(ख) सरकार के अनुमानानुसार उक्त वृद्धि होने के क्या कारण थे ; और

(ग) सरकार ने मूल्यों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, मुद्रास्फीति रोकने के लिए वर्ष 1974 के बाद किए गए उपायों के अतिरिक्त अब और क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जनवरी 1976 से थोक मूल्यों के सूचकांकों में (1961–62=100) हुई घट-बढ़ का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	सूचकांक (महीने का अन्तिम सप्ताह)	प्रतिशत परिवर्तन (पिछले महीने की तुलना में)
दिसम्बर 1975	291.1	
जनवरी 1976	289.5	—0.5
फरवरी 1976	284.3	—1.8
मार्च 1976	282.9	—0.5
अप्रैल 1976	290.5	+2.7
मई 1976	292.7	+0.8
जून 1976	301.8	+3.1
जुलाई 1976	206.8	+1.7

(ख) और (ग) अप्रैल 1976 से मूल्यों में वृद्धि की जो प्रवृति दिखाई दी वह अंशत: मौसम सम्बन्धी खराब परिस्थितियों, जो थोड़े समय रहीं और जिनके परिणामस्वरूप सट्टेबाजी और जमाखोरी शुरू हो गई तथा अंशत: खाने के तेलों, तिलहनों तथा फल और सब्जियों के सम्बन्ध में पड़ने वाले मौसमी दबाव के कारण हैं । मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। इनमें सट्टेबाजी और जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही को तेज करना, तिलहनों/वनस्पति तेलों और कपास के बदले दिए जाने वाले बैंक-अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन में वृद्धि करना खाद्य तेलों, रूई, सिंथेटिक रेशों के अतिरिक्त आयात के द्वारा उपलब्धि में और वृद्धि करना और अधिक मात्रा में चीनी का जारी किया जाना शामिल है । पहले से किए गए उपायों एवं अब किए गए उपायों तथा जुलाई के मध्य से वर्षा के शुरू हो जाने के कारण मूल्यों की स्थिति

में सुधार हुआ है। मूल्यों में वृद्धि के पहले के उतार के रुख के विपरीत 31 जुलाई, 1976 को समाप्त तीन सप्ताहों में थोक मूल्यों के सूचकांक में लगातार कमी हुई है। कुल मिलाकर 1.9 प्रतिशत की कमी हुई है ।

मखमल के निर्माण और बिक्री में लगी फर्म द्वारा करों का अपवंचन

480. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने मखमल के निर्माण, बिक्री तथा निर्यात करने वाली एक पारिवारिक फर्म के बम्बई स्थित निवास-स्थानों तथा कारखाने पर छापों के दौरान बड़े पैमाने पर कर की चोरी का पता लगाया है ;

(ख) क्या इस परिवार ने हैदराबाद में अंगूर के बाग में धन लगा रखा है और उसका तात्पर्य काले धन को श्वेत धन दिखाना तथा आय को कृषि आय दिखाना था ;

(ग) क्या यह फर्म 18 विभिन्न नामों से कार्य कर रही है और उनमें से केवल आठ फर्म ही आय कर देती थीं ; और

(घ) यदि हां, तो छापों के क्या परिणाम निकले और मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) : आय कर प्राधिकारियों ने बम्बई में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान के कार्यालय एवं कारखाने के परिसरों में और साथ ही उसके भागीदारों के आवासीय परिसरों में तलाशी एवं अभिग्रहण की कार्यवाही की है । यह प्रतिष्ठान मखमल के कपड़े का निर्माण, विक्रय तथा निर्यात करता है ।

खाता बहियों/दस्तावेजों के अतिरिक्त कुछ विदेशी मुद्रा, सोने के 23 सावरन और 10 तोले सोने का एक बिस्कुट पकड़े गए हैं।

यह पाया गया है कि इस समूह के परिवार के सदस्य अठारह विभिन्न नामों से व्यापार चला रहे हैं और जैसा कि अब तक पता चला है, इनमें से केवल तीन का आयकर निर्धारण होता है ।

हैदराबाद स्थित अंगे अंगूर के एक बाग में इस समूह का पर्याप्त पूंजी-निवेश है ।

ग्रस्त कर-अपवंचन के प्रश्न की जांच की जा रही है जिसमें यह जांच भी शामिल है कि काले धन को वैध बनाने में अंगूर के बाग का उपयोग, यदि कोई हो, कहां तक किया गया है।

चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण

481. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'रुग्ण चाय बागानों' के बारे में विस्तृत अध्ययन पूरा कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार 'रुग्ण चाय बागानों' सहित सभी चाय बागानों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां । संकटग्रस्त चाय बागानों को हाथ में लेने के प्रश्न पर चाय उद्योग से सम्बन्धित टास्क फोर्स द्वारा की गई सिफारिशों के फलितार्थों की जांच करने के लिए स्थापित की गई समिति ने असम तथा पश्चिम बंगाल स्थित ऐसे कुछ बागानों का ब्यौरे-वार अध्ययन किया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

असम के पिछड़े जिलों में उद्यमियों को बैंक से ऋण

482. श्री विश्वनारायणा शास्त्री : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "लीड" बैंकों द्वारा असम के पिछड़े जिलों में उद्यमियों को कम ब्याज पर ऋण दिए गए हैं जैसा कि योजना आयोग द्वारा बताया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ब्याज की आम दर क्या है और ली जाने वाली ब्याज की कम दर क्या है ; और

(ग) इससे अब तक कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) (ख) और (ग) असम राज्य में लीड बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों की 26-12-75 की तिथि के जिलेवार उपलब्ध आंकड़े विवरण में दिए जा रहे हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 11062/76] ।

ऋणों की मात्रा, ऋणकर्त्ताओं के वर्ग, ऋणों की किस्म आदि को ध्यान में रखते हुए लीड बैंकों द्वारा ली जाने वाले ब्याज की दरें 10 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक होती हैं । ऋण गारंटी योजना में व्याप्त छोटे पैमाने के उद्योगों को 2 लाख रुपए तक के ऋण 12.5 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज की दर शर्त से मुक्त हैं । विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋण 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिए जाते हैं ।

बंगलौर में स्टेट बैंक आफ इण्डिया का स्थानीय मुख्यालय खोला जाना

483. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगलौर में स्टेट बैंक आफ इंडिया का स्थानीय मुख्यालय खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या उस बैंक का हैदराबाद में एक स्थानीय मुख्यालय है ; और

(ग) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया की कर्नाटक में अनेक शाखाएं हैं और इन शाखाओं के छोटे ग्राहकों को मद्रास स्थित बैंक के स्थानीय मुख्यालय से न्याय प्राप्त नहीं होता है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 31 दिसम्बर, 1975 को कर्नाटक राज्य में भारतीय स्टेट बैंक की 110 शाखाएं थीं। स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि कर्नाटक की जनता की आवश्यकताएं बंगलौर स्थित उसके क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संतोषजनक रूप से पूरी की जाती हैं। इस कार्यालय का काम एक मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक के अधीन होता है जिसे अपने विवेक से निर्णय करने की पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में गोमांस का परोसा जाना

484. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे होटलों में गोमांस परोसा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उन होटलों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या इससे शाकाहारी भोजन खाने वालों में चिन्ता उत्पन्न हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) और (ख) : भारत पर्यटन विकास निगम के निम्नलिखित होटलों में भैंस के मांस से बने पकवान मांग करने पर परोसे जाते हैं :—

1. अकबर होटल, नई दिल्ली ।
2. कुतब होटल, नई दिल्ली ।
3. होटल अशोक, बंगलौर ।
4. एयरपोर्ट होटल, कलकत्ता ।
5. कोवालम होटल, कोवालम ।
6. वाराणसी होटल, वाराणसी ।
7. ललित महल पैलेस होटल, मैसूर ।

(ग) जी, नहीं ।

विश्व को मंडियों में भारतीय हथकरघा वस्त्रों की मांग

485. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व की मंडियों में भारतीय हथकरघा कपड़ों अथवा सर्दियों के कपड़ों अथवा अन्य लुभावने कपड़ों को, जिनको वसन्त और गर्मी में इस्तेमाल किया जाता है, कोई मांग है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कपड़ों के नाम क्या हैं और किन-किन राज्यों द्वारा पश्चिमी देशों को कपड़ों का निर्यात किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां । भारतीय हथकरघा वस्त्रों तथा परिधानों, विशेष रूप से गर्मियों के परिधानों की अच्छी मांग है ।

(ख) गर्मियों की कमीज़ें तथा ब्लाउज, परिधानों की मुख्य मदें हैं जिनका निर्यात किया जाता है ।

निर्यातों के लिए हथकरघा वस्त्र तैयार करने वाले महत्वपूर्ण राज्य तमिलनाडु, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश हैं। वस्त्रों के वास्तविक निर्यात दिल्ली मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई जैसे पत्तन नगरों से होते हैं जहां पर बड़ी संख्या में निर्यातक मौजूद है।

कालीकट हवाई अड्डा :

486. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें केरल के संसद् सदस्यों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। जिसमें कालीकट के निकट हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को शीघ्रता से प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या हवाई अड्डे का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में कोई विलम्ब है ; और

(ग) संसद् सदस्यों द्वारा दिए गए ज्ञापन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर)। (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कालीकट में एक विमानक्षेत्र के निर्माण की परियोजना पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल की गई थी। परन्तु, विमानन ईंधन के मूल्यों में वृद्धि से हुई परिचालन लागत की बढ़ोत्तरी तथा अपने विमान बेड़े की तंग स्थिति के कारण इंडियन एयरलाइन्स ने अपने आपको पांचवीं योजनावधि में कालीकट के लिए सेवा परिचालन करने में असमर्थ पाया । अतः परियोजना को स्थगित कर देना पड़ा। संसाधनों के उपलब्ध होने की स्थिति में इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव है ।

बिना बिके हुए नियंत्रित कपड़े का जमा हो जाना

48. श्री एम० कतामुतु : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों के पास अभी भी बिना बिके नियंत्रित कपड़े का स्टाक पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने कपड़ा मिलों को जमा पड़े नियंत्रित कपड़े का स्टाक निर्बाध रूप से बेचने की छूट दे दी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) कन्ट्रोल के कपड़े का मासिक उठान जनवरी मास के 35000 गांठों के सामान्य स्तर से गिरकर फरवरी मास में 29678 गांठें, मार्च मास में 24781 गांठ रह गई तथा अप्रैल 1975 में 19190 गांठों के असामान्य स्तर पर आ गया । मासिक उठान में गिरावट के कारण कन्ट्रोल का कपड़ा असामान्य रूप में जमा हो गया । कन्ट्रोल का कपड़ा मिलों के पास न पड़ा रहे और वह उपभोक्ता तक पहुंच सके इस उद्देश्य से सरकार ने सहकारी समिति के माध्यम से बिक्री के अलावा वैकल्पिक बिक्री केन्द्र भी खोले परन्तु इस बात की सुरक्षा की व्यवस्था भी की कि कन्ट्रोल का कपड़ा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए प्रोसेस करने वालों, थोक विक्रेताओं तथा विचौलियों के हाथों में न पहुंच जाए । इस बात की भी सावधानी बरती गई है कि इसकी बिक्री के कारण सामान्य चैनलों के जरिए वितरण में कमी पैदा न हो जाए । निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :—

(1) केवल ऐसी मिलें ही बिक्री के वैकल्पिक तरीके अपना सकती हैं जिनके पास मई 1976 के अन्त में कन्ट्रोल के कपड़े का स्टाक एक मास के उत्पादन दायित्व के बराबर या उससे अधिक पड़ा हो ।

(2) अप्रैल 1976 के अन्त तक पैक किए गए कन्ट्रोल के कपड़े के ऐसे स्टाक को, जिनके बारे में वस्त्र आयुक्त द्वारा रिलीज़ आर्डर जारी किए जा चुके थे परन्तु राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ द्वारा दी गई डिस्पैच हिदायतों द्वारा कवर नहीं होते थे, सहकारी समितियों के माध्यम के अलावा बेचने की अनुमति दी गई थी ।

(3) इस प्रकार बिक्री की अनुमति कानूनी तौर पर निर्धारित कीमतों पर तथा अनुमोदित थोक विक्रेताओं के जरिए बेचे जाने के लिए दी गई थी जिन्हें कन्ट्रोल के कपड़े की बाद में बिक्री का हिसाब-किताब रखना पड़ता था ।

पटसन मिलों को भारतीय रिजर्व बैंक से वित्तीय सहायता

488. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन मिलों ने आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से वित्तीय सहायता लेना अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन ने इस बात का खण्डन किया है कि उन्होंने आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई किसी वित्तीय सहायता की पेशकश को अस्वीकार कर दिया है ।

महाराष्ट्र में तस्करों के विरुद्ध नजरबंदी के आदेश

489. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्र सरकार ने आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् अब तक कितने तस्करों के विरुद्ध नजरबंदी के आदेश जारी किए हैं ;

(ख) बम्बई नगर में कितने व्यक्ति जेलों में बंद हैं ;

(ग) अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किए जाने वालों की संख्या क्या है ;

(घ) क्या कुछ तस्करों को अस्पतालों से बाहर जाते हुए पाया गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ङ) क्या इस मामले में डाक्टरों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 25 जून, 1975 को आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद से 31-7-1976 तक विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1974 के अधीन जारी किए गए नजरबंदी के 1458 आदेशों में से महाराष्ट्र के तस्कर व्यापारियों (जिनमें विदेशी मुद्रा की जालसाजी करने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं) के विरुद्ध 70 आदेश केन्द्रीय सरकार और/अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए थे और 385 आदेश महाराष्ट्र सरकार और/अथवा उस सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए थे ।

(ख) 31 जुलाई 1976 की स्थिति के अनुसार 12 व्यक्ति बम्बई नगर में जेलों में बंद थे ।

(ग) 1-7-1975 से 31-7-76 की अवधि में 35 नजरबंद व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल में भरती किया गया था ।

(घ) केवल एक घटना नोटिस में आई है जब एक नजरबंद व्यक्ति को, जिसे बम्बई में किसी अस्पताल में भरती किया गया था, 19-5-1976 को बहुत सवेरे अस्पताल की ड्योढ़ी पर टैक्सी से उतरते हुए पकड़ा गया था ।

(ङ) जी, हां । राज्य सरकार ने जेल कर्मचारयों तथा सम्बन्धित चिकित्सा कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की है । इसके अतिरिक्त, अस्पताल की जेल का कार्यभारी जेल अधिकारी तथा एक चिकित्सा अधिकारी को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाक्लाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नजरबंद कर दिया गया है ।

आयकर विभाग द्वारा गुजरात तथा बिहार में छापे

490. **श्री अमर सिंह चौधरी** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने गत 6 मास में गुजरात तथा बिहार के विभिन्न भागों में विभिन्न व्यापारियों तथा उद्योगपतियों पर अनेक छापे मारे थे;

(ख) क्या इन छापों में आयकर तथा अन्य कर छुपाने, विदेशी मुद्रा उल्लंघनों तथा तस्करी सम्बन्धी क्रियाकलापों के बारे में अपराध प्रमाणित करने वाले दस्तावेज बरामद हुए थे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) फिलहाल उपलब्ध सूचना के अनुसार, उपर्युक्त तलाशियों में गुजरात में 4 लाख 90 हजार रुपए से अधिक की नकदी और 21 लाख 80 हजार रुपए से अधिक के जवाहरात और अन्य परिसम्पत्तियां तथा बिहार में 5 लाख 90 हजार रु० से अधिक के जवाहरात और अन्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं। इसके अतिरिक्त, आयगोपन का संकेत देने वाले बही खाते और दस्तावेज़, कुछ विदेशी मुद्रा और यात्री चैक भी पकड़े गए हैं। तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं मिली है ।

जिस तलाशी में मूल्यवान परिसम्पत्तियां पकड़ी जाती हैं उसके बाद पहला काम आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत 90 दिनों के अन्दर एक आदेश जारी करना होता है जिसके द्वारा अघोषित आय का सरकारी तौर पर निर्धारण किया जाता है और अभिग्रहीत परिसम्पत्तियों में से वे परिसम्पत्तियां रोक ली जाती हैं। जो अनुमानित आघोषित आय पर कर की देनदारी (जिसमें व्याज और दण्ड की रकम भी शामिल है), और विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत किसी वर्तमान देनदारी की सकल रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो । इसके बाद नियमित करनिर्धारण का कार्य शुरू किया जाता है और कानून के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही को जाती है जिसमें, आवश्यक होने पर दण्ड लगाने/अभियोग चलाने की कार्य वाही भी शामिल है ।

आधारभूत परिवर्तनों का सुझाव देने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये समिति

491. श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण का अध्ययन करने और आधारभूत परिवर्तनों सहित उनके विकास के लिए सुझाव देने हेतु सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार के संकल्प की एक प्रति संलग्न है जिसमें आयोग का गठन तथा उसे सौंपे गए कार्य दिए गए हैं ।

[ग्रथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 11063/76]

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऋण सुविधाएं

492. श्री विभूति मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री ने ऋण की वापसी अदायगी के अधिस्थगन के बाद ग्रामीण ऋण की

उपलब्धता का पुनर्विलोकन करने हेतु 15 जून, 1976 को बंगलौर में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या-क्या निर्णय किए गए ;

(ग) ग्रामीण लोगों को किस सीमा तक उदारतापूर्वक ऋण दिए जाएंगे ; और

(घ) उक्त योजना का प्ररूप और उसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) ग्रामीण ऋण की, विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऋण राहत के विभिन्न विधानों के परिणाम-स्वरूप सरकार द्वारा गठित उपभोग-ऋण विशेषज्ञ समिति की रिपोट में उल्लिखित उपभोग ऋण की, महत्वपूर्ण विशेष समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए वित्त मंत्री ने, 16 जून, 1976 को बंगलौर में कुछ मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी ।

(ख), (ग) और (घ) अपेक्षित सूचना प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 11064/76] ।

कपास, कृत्रिम रेशे और खाद्य तेलों के लिये विदेशी मुद्रा

493. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक ऐसा नया पैकेज कार्यक्रम बनाने का निर्णय किया है जिसमें कपास, कृत्रिम रेशे और खाद्य-तेलों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा देना शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने रुई की सप्लाई तथा मांग के बीच अन्तर को समाप्त करने तथा साथ ही खाद्य तेलों तथा वनस्पति की कीमतों को नीचे लाने के लिये आवश्यक मात्रा में कपास, संश्लिष्ट रेशा तथा खाद्य तेलों का आयात करने का फैसला किया है।

तस्करों की सम्पत्तियों का अधिग्रहण

494. **श्री गोडखिडे** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे तस्करों और विदेशी-मुद्रा छलसाधकों के नाम क्या हैं जिनकी सम्पत्तियां तस्कर तथा विदेशी-मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम के अन्तर्गत 12 मार्च, 1976 के बाद जब्त कर ली गई हैं और/अथवा जिन्हें उनकी सम्पत्तियां जब्त करने के नोटिस दिये गए हैं; और

(ख) उनकी सम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य क्या है और उन व्यक्तियों के विरुद्ध आगे क्या कार्यवाही की गई है जिन्हें पहले नोटिस दिये गए थे ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया /देखिये संख्या एल० टी० 11065/76] ।

लोक सभा में 13 अगस्त 1976 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 494 के उत्तर में संलग्न विवरण-पत्र

(क) अनुबन्ध में उन तस्करों एवं विदेशी-मुद्रा छलसाधकों (और उनके सम्बन्धियों तथा सहयोगियों) के नामों का उल्लेख किया गया है, जिन पर तरस्कर तथा विदेशी-मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम 1976 की धारा 6 के अन्तर्गत 12 मार्च 1976 के बाद नोटिस तामील किये गये हैं, जिनमें उनसे इस बात का कारण बताने के लिए पूछा गया है कि उक्त नोटिसों में उल्लिखित सम्पत्तियों को क्यों ने भारत सरकार जब्त कर ले। ऊपर उल्लिखित अधिनियम के अन्तर्गत अब तक कोई सम्पत्ति जब्त नहीं की गयी है।

(ख) धारा 6 के अन्तर्गत तामील किये गये नोटिसों में समाविष्ट उनकी सम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य 10.85 करोड़ रुपए होगा। जिन मामलों में पहले ही नोटिस तामील किये गये थे, उनमें प्रभावित व्यक्तियों की सुनवाई की गयी है और कानून के अन्तर्गत जहां आवश्यक होगा, सम्पत्ति समपहरण के आदेश जारी किये जायेंगे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी० 11065/76]

कांगड़ा और मंडी (हिमाचल प्रदेश) में चाय बागान और उद्यान

496. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कांगड़ा और मंडी (हिमाचल प्रदेश जिलों) के चाय बागानों एवं उद्यानों की ओर वैसे ही ध्यान नहीं दे रही है जैसे कि वह पश्चिम बंगाल और आसाम के रुग्ण उद्यानों के मामले में कर रही है ;

(ख) क्या कांगड़ा और मंडी में पैदा होने वाली चाय बहुत ही घटिया किस्म की है और बेचने लायक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो कांगड़ा और मंडी के चाय बागानों की उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) किसी भी चाय उगाने वाले राज्य में जिन बन्द/रुग्ण प्लांटेशनों तथा बागान की सूचना मिले उनके विरुद्ध चाय (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

(ख) यद्यपि कांगडा तथा मंडी की चाय क्वालिटी में अपेक्षतया घटिया हैं तो भी वह बिकने योग्य है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कपड़े का आयात

497. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अभी भी विदेशों से कपड़ा आयात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975-76 के दौरान (जुलाई, 1976 तक) ऐसे कितने मूल्य के कपड़े का किन-किन देशों से आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) वर्ष 1975-76 के दौरान भारत में वस्त्र माल का देश-वार आयात दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। अप्रल, 1976 और उसके बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया /देखिये संख्या एल० टी० 11066/76]।

जाली करेंसी नोटों आदि छापे जाने के मामलों का पता लगाया जाना

498. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बात की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति की घोषणा के बाद विभिन्न राज्यों में जाली करेंसी नोट छापने के कितने मामलों का पता चला और कितने ब्लाक तथा खाली कागजों का पता चला ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : आपात स्थिति की घोषणा के बाद विभिन्न राज्यों में कुल ऐसे 13 मामलों का पता चला है जो इस प्रकार हैं:—

राज्य का नाम	मामलों की संख्या
तमिल नाड़	4
केरल	2
पश्चिम बंगाल .	3
आन्ध्र प्रदेश	2
राजस्थान	1
कर्नाटक	1
जोड़	13

आर्थिक तथा औद्योगिक मामलों के बारे में वित्त मंत्री द्वारा किया गया विचारविमर्श

499 **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने आर्थिक तथा औद्योगिक मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए एफ० आई० सी० सी० आई० की वित्त तथा बैंकिंग उप-समिति के साथ बैठक की थी ; और

(ख) यदि हां, तो जो विचार विमर्श हुआ उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में जारी की गई प्रेस विज्ञाप्ति की एक प्रति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 11067/76]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आवास योजनायों के लिए धन दिये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत

500. **श्री पी० गंगा रेड्डी**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी } : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना के लिए धन देने हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या वे मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रभावी हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो वाणिज्यिक बैंकों ने उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को प्राप्त करने के बाद कितनी राशि के ऋण वितरित किये हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) समाज के कमजोर वर्गों के वास्ते आवास योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने में बैंकों के सहयोग को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने, इस वर्ष जून के अन्तिम सप्ताह में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं जिनका ब्यौरा विवरण में दिया जा रहा है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे मार्गदर्शी सिद्धान्त सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में प्रभावी हो चुके हैं।

(घ) हालांकि इन मार्गदर्शीय-सिद्धान्तों के जारी होने के बाद सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित राशि का संक्षिप्त ब्यौरा देना संभव नहीं है, फिर भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सूचित किया है कि उन्होने जून, 1976 के अंतिम सप्ताह से लेकर अब तक 55 लाख रुपये से अधिक की राशि वितरित की है ।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास-योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता के प्रबन्ध के विषय में जारी किये गये अनन्तिम मार्गदर्शी सिद्धान्त

(1) बैंक सहायता की पात्र समझी जाने वाली योजनायें

(क) ग्रामीण आवास-योजनाएं;

(ख) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये आवास तथा छात्रावास (होस्टल);

(ग) सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल परिवार नियोजन केन्द्र और ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र; तथा

(घ) निम्नआय समूहों के वास्ते शहरी आवास-योजनायें :

(2) योजना की कुल लागत में बैंक ऋण का अनुपात

हर आवास योजना की लागत का अधिकांश बैंक सहायता से भिन्न साधनों द्वारा जिसे सरकारों द्वारा बजट सम्बन्धी आवंटन, आवासीय, मंडलों। स्थानीय निकायों के आन्तरिक साधनों, लाभान्वितों द्वारा दिये गये अंशदानों आदि द्वारा पूरा किया जाना चाहिये तथा बैंक ऋण इन संसाधनों के केवल पूरक मात्र होने चाहिये। सामान्यतया, बैंक-ऋण दर परियोजना की कुल लागत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये, और यह या तो प्रयत्क्ष सावधिक सहायता द्वारा और अथवा सरकार द्वारा गारंटीशुदा ऋण पत्रों / बाँडों में अंशदान द्वारा दिया जाना चाहिये।

जहां इन योजनाओं में, इन योजनाओं के लाभन्वितों को बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष ऋणों की स्वीकृति की व्यवस्था हो उनमें व्यक्तिगत ऋण प्रत्येक आवास 1 मकान की कुल लागत का 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।

(3) जमानत

बैंक या तो सरकारी गारंटी द्वारा या संपत्ति की संधक रखकर ऋणों की जमानत ले सकते हैं।

(4) ऋण की अवधि

ये ऋण/बांड-लगभग 10 वर्ष की अवधि के भीतर ही प्रतिदेय होने चाहिये।

(5) ब्याज दर

अनुसूचित जातियों एव अनुसूचित जनजातियों के फायदों के लिये विशेष रूप से तैयार की गई आवास योजनाओं और होस्टलों को बढ़ावा देने के लिये बैंक-ऋण पर ब्याज की दर विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत निर्धारित ब्याज दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवास योजनाओं के अन्य वर्गों के सम्बन्ध में ब्याज की दर थोड़ी और इस कार्यक्रम को प्रदान की गई प्राथमिकता के अनुरूप होनी चाहिये न्यूनतम ब्याजदर विषयक निदेश इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों द्वारा व्याप्त ऋणों पर लागू नहीं होंगे।

Supply of Controlled Cloth to Bihar

501. SHRI G.P. YADAV : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether in view of the backwardness of Bihar, Government propose to supply additional quantity of controlled cloth this year and if so, the quantum thereof; and

(b) whether requisite number of controlled cloth shops have not been allotted to Harijan youths in rural areas and if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) and (b) Allotments of controlled cloth to different States is made on the basis of population and there is no proposal to allot any additional quantity of controlled cloth to any particular State. The augmentation of the marketing outlets and their allotments to a particular community is the responsibility of the State Government; as such Central Government is not not informed about allotmen t of any shops to Harijan [youths in rural areas in Bihar.

बैंकों द्वारा ऋण की ब्याज दर में कमी

502. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व रिजर्व बैंक के गवर्नर ने हाल ही में बैंकों द्वारा किये जाने वाले ऋणों की ब्याज दर में कमी करने से इन्कार कर दिया है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों पर आने वाली लागत तथा सामान्य लागत और मूल्यों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ब्याज की दर में कोई कमी करना अभी आवश्यक नहीं समझा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यक्त विचारों से सरकार सहमत है।

(ग) और (घ) बैंक की ब्याज-दर नीति का निर्धारण करते समय, उद्योग को ऋण देने की लागत का ध्यान रखा जाता है ताकि आम लागत और मूल्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके अलावा, रिजर्व बैंक द्वारा कराये गये अध्ययन से यह भी पता लगा है कि ब्याज उद्योगों के उत्पादन की कुल लागत का केवल 3 प्रतिशत बैठता है। यह अध्ययन वर्ष 1973-74 के बारे में किया गया था।

Airport Entry Fee

503. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether airport entry fee has recently been increased from Re. 1 to Rs. 2; and

(b) if so, the places where it has been increased and from which date and the reasons for this increase ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI RAJ BAHADUR) : (a) and (b) Airport entry fee has been raised from Re. 1 to Rs. 2/- at the four international airports at Delhi, Calcutta, Bombay and Madras with effect from 1-6-1976. This was done in the context of considerable capital and revenue expenditure involved on provision and maintenance of passenger facilities at these airports and to discourage misuse of the space meant for bonafide passengers and visitors.

दिल्ली में छापे

504. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 2 जून, 1976 को आर्थिक अपराधियों, बड़े व्यापारियों तथा व्यापारियों के यहां कितने छापे मारे गए; और

(ख) उनके विरुद्ध अब तक क्या कानूनी कार्यवाही की गई है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : 2 जून, 1976 को, दिल्ली में आर्थिक अपराधियों, व्यवसायियों और व्यापारियों के परिसरों पर, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, स्वर्ण नियंत्रण, प्रत्यक्ष-कर, विदेशी मुद्रा प्रवर्तन निदेशालय और केन्द्रीय जांच ब्यरो ने कोई छापे नहीं मारे।

Development of Tourist Centres in Bihar

505. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Bihar Government have submitted a scheme for the development of tourist centres in the State ;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) Governments' reaction thereto ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) No proposals for the development of tourist centres in Bihar have recenty been received from the State Government. Since tourism schemes are now taken up either in the Central in State Sector, no reference to the Centre is necessary by the State Government. The coordination between the

schemes to be taken up in the Central and State Sectors is achieved at the time of formulating Five Year Plans and at subsequent Annual Plan discussions.

(b) and (c) Do not arise.

Development of Tourist Industry in Rajasthan

506. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether a meeting was held in New Delhi in May/June 1976 to study the possibilities of development of tourist industry in Rajasthan with a view to attract maximum number of tourists; and

(b) if so, the decisions taken therein as also the steps taken and proposed to be taken to implement them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The major aspects discussed were :—

(*i*) 250th anniversary of the founding of Jaipur should be given wide publicity;

(*ii*) accommodation facilities should be augmented at certain tourist centres;

(*iii*) a master plan of Jaisalmer could be prepared;

(*iv*) archaeological monuments at Deeg, Jaisalmer and Bharatpur could be improved, as also the area surrounding them ;

(*v*) the construction of the wall around the Bharatpur Bird Sanctuary and the bye-pass around this sanctuary should be taken up by the State Government;

(*vi*) the promotion and sale of handicrafts of Rajasthan as souvenirs among tourists should be encouraged.

A Survey team consisting of the representatives of the State Government, Central Department of Tourism, India Tourism Development Corporation, Air India, Indian Airlines, and the Travel Agents Association of India will visit Rajasthan in the last week of August to assess the additional tourist facilities required, and draw up a developmental and promotional programme for marketing the tourist attractions of Rajasthan.

खुदरा मूल्यों में वृद्धि

507. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अप्रैल, 1976 के आरम्भ से वस्तुओं के खुदरा मूल्य बढ़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, और 7 जुलाई, 1976 के बीच उपभोक्ता मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) वस्तुओं के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि विशेषकर ऐसे समय में जबकि सरकार के अनुसार देश में कोई कमी नहीं है, के लिये क्या-क्या बातें उत्तरदायी हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) (क), (ख) और (ग) अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) जो जून 1975 के 328 से बराबर गिर कर मार्च, 1976 में 286 हो गया था, बाद में जून 1976 में सबसे हाल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1.7 प्रतिशत बढ़कर 291 हो गया। जुलाई 1976 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कुछ समय के बाद ही मिल

सकेगा । लेकिन 20 मार्च, 1976 और 10 जुलाई के बीच थोक मूल्यों के सूचकांक (1961-62 = 100) में वृद्धि हुई है । मूल्यों में वृद्धि अंशत: थोड़े समय के लिए मौसम के खराब होने के परिणाम-स्वरूप सट्टेबाजी और जमाखोरी की प्रवृति के कारण और अंशत: मौसमी दबाव के कारण हुई है। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बढ़ाने और अपेक्षी मांग को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों का कीमतों पर काफी अच्छा असर पड़ा है और 31 जुलाई, 1976 को समाप्त हुए तीन सप्ताहों के थोक मूल्यों के सूचकांक में 1.9 प्रतिशत की कमी हुई ।

दिल्ली में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

508. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिकारियों ने वर्ष 1976 के दौरान अब तक दिल्ली में किन-किन व्यक्तियों अथवा फर्मों के यहां छापे मारे ;

(ख) प्रत्येक मामले में पकड़ी गई सामग्री का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क), (ख) और (ग) आयकर प्राधिकारियों द्वारा दिल्ली में वर्ष 1976 में अब तक जिन व्यक्तियों अथवा फर्मों के परिसरों पर छापे मारे गए थे, उनके सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन-पटल पर रखी जाएगी ।

कृषि वित्त निगम का कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (ए० आर० डी० सी०) के साथ विलय

509. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग आयोग ने कर्मचारियों तथा पूंजी के उत्तम उपयोग की दृष्टि से कृषि वित्त निगम का कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (ए० आर० डी० सी०) के साथ विलय करने की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) कृषि वित्त निगम द्वारा यदि वसूल न किये जा सकने वाले ऋणों के रूप में बट्टे खाते डाले जाने वाली कोई राशि है तो वह कितनी है ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां । बैंकिंग आयोग ने 'कृषि वित्त निगम' को 'कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम' के साथ मिला देने की सलाह दी थी । 'कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम' की विकासोन्मुख के कारण इस प्रश्न को अभी तय नहीं किया गया है । तथा उसकी लगातार समीक्षा की जाती है ।

(ग) पिछले पांच वर्षों में 'कृषि वित्त निगम' ने किसी डूबे हुए ऋण को बट्टे खाते नहीं डाला है।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा रुग्ण एककों का अधिग्रहण

510. **श्री रानेन सेन** : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक पुनर्निमार्ण निगम ने गत तीन वर्षों में कितने ऋण एककों का अधिगृहण किया है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ख) अधिग्रहीत एककों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी धनराशि अन्तग्रस्त हुई ; और

(ग) कितने मामलों में प्रबन्ध/निदेशक बोर्ड वही रखा गया है, अथवा उसमें पर्याप्त परिवर्तन किये गये हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क);(ख) और (ग) वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 (जुलाई-जून) के दौरान भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड ने 7 राज्यों में अवस्थित 26 औद्योगिक एककों को पुनर्निर्माण सहायता प्रदान की है। इन एककों का और इन तीन वर्षों के दौरान उन्हें दी गयी पुनर्निर्माण सहायता का राज्यवार वितरण इस प्रकार है :

राज्य	एककों की संख्या	वित्तीय राशि (लाख रुपयों में)
असम	1	1.94
बिहार	2	30.37
गुजरात	1	50.00
केरल	1	13.28
महाराष्ट्र	1	154.51
पंजाब	1	58.50
पश्चिम बंगाल	19	476.37
योग	26	784.97

टिप्पणी : जिन एककों को निगम द्वारा पहिले सहायता दी गयी थी उन्हें उक्त तीन वर्षों में उपर्युक्त वितरणों के अतिरिक्त 1082.66 लाख रुपये की राशि दी गयी थी।

पुनर्निर्माण कार्यक्रमों का प्रभाव महसूस किये जाने से पहिले उन कार्यक्रमों के लिए तीन अथवा उससे अधिक वर्षों की विकास अवधि (जेस्टेशन पीरिएड) की व्यवस्था करनी होती है, इसलिए इस समय इन 26 एककों के मामले में निगम की उपलब्धियों का प्रभावकारी मूल्यांकन करना असामयिक होगा। किन्तु रुग्ण बन्ध एककों का अर्थ-क्षम होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काफी समय लग जाता है तथा कुछ वर्षों के संतोषजनक संचालन के बाद ही अर्थक्षमता सम्भव हो सकती है, इसलिए पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत, सहायता प्राप्त एककों को, संचालन का जो बहुत थोड़ा समय मिला है उसमें इसकी आशा नहीं की जा सकती ।

जिन मामलों में पुराने प्रबन्ध/निदेशक/मंडल को जैसा का तैसा रखा गया है अथवा काफी बदल दिया गया है, उनका विवरण इस प्रकार है :—

1. जिन एककों के मंडलों में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के नामांकित/सुझाए गये निदेशक और अन्य वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा राज्य सरकारों के नामांकित निदेशक मिलकर बहुसंख्या में हैं, उनकी संख्या . .	16
2. जिन एककों के मंडलों को बदल दिया गया है किन्तु उद्यमकर्त्ता के दल की बोर्ड में बहुसंख्या है, उनकी संख्या . .	3
3. जिन एककों को केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रण में लिया गया तथा प्रबन्ध बोर्ड/समिति/प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया, उनकी संख्या . .	5
4. जिन एककों को केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष अधियमन के अन्तर्गत नियंत्रण में लिया गया (जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है) और बोर्डों को बदल दिया गया, उनकी संख्या	2
जोड़ . .	26

Air Service to Kota

511. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 1898 on the 2nd April, 1976 regarding air service to Kota and state whether Government are reconsidering a proposal to connect Kota in Rajasthan with air services ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI RAJ BAHADUR) : Due to tight fleet position and increase in cost of operations due to hike in the price of aviation fuel, it has not been found possible by Indian Airlines to airlink Kota so far. However, the position is constantly under review by the Corporation.

भारत में बुनी हुई टी० शर्टों के लिये ब्रिटेन से प्राप्त आर्डर

512. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बुनी हुई टी० शर्ट ब्रिटेन में बहुत लोकप्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले लघु उद्योग निगम (कोयम्बटूर), (तमिलनाडु) को हाल ही में कुछ और आर्डर मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के थोक एवं खुदरा मूल्य

513. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महत्वपूर्ण कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के थोक एवं खुदरा मूल्य क्या हैं और कृषि फसलों की कटाई के दौरान ये क्या होते हैं :

(ख) आपात स्थिति की घोषणा से पहले की इसी अवधि की तुलना में ये मूल्य कितने कम अथवा अधिक हैं;

(ग) कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्य में समानता सुनिश्चित करने एवं ऐसे निर्धन किसानों के लिए, जिन्हें विवश होकर माल सस्ते भाव पर बेचना पड़ता है, लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) गत बजट के दौरान रियायतें दिए जाने के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि और मूल्यों में कमी का अनुपात क्या रहा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) एक विवरण (अनुबंध1) संलग्न है जिसमें 31 जुलाई, 1976 को महत्वपूर्ण कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के थोक भावों के तथा 1975 और 1976 की फसल काटने की अवधियों के सूचक अंक दिए गए हैं। एक और विवरण (अनुबंध 2) भी संलग्न है जिसमें साथ और खाद्य-भिन्न वर्गों के खुदरा भावों के सूचक अंक दिखाये गए हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि थोक भावों की घटा बढ़ी आमतौर से खुदरा भावों में भी देखी जा सकती है। **[ग्रंथालय में रखा गया /देखिये संख्या एल० टी० 11068/76]**।

(ग) 1975-76 में कृषि वस्तुओं की कीमतों में जो कमी हुई थी उसे इससे पहले के दो वर्षों में कीमतों में हुई वृद्धि के परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इस वृद्धि के परिणाम-स्वरूप व्यापार की स्थिति तेजी से कृषि के अनुकूल हो गई थी। इस प्रकार वर्तमान स्थिति वैसी ही है जैसी कि वह 1971-72 में थी। फिर भी निर्धारित नीति का पालन करते हुए सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए खासतौर से महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे कि जूट, कपास और गन्ने के लिए न्यूनतम कीमत देकर कई उपाय किए हैं। जहां तक अनाज का सम्बन्ध है, सरकार किसानों से सरकारी खरीद के मूल्य पर चावल, गेहूं और मोटा अनाज खरीदती रही है। 1976-77 के रबी के दिनों के लिए जौ और चने के लिए भी न्यूनतम कीमतें निर्धारित कर दी गई हैं। खरीद व न्यूनतम मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार तय किए जाते हैं। आयोग जिन महत्वपूर्ण बातों को अपने ध्यान में रखता है उनमें किसानों का हित भी एक है। कृषि की सापेक्ष स्थिति पर कृषि के काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का भी प्रभाव पड़ता है। पिछले वर्ष रासानिक खाद की कीमतों को भी कई बार कम किया गया। प्रमाणित बीजों की कीमतें भी कम की गई । राज्य सरकारों को सरकारी खरीद के लिए दिए जाने वाले बोनस का उद्देश्य भी यही होता है कि किसानों को कम दरों पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कराने में उनकी सहायता की जा सके।

(घ) औद्योगिक उत्पादों की कीमतों पर कई बातों का असर पड़ता है। इसलिए उत्पादन और मूल्यों के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित करना हमेशा सम्भव नहीं होता। 1976

की अप्रैल-जून की तिमाही में, आरम्भिक अनुमानों के अनुसार, 1975 की उसी अवधि की अपेक्षा लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। निर्मित वस्तुओं के थोक भावों के सूचक अंक में 20 मार्च, 1976 और 31 जुलाई, 1976 के बीच 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सिविल हवाई-अड्डा

514. श्री बालकृष्ण वेंकना नायक : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों से कहा है कि वे सिविल हवाई अड्डों के निर्माण के सम्बन्ध में अपनी प्राथमिकतायें बतायें :

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा नव-निर्माण के लिए पहली प्राथमिकता वाले किन-किन सिविल हवाई अड्डों के सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1976 और 1977 में केन्द्र द्वारा किन नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क), (ख) और (ग) : सिविल विमानक्षेत्रों के निर्माण की योजनाएं नागर विमानन विभाग द्वारा पंचवर्षीय योजना के आधार पर बनाई जाती हैं। नए विमानक्षेत्रों का निर्माण नागर विमानन विभाग द्वारा किया जाता है, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नहीं। विमानक्षेत्रों का निर्माण करने एवं वर्तमान विमानक्षेत्रों का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्कीमें मंजूर की गयी हैं जिनका कार्यान्वयन वर्ष 1976 तथा 1977 में किया जाना है :—

(1) श्रीनगर में एक नए विमानक्षेत्र के काम्प्लेक्स का निर्माण ;

(2) बोइंग 737 विमानों के परिचालनों के लिए कोचीन स्थित वर्तमान नौसैनिक विमानक्षेत्र का विकास।

(3) डबोलिस (गोवा) में सिविल एन्क्लेव का विकास।

(4) गौहाटी विमानक्षेत्र पर धावन-पथ, एप्रन तथा टैक्सी-पथ को मजबूत करना।

(5) जोरहाट में सिविल एन्क्लेव का विकास।

(6) अमृतसर में टर्मिनल भवन का विस्तार।

(7) कानपुर स्थित भारतीय वायु सेना के विमानक्षेत्र पर सिविल एन्क्लेव का विकास।

(8) अहमदाबाद में नए टर्मिनल भवन का निर्माण।

इन कार्यों के पूरा होने में इनके प्रारम्भ होने की तारीख से लगभग 2 से 3 वर्ष लगते हैं।

बढिया और बहुत बढ़िया कपड़े पर मूल्य छापना

515. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़िया तथा बहुत बढ़िया कपड़े पर मूल्य नहीं छपा होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और मूल्य छापना कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) मिलों के लिए मिल निर्मित सूती कपड़े की सभी किस्मों पर, जिसमें फाइन तथा सुपर फाइन शामिल हैं, कीमतों का स्टैम्प लगाना जरूरी है। केवल औद्योगिक प्रयोग के लिए सप्लाई किए गए सूती कपड़े, निर्यात के लिए उत्पादित कपड़े और सरकार को सप्लाई किए गए कपड़े पर कीमत स्टैम्पिग योजना लागू नहीं होती।

ऋणों तथा अग्रिम राशियों के रूप में ऋण की सप्लाई

516. श्री नवल किशोर सिंह : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान ऋणों तथा अग्रिम राशियों के रूप में कितना धन सप्लाई किया गया; और

(ख) शेष आधे वर्ष के लिए यदि कोई प्रस्ताव है तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) दिसम्बर 1975 और जून 1976 के अन्तिम शुक्रवार के बीच की अवधि में वाणिज्यिक क्षेत्र को, दिए गए निवल बैंक ऋणों में, जो जनता के पास उपलब्ध मुद्रा पर प्रभाव डालने वाले कारणों में से एक है, 479 करोड़ रुपए की अथवा 12.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इससे एक वर्ष पहले इसी अवधि में 293 करोड़ रुपए अथवा 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(ख) सरकार उत्पादन तथा मूल्यों के उतार चढ़ाव को देखते हुए मुद्रा पूर्ति में होने वाली घटबढ़ पर कड़ी नजर रखती है और वर्ष की दूसरी छमाही में वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋण की राशि उत्पन्न होने वाली स्थिति पर निर्भर करेगी।

पर्यटक यातायात

517. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार कितने विदेशी पर्यटकों ने भारत का दौरा किया और इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके भारत आने वाले राष्ट्रिकों की संख्या प्रत्येक वर्ष कुल पर्यटन यातायात के दस प्रतिशत से अधिक रही; और

(ग) देश में अधिक से अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक आकर्षित करने के लिए बनाये गए कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस प्रयोजन के लिए हाल में क्या नई सुविधायें दी गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 1973 से 1975 तक पिछले तीन वर्षों में भारत आए विदेशी पर्यटकों की संख्या तथा

वर्तमान मूल्यों के आधार पर उनसे अर्जित अनुमानित विदेशी मुद्रा का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	आने वाले पर्यटकों की संख्या	अनुमानित अर्जित विदेशी मुद्रा (वर्तमान मूल्यों आधार पर) (करोड़ रुपयों में)
1973	409,895	71.1
1974	423,161	93.2
1975	465,275	104.2

(ख) केवल यू० के० और यू० एस० ए० ऐसे दो देश थे जिनके राष्ट्रिकों की संख्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कुल पर्यटन यातायात के 10 प्रतिशत से अधिक रही।

(ग) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विभाग द्वारा बनाई गयी योजनाओं में, अन्य चीजों के साथ-साथ पर्यटन के आधारभूत उपादानों (आवास तथा परिवहन) के परिनिर्माण एवं सांस्कृतिक पर्यटन तथा वन्य जीव पर्यटन की अभिवृद्धि के साथ-साथ पर्वतीय तथा समुद्रतटीय विहार स्थलों के विकास पर बल दिया जाता रहा है। इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर-इंडिया द्वारा विशेष रियायती किराये (जैसा कि इंडियन एयरलाइंस द्वारा 'डिस्कवर इंडिया' देशीय क्षेत्र में 14 दिन के लिए यू० एस० 200 डालर तथा 21 दिन के लिए यू० एस० 275 डालर के किराए तथा एयर इंडिया द्वारा उत्तरी अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा गल्फ क्षेत्र में सैर सपाटे के किराए, फ्रांस, स्वीजरलैण्ड और इटली के लिए युवकों के किराए तथा यू० के० जापान और उत्तरी अमेरिका से टूर किराए, चालू किए गए हैं। भारतीय रेलवेज़ ने भी विदेशी पर्यटकों के लिए 21 दिन के 'ट्रेवल ऐज़ यू लाइक' टिकटों की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त अवतरण परमिटों की, जिनके आधार पर बहु-प्रवेश व विदेशियों के लिए बिना वीसा, प्रवेश दिए जाने की, अवधि बढ़ा कर 28 दिन कर दी गई है। कुछ यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय करार करके बिना वीसा 90 दिन के वास की व्यवस्था की गई है। लगभग सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने अन्तःराज्यीय यातायात के लिए पर्यटन वाहनों के लिए सिंगल-प्वाइंट कर आधार योजना को स्वीकार किया है।

'पैसेफिक एरिया ट्रैवल एसोसियेशन' का नई दिल्ली में सम्मेलन

518. **श्री मोहिन्दर सिंह गिल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पैसेफिक एरिया ट्रैवल एसोसियेशन' सम्मेलन की, जो वर्ष 1978 में नई दिल्ली में होना है, तैयारी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिनिधियों के लिए आवास-स्थान का आरक्षण करने एवं कांफ्रेंस से पहले तथा बाद में उनकी यात्राओं का प्रबन्ध करने के लिए पर्यटन विभाग होटल मालिकों, यात्रा अधिकर्ताओं तथा पी० ए० टी० ए० मुख्यालय से निकट सम्पर्क बनाए हुए है।

पी० ए० टी० ए० की कांफ्रेंस जनवरी, 1978 में नई दिल्ली में करने का निर्णय किया गया है ।

पालम हवाई अड्डे पर निर्यात माल को सम्भालने के लिये विशेष यूनिट

519. **श्री मोहिन्दर सिंह गिल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए निर्यात को ध्यान में रखते हुए पालम हवाई अड्डे पर निर्यात माल को सम्भालने के लिए विशेष यूनिट स्थापित करने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) और (ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण दिल्ली विमानक्षेत्र पर कुछ ऐसी विदेशी विमान कम्पनियों के उपयोग के लिए, जिनके पास अपनी वेयर हाउसिंग सुविधायें नहीं हैं, एक बहुउपयोक्ता निर्यात कार्गो टर्मिनल की स्थापना कर रहा है। इस टर्मिनल का फर्शी-क्षेत्र लगभग 12,000 वर्ग फुट होगा। कार्गो टर्मिनल में उपयोक्ता विमान कम्पनियों, सीमा शुल्क तथा भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यालयों तथा निर्यात कार्गो की जांच-पड़ताल के लिए एक सार्वजनिक-स्थल के लिए भी स्थान होगा। टर्मिनल के इसी वित्तीय वर्ष में बन कर तैयार हो जाने की आशा है।

Constitution of Handloom Advisory Board

520. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government have constituted a Handloom Advisory Board;

(b) if so, the objectives and the number of members thereof; and

(c) whether a meeting of the Board was held recently and if so, the decisions taken therein for the promotion of handloom trade ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) Yes, Sir. Government have recently reconstituted the All India Handloom Board.

(b) The functions of the Board are broadly as under :—

(1) to generally advise the Central Government on dealing with the problems and difficulties of the handloom sector;

(2) to formulate development programmes and to suggest annual programmes and the financial outlay for the purpose;

(3) to assist in the formulation of Central and Centrally sponsored schemes and the monitoring of their implementation; and

(4) to consider the State Plan Schemes for the handloom sector, review their implementation and recommend annual allocation of funds for handloom development.

The Board has 40 members in all.

(c) Yes, Sir, on 28th July. 1976. The important recommendations are as under :—

(*i*) Regular and adequate supply of yarn at reasonable prices to handloom weavers should be ensured;

(*ii*) the differential rate of interest should be made applicable to all handloom weavers throughout India including weavers who are members of the handloom cooperative societies;

(*iii*) the scope for improvement of the present reservation order should be examined and the reservation order should be implemented effectively;

(*iv*) efforts should be made for the development and expansion of exports of handloom fabrics, made-ups and garments. The help of the Weavers Service Centres should be taken for developing new types of fabrics for exports. The Fabrics Society should be allowed to expand further to strengthen its export marketing channels; and

(*v*) the Government departments should increase the quantum of purchase of handloom goods.

World Bank Loan for Agricultural Development in Hoshangabad District

521. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the loan given by the World Bank for Agricultural Development in the Hoshangabad District of Madhya Pradesh is subject to certain conditions; and

(b) if so, the conditions thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C. SUBRAMANIAM) : (a) Yes, Sir.

(b) Hoshangabad District is covered by International Development Association (a soft lending affiliate of the World Bank) aided M.P. Agricultural Credit Project. The Project provides funds mainly for minor irrigation schemes in the State. The funds are utilised by the Agricultural Refinance and Development Corporation for Refinancing loans disbursed by participating commercial banks and primary land development banks The relevant conditions are :—

(*i*) appraisal and spacing of dug-wells by the State Ground Water Directorate according to spacing criteria laid down in the Agreement.

(*ii*) Viability of primary Land Development Banks as determined according to criteria which relate the level of their lending with their performance in recovering loans.

Tax evaders in Madhya Pradesh

522. SHRI G.C. DIXIT : Will the Minister of REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some tax defaulters and some tax evaders of Madhya Pradesh are absconding; and

(b) if so, the facts thereof ?

MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) As per information pesently available, there are no tax defaulters/tax evaders in Madhya Pradesh who are absconding.

(b) Does not arise.

केरल द्वारा जमा राशि से अधिकधन निकालना

523. **श्रीमती भार्गव तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य ने केन्द्रीय सरकार से अधिक धनराशि देने का अनुरोध किया है जिससे रिजर्व बैंक से लिए गए ओवरड्राफ्ट का भुगतान किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने केरल सरकार को कुछ धनराशि अग्रिम के रूप में दी थी जिसने बकाया ओवरड्राफ्ट का भुगतान 28 जून, 1976 को कर दिया था। राज्य सरकार पर तब से कभी भी ओवरड्राफ्ट की रकम लगातार सात दिन से अधिक बकाया नहीं रही है।

Modernisation of Textile Mills

524. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 161 on the 19th March, 1976 regarding modernisation of textile mills and state :

(a) whether the programme for modernisation of 87 mills under the Sick Undertakings (Notionalisation) Act, 1974 has been sanctioned, if so, mill-wise expenditure involved and the timely by which this work will be completed in the various States,

(b) the amount spent on each of the nine mills which have completed the first phase of modernisation and the names of these mills; and

(c) The names of 20 mills which are manufacturing fine and super-fine cloth and the amount spent by the National Textile Corporation on them ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) Yes, Sir. A Statement showing mill-wise details of financial outlay on modernisation is attached (Statement-I). The modernisation programmes are expected to be implemented within a period of two to three years.

(b) A statement containing the information is attached (Statement-II).

(c) A statement containing the information is attached (Statement-III).

Statement—I

Mill-wise details of financial outlay on modernisation programme

Sl. No.	Name of the mill	Total outlay (Rs. in lakhs)
1	2	3
1.	Ajudhia Textile Mills, Azadpur, Delhi	70·30
2.	Dayalbagh Spinning and Weaving Mills, Amritsar	75·59
3.	Suraj Textile Mills, Malout Mandi (Punjab)	138·43
4.	Mahalaxmi Mills, Beawar (Rajasthan)	14·86
5.	Edward Mills, Beawar (Rajasthan)	34·41
6.	Shree Bijay Cotton Mills, Bijainagar (Rajasthan)	98·11
7.	Bengal Nagpur Cotton Mills, Rajanndgaon (Madhya Pradesh)	99·38
8.	New Bhopal Textile Mills, Bhopal (Madhya Pradesh)	28·04
9.	Hira Mills, Ujjain (Madhya Pradesh)	119·47
10.	Swadeshi Cotton and Flour Mills, Indore (Madhya Pradesh)	36·11
11.	Burhanpur Tapti Mills, Burhanpur R.S. (Madhya Pradesh)	19·30
12.	Indore Malwa United Mills, Indore (Madhya Pradesh)	121·82
13.	Kalyanmal Mills, Indore (Madhya Pradesh)	99·30
14.	Muir Mills, Kanpur (Uttar Pradesh)	158·07
15.	New Victoria Mills, Kanpur (Uttar Pradesh)	99·40
16.	Bijli Cotton Mills, Hathras (Uttar Pradesh)	98·80
17.	Lord Krishna Textile Mills, Saharanpur (Uttar Pradesh)	87·26
18.	Shri Vikram Cotton Mills, Lucknow (Uttar Pradesh)	79·37
19.	Bengal Textile Mills, Cossimbazar (West Bengal)	23·25
20.	Manindra Mills, Cossimbazar(West Bengal)	3·10
21.	Bengal Fine Spinning and Weaving Mills, Mill No. 1, Konnagar, Hooghly, (West Bengal)	20·89
22.	Bengal Fine Spinning and Weaving Mills, Mill No. 2, Kataganj (West Bengal)	39·75
23.	Shree Mahalaxmi Mills, Palta (West Bengal)	66·55
24.	Rampooria Cotton Mills, Serampore (West Bengal)	46·53
25.	Laxmi Narayan Cotton Mills, Rishra (West Bengal)	45·73
26.	Arati Cotton Mills, Dassnagar, Howrah (West Bengal)	21·77
27.	Bengal Luxmi Cotton Mils, Serampore	50·65
28.	Associated Industries (Assam) (Spinning Unit) Chandrapur, Distt. Kamrup (Assam)	148·24
29.	Gaya Cotton and Jute Mills, Gaya (Bihar)	193·90
30.	Bihar Co-operative Weavers' Spinning Mills, Mokameh, Patna (Bihar)	105·68
31.	New Maneckchock Spinning and Weaving Mills, Ahmedabad (Gujarat)	74·15
32.	Ahmedabad New Textile Mills, Ahmedabad (Gujarat)	97·97
33.	Himabhai Manufacturing Mills, Ahmedabad (Gujarat)	48·66
34.	Rajkot Spinning and Weaving Mills, Rajkot (Gujarat)	50·02
35.	Mahalaxmi Mills Bhavnagar (Gujarat)	71·92
36.	Keshav Mills, Petlas (Gujarat)	48·59

(Rs. in lakhs)

1	2	3
37.	Jehangir Vakil Mills, Ahmedabad (Gujarat)	44·94
38.	Ahmedabad Jupiter Spinning, Weaving and Manufacturing Mills, Ahmedabad (Gujarat)	7·26
39 & 40.	Rajnagar Spinning, Weaving and Manufacturing Mills (2 units) Ahmedabad (Gujarat)	142·39
41.	Model Mills, Nagpur (Maharashtra)	53·32
42.	R. S. R. Gopaldas Mohta Spinning and Weaving Mills, Akola (Maharashtra)	25·70
43 to 48.	India United Mills, Bombay (6 Units) (Maharashtra)	493·11
49.	R.B. Bansilal Abirchand Spinning and Weaving Mills, Hinghanghat (Maharashtra)	82·50
50.	Vidarbha Mills, (Berar) Ellichpur (Maharashtra) ..	43·23
51.	Aurungabad Mills, Aurangabad (Maharashtra)	197·94
52.	Digvijay Spinning and Wevaing Mills, Bombay (Maharashtra) ..	49·98
53.	Chhaganlal Textile Mills, Chalisgaon (Maharashtra)	69·40
54.	Ahmedabad Jupiter Spining, Weaving and Manufacturing Mills, Bombay (Maharashtra)	94·00
55.	Edward Textile Mills, Bombay (Maharashtra)	118·13
56.	Jayashankar Mills Barsi, Barsi, District Sholapur (Maharashtra)	48·55
57.	New Kaiser-i-Hind Spinning and Weaving Mills, Bombay (Maharashtra) ..	141·45
58.	New Pratap Spinning, Weaving and Manufacturing Mills, Dhulia, West Khandesh	175·98
59.	Om Prasakthi Mills, Coimbatore (Tamilnadu)	33·02
60.	Cambodia Mills, Ondipudur, Coimbatore (Tamil Nadu) ..	54·41
61.	Kishnavani Textile Mills, Coimbatore (Tamil Nadu)	21·65
62.	Sri Ranga Vilas Ginning, Spinning and Weaving Mills Coimbatore (Tamil-Nadu)	73·30
63.	Somasundaram Mills, Coimbatore (Tamil Nadu)	38·12
64.	Coimbatore Murugan Mills, Coimbatore (Tamil Nadu)	66·65
65.	Kaleesawarar Mills, 'A' Unit, Coimbatore (Tamil Nadu)	84·30
66.	Pankaja Mills, Coimbatore (Tamil Nadu)	58·32
67.	Pioneer Spinners, Pioneernagar (Tamil Nadu)	22·20
68.	Coimbatore Spinning and Weaving Mills, Coimbatore (Tamil Nadu)	72·26
69.	Balarama Varma Textile Mills, Schencottah (Tamil Nadu)	25·12
70.	Sri Sarada Mills, Podanur (Tamil Nadu)	24·57
71.	Sri Bharathi Mills, Mudaliarpet, Pondicherry	111·36
72.	Azam Jahi Mills, Warangal (Andhra Pradesh)	99·50
73.	Netha Co-operative Spinning Mills, Secunderabad (Andhra Pradesh)	118·15
74.	Natraj Spinning and Weaving Mills, Nirmal, Adiladabad District (Andhra Pradesh)	103·70
75.	Anantapur Cotton Mills, Tadapatri (Andhra Pradesh)	57·93
76.	Tirupathi Cotton Mills, Ranigunta (Andhra Pradesh)	92·62

1	2	3
77.	Mysore Spining and Manufacturing Mills, Bangalore (Kanataka)	116·48
78.	Minerva Mills, Bangalore (Karnataka)	77·26
79.	Mahboob Shahi Kulbarga Mills, Gulbarga (Karnataka)	75·44
80.	Sree Yallamma Cotton, Woollen and Silk Mills, Yallamnagar (Karnataka)	73·20
81.	Cannanore Spinning and Weaving Mills, Cannanore (Kerala)	83·35
82.	Alagappa Textiles (Cochin) Mills, Alagappanagar (Kerala)	26·76
83.	Parvathi Mills, Quilon (Kerala)	15·26
84.	Kerala Lakshmi Mills, Trichur (Kerala)	64·32
85.	Vijaymohini Mills, Trivandrum	36·53
86.	Cananore Spinning and Weaving Mills, Mahe (Pondicherry)	53·56
87.	Central Cotton Mills, Howrah (West Bengal)	35·06

STATEMENT-II

The names and amounts sanctioned to nine mills which have completed first phase of modernisation

Sl. No.	Name of the Mills	Amount spent on modernisation (Rs. in lakhs)
1	2	3
1.	Ahmedabad New Textile Mills, Ahmedabad (Gujarat)	24·35
2.	New Maneckchock Spinning and Weaving Mills, Ahmedabad (Gujarat)	20·66
3.	New Bhopal Textile Mills, Bhopal (Madhya Pradesh)	28·04
4.	Hira Mills, Ujjain (Madhya Pradesh)	19·89
5.	Swadeshi Cotton and Flour Mills, Indore (Madhya Pradesh) ..	36·11
6.	Burhanpur Tapti Mills, Burhanpur R.S. (Madhya Pradesh)	19·30
7.	Somasundaram Mills, Coimbatore (Tamil Nadu) ..	38·12
8.	Cambodia Mills, Coimbatore (Tamil Nadu)	54·41
9.	Mysore Spinning and Manufacturing Mills, Bangalore (Karnataka)	16·86

STATEMENT-III

Statement showing the names of the 20 mills which in addition to coarse/medium varieties of cloth manufacture fine and superfine varieties of cloth, and the amounts sanctioned for their modernisation

Sl. No.	Name of the Mill	Amount sanctioned (Rs. in lakhs)
1	2	3
1.	New Maneckchock Spinning and Weaving Mills, Amedabad (Gujarat) ..	74·15
2.	Ahmedabad New Textile Mills, Ahmedabad (Gujarat)	97·97
3.	Himabhai Manufacturing Mills, Ahmedabad (Gujarat)	48·66

1	2	3
4.	Jehangir Vakil Mills, Ahmedabad (Gujarat)	44·94
5.	Ahmedabad Jupiter Spinning, Weaving and Manufacturing Mills, Ahmedabad (Gujarat)	7·26
6.	Rajnagar Spinning, Weaving and Manufacturing Mills, Ahmedabad (2 Units) (Gujarat)	142·39
7.	Model Mills Nagpur, Nagpur (Maharashtra)	53·32
8.	India United Mills, (Unit No. 1), Bombay (Maharashtra)..	493·11
9.	Vidarbha Mills (Berar) Ellichpur (Maharashtra)	46·23
10.	Digvijay Spinning and Weaving Mills, Bombay (Maharashtra)	49·98
11.	Ahmedabad Jupiter Spinning, Weaving and Manufacturing Mills, Bombay (Maharashtra)	94·00
12.	New Kaiser-i-Hind Spinning and Weaving Mills, Chinchpokli, Bombay (Maharahtra)	141·45
13.	Seksaria Cotton Mills, Bombay (Maharashtra)	—
14.	Somasundaram Mills, Coimbatore (Tamil Nadu)	38·12
15.	Coimbatore Murugan Mills, Coimbatore (Tamil Nadu)	66·65
16.	Coimbatore Spinning and Weaving Mills, Coimbatore (Tamil Nadu)	72·26
17.	Azam Jahi Mills, Warangal (Andhra Pradesh)	99·50
18.	Mysore Spinning and Manufacturing Mills, Bangalore (Karnataka)	116·48
19.	Mahboob Shahi Kulbarga Mills, Gulbarga (Karnataka)	75·44
20.	Manindra Mills, Cossimbazar (West Bengal)	3·10

राष्ट्रीय बैंकों की शाखाओं के विस्तार की योजना

525. **श्री नारायण चन्द पराशर:** क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी शाखाओं के विस्तार के लिए तीन वर्षीय योजना बनायी है;

(ख) क्या इनमें से कुछ बैंकों ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए किन्हीं प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है जो बृहत् तीन वर्षीय योजना का अंग बन सकता है; और

(ग) यदि हां, तो स्टेट बैंक आफ इण्डिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, यूनियन बैंक आफ इण्डिया और बैंक आफ इण्डिया द्वारा हिमचाल प्रदेश के लिए खोली जाने वाली नई शाखाओं के प्रस्तावों की रूपरेखा क्या है जिन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है अथवा जो विचाराधीन हैं?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों के 1976 की भावी योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में कार्यालय खोलने के स्थानों की स्वीकृति दे दी गई हैं। इन लाइसेंसों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में कार्यालय खोलने के लिए जून, 1976 के

अन्त तक वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल मिला कर 41 लाइसेंस थे। बकाया लाइसेंसों का बैंकवार वितरण नीचे दिया जा रहा है :—

1. भारतीय स्टेट बैंक	12
2. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	3
3. पंजाब नेशनल बैंक	9
4. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2
5. यूनियन बैंक आफ इंडिया	2
6. बैंक आफ इंडिया	1
7. अन्य बैंक	12

Plant for Production of Morphine

526. DR. LAXMINARAYAN PANDEY : Will the Minister of REVENUE AND BANKING be plesed to state :

(a) whether it is proposed to set up a plant in Mandsaur District of Madhya Pradesh for producing morphine from the poppy husk or a demand for the same has been made;

(b) whether Mandsaur district of Madhya Pradesh leads in opium production in India; and

(c) if so, the action taken by Government for setting up a plant there for producing morphine from poppy husk ?

MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPTT. OF REVENUE & BANKING (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) No decision regarding the location of the plant has yet been taken. However, Madhya Pradesh Government have suggested certain sites in Mandsaur and Ratlam Districts. Rajasthan Government have also suggested certain sites for the project in their State. These suggestions are under consideration.

(b) Yes, Sir.

(c) The work of preparation of Feasibility Report for setting up a plant for extraction of morphine and other alkaloids from llanced poppy husk in technical collaboration with Yugoslavia has been entrusted to M/s Engineers India Ltd., who are expected to submit the Feasibility Report shortly. Final decision on the proposed project will be taken after the Feasibility Report has been received and examined by the Government.

Smugglers at large

528. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of REVENUE & BANKING be pleased to state :

(a) the total number of smugglers absconding at present; and

(b) whether there are smugglers who have taken shelter in foreign countries and if so, the names of such countries ?

MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPTT. OF REV. & BANKING (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) As on 31-7-76 out of 2519 persons ordered to be detained under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, 346 persons had not been detained and/or were absconding.

(b) Reports received indicate that some of these persons are in Hong Kong, Ceylon, Nepal, Dubai, Bangladesh, U.K., Singapore, United Arab Emirates and Japan.

Arrest of Foreign Smugglers

529. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) the total number of foreign smugglers arrested on the borders of Nepal, Bangladesh and Pakistan after the proclamation of emrgency and the county-wise number thereof;

(b) the nature and the value of the goods seized from the arrested smugglers; and

(c) the total number of cases of smuggling of Indian goods to foreign countries detected, the nature of goods which were being smuggled and countries to which these goods were being smuggled ?

MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPTT. OF REVENUE & BANKING (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) 71 foreign smugglers were arrested on the border of Nepal, Bangladesh and Pakistan for the period from the proclamation of Emergency upto 31-7-76. The country-wise list is as below :—

Nepal	38
Bangladesh	20
Pakistan	3
Federal Republic of Germany	2
Italy	1
Korea	1
Canada	1
France	1
Venezuela	1
U.S.A.	1
Afghanistan	1
U.K.	1

(b) & (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

Production of Opium in India

530. SRI BHAGIRATH BHANWAR
DR. LAXMINARAYAN PANDEYA } : Will the Minister of REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) the quality of opium produced in the country as compared to that produced n other countries;

(b) whether quality of opium produced in India is inferior and if so, whether any cientific process if under consideration to improve it;

(c) how do the prices of indigenous opium compare with the prices in other countries; and

(d) whether any efforts have been made to secure better prices and increased demand for Indian opium in international markets ?

MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) & (b) The quality of opium depends on its

alkaloidal contents. The alkaloidal contents (viz. morphine, codeine etc.) in the Indian opium compare very favourably with those in opium produced in countries like Iran and Pakistan etc. Nevertheless scientific research is being conducted to further improve the quality of Indian opium.

(c) & (d) Since India is the only country exporting licit opium to the world community the question of comparison of Indian export price with that of any other country does not arise. The export price of Indian opium is fixed taking into account all relevant factors such as prevailing drug prices in international market, availability of alternative sources of raw material and development of synthetic substitutes. The demand for Indian opium has been steadily increasing amongst foreign buyers because of certain factors, one of which is our realistic pricing policy.

अरण्य निवास होटल, केरल

531. **श्री वयालार रवि :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने ठेक्कड़ी स्थित अरण्य निवास होटल के दूसरे चरण के विकास के लिए किसी वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) (ख) और (ग) : केरल सरकार ने ठेक्कड़ी स्थित अरण्य निवास होटल के दूसरे चरण का विस्तारकार्य करने के लिए, जोकि अब पूरा हो चुका है, केन्द्रीय सरकार के अंश के रूप में 2,86,010 रुपए की राशि की निधियों का विमोचन करने का अनुरोध किया था । अपेक्षित राशि का विमोचन प्रक्रियागत (प्रोसीजरल) औपचारिकताएं पूरी होने पर किया जाएगा ।

भारत और फ्रांस के बीच व्यापार का विस्तार

532. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-फ्रांस आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग की संयुक्त समिति की कोई बैठक हाल ही में पैरिस में हुई थी;

(ख) भारत और फ्रांस के बीच व्यापार के विस्तार के बारे में इस बैठक में किन-किन मामलों पर विचार-विमर्श किया गया; और

(ग) क्या तीसरे देशों में फ्रांस के साथ संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग की भारत-फ्रांस समिति की स्थापना पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से फ्रांस के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के समय 26 जनवरी, 1976 को की गई थी।

उन विभिन्न विषयों पर जो 1977 के शुरू में होने वाले आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग की भारत-फ्रांस समिति के पहले अधिवेशन के दौरान लिए जायेंगे, विचार-विमर्श करने के लिए मंत्री स्तर पर परामर्श पैरिस में 5 से 9 जुलाई, 1976 तक किए गए।

(ख) तथा (ग) : इस बैठक में विचार-विमर्ष में द्विपक्षीय व्यापार में प्रवृत्ति का पुनर्विलोकन किया गया तथा भावी संभाव्यताओं का पता लगाया गया। भारत तथा फ्रांस के बीच औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया गया तथा तीसरे देशों में भारत-फ्रांस सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया गया।

इस पर सहमति हुई कि फोर्जिंग्स कास्टिंग्स, हाथ के औजार, इलैक्ट्रोनिक्स संघटक, कोयला तथा लौह अयस्क जैसे अनेक इंजीनियरी सामान के फ्रांस को निर्यात करने की विशेष रूप से आशाजनक सम्भावनाएं हैं। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों ने दीर्घावधि सप्लाई व्यवस्था की सम्भावना पर भी विचार-विमर्श किया। इस पर भी सहमति हुई कि आटोमोटिव उपस्कर, मशीन विनिर्माण, विद्युत् उत्पादन, निर्माण तथा मशीन औजारों जैसे अनेक क्षेत्रों में पारस्परिक हित तथा तुलनात्मक लाभ पर आधारित उत्पादन सहयोग की पर्याप्त गुंजाइश है।

व्यापार एवं औद्योगिक सहयोग की और अधिक सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए फ्रांस सरकार ने यह भी बताया है कि वे निकट भविष्य एक में उच्च शक्ति प्राप्त औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजने के बारे में विचार कर रहे हैं। उनके दौरे का लक्ष्य प्रथमतः फ्रांस के उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने में भारतीय उद्योग की क्षमता का मूल्यांकन करना तथा साथ ही तीसरे देशों में संयुक्त उद्यम, संयुक्त रूप से टेंडर भरना तथा उप-संविदा करना होगा।

दोहरा कराधान कन्वेंशन

533. श्री आर० के० सिन्हा : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरा कराधान विषय के लिए वृहत् कन्वेंशन के बारे में भारत सरकार के अधिकारी लंदन में ब्रिटिश अधिकारियों से जुलाई में मिले थे;

(ख) क्या अस्थायी रूप से अथवा अन्तिम रूप से कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ ग्रस्त मुद्दों पर सहमति हो गई है लेकिन कुछ अन्य मुद्दों के सम्बन्ध में परस्पर स्वीकार्य हल नहीं ढूंढे जा सके हैं और इन्हें वार्ता के अगले दौर में विचार-विमर्श के लिए रख लिया गया है।

(ग) दोहरे कर निवारणार्थ करार के ब्यौरे, तब ही प्रकट किए जाते हैं जब करार पर पूरा समझौता हो जाता है और करार लागू हो जाता है। इसलिए इस स्थिति में उन मुद्दों की मुख्य बातों को प्रकट करना संभव नहीं है, जिन पर अब तक सहमति हो चुकी है।

Opening of New Branches by Banks in Madhya Pradesh for Credit Facilities to Harijans and Adivasis

534. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of REVENUE AND BANKING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3533 on the 7th May, 1976 regarding opening of branches of nationalised banks in Madhya Pradesh and state shether Government propose to open banks at district, tehsil and village levels on a large scale to enable the Adivasis and Harijans to obtain loans from them at a low rate of interest by pawning their ornaments and other valuables ?

MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPTT. OF REV. AND BANKING (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : While the selection of different centres by the commercial banks, including public sector banks, or oepening of branches is dependent on the availability of infra-structure facilities and development potential to sustain the branches, the public sector banks are continuing their accent on opening more branches in unbanked/underbanked rural and semi-urban areas, particularly at unbanked blocks, and teshil headquarters. In the context of the implementation of the 20-Point Programme the public sector banks and the Regional Rural Banks are endeavouring to meet the production credit needs of weeker sections of the community in the rural areas so as to cover the gap created by the elimination of moneylender. In districts included under the scheme of Differential Interest Rate, the public sector banks extend assistance, within the specified ceilings, to eligible persons at the prescribed concessional rate of interest.

दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारतीय शिष्टमण्डल

535. **श्री समर मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री के नेतृत्व में हाल ही में कोई भारतीय शिष्ट मंडल दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में भेजा गया था;

(ख) क्या इस शिष्टमण्डल ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क), (ख) और (ग) राजस्व और बैंकिंग मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों का दो चरणों में दौरा किया है। दौरे का दूसरा चरण 4 अगस्त, 1976 को समाप्त हुआ। हांगकांग, फिलिप्पाइन और मलेशिया के दौरे के प्रथम चरण के बाद प्रतिनिधि मंडल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

(1) मुद्रा बाजार में उपलब्ध अत्यधिक मुक्त संसाधनों और बढ़ते हुए मुक्त अंतः बन्दरगाह व्यापार के कारण हांककांग में व्यापारिक प्रकार की बैंकिंग संस्थानों की स्थापना करने के अच्छे अवसर हैं;

(2) इस क्षेत्र के देशों की पूंजी और तकनीक की स्पलायी की दृष्टि से स्थिति भारत के अनुकूल है; और

(3) संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं को स्वीकृत करने और उनको चलाने की एक समन्वित योजना बनाने की आवश्यकता है ताकि, जहां भी आवश्यक हो, अंतः मन्त्रालयी सीमाओं के विलम्ब को कम करके इन परियोजनाओं की समय पर सहायता की जा सके।

कोकिंग कोयले का निर्यात

536. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात किए जा रहे कोयले में कोकिंग कोयला भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रतिशतता क्या है; और

(ग) इस समय और भविष्य में हमारे लोहे के कारखानों पर कोकिंग कोयले का निर्यात से क्या प्रभाव पड़ेगा और कोकिंग कोयले की हमारी भावी आवश्यकतायें किस प्रकार पूरी की जायेंगी जब कि हमारे कोकिंग कोयले के निक्षेप सीमित ह ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हथकरघा क्षेत्र द्वारा धोतियों और साड़ियों का उत्पादन

537. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र ने नियन्त्रित किस्म की धोतियों और साड़ियों का उत्पादन आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

युगांडा में उद्योगों की स्थापना

538. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगांडा में उद्योगों की स्थापना के लिए इस देश के साथ हाल ही में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत के गणराज्य की सरकार तथा युगांडा की सरकार के बीच आर्थिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर 2 जुलाई, 1976 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) भारत सरकार, युगांडा सरकार को लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों की स्थापना तथा युगांडा चीनी वर्क्स, लुगाजी के पुनर्वास तथा विस्तार के लिए सहयोग प्रदान करेगी। वस्त्र मिलों को मशीनें तथा विभिन्न उद्योगों के लिए फालतू पुर्जों की सप्लाई, विद्युत् उत्पादन क्षमता के लिए उपस्कर तथा इसके साथ-साथ विशेषज्ञों तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की सप्लाई और संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए भी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

कपड़े के मूल्यों में वृद्धि

539. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष में कपड़े के मूल्यों में बहुत वृद्धि हुई है और इसमें कमी की प्रवृत्ति नहीं दिखाई दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कपड़े के मूल्यों में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) मिल कपड़े की थोक कीमतों के सूचकांक के अनुसार, उनकी कीमत स्तर जून, 1976 के दौरान जून 1975 की अपेक्षा 1.·68 प्रतिशत कम था।

(ग) सरकार कीमत स्थिति पर निगरानी रख रही ह।

कोयले का निर्यात लक्ष्य

540. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में कोयले का निर्यात लक्ष्य देश में पत्तनों की निपटान क्षमता म कमी के कारण पूरा होने की संभावना नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) 1976-77 में कोयले का निर्यात लक्ष्य अभी निर्धारित किया जाना है। पत्तनों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है जिससे गत तीन वर्षों में लगभग 4 लाख मे० टन के वार्षिक औसत निर्यात की तुलना में कोयले के निर्यात में काफी वृद्धि हो सके।

बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान

541 **श्री एम० राय गोपाल रेड्डी** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1700 बैंकों के माध्यम से सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशनों की अदायगी की स्कीम की घोषणा 11 जून, 1976 को की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पेंशनभोगियों सहित केन्द्रीय सरकार के सभी सिविल पेंशनभोगी (रक्षा, रेलवे और डाक-तार विभागों के पेंशनभोगियों को छोड़कर) आते हैं। मुख्य बातें ये हैं :—

(i) प्रारम्भ में यह स्कीम सात महानगरों अर्थात् दिल्ली/नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद और लखनऊ में शुरू की गई है। बाद में इसे अन्य केन्द्रों में भी लागू कर दिया जाएगा।

(ii) उक्त शहरों में पेंशनभोगियों को यह विकल्प दिया गया है कि वे सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक की अपनी पसंद की किसी भी शाखा से पेंशन ले सकते हैं।

(iii) सरकारी क्षेत्र के बैंक, जुलाई, 1976 के महीने की और उसके बाद के महीनों की पेंशनों की अदायगी का प्रबन्ध पहली अगस्त, 1976 से करेंगे।

(iv) पेंशन की अदायगी सीधे ही की जाएगी, कोई बिल पेश करने की जरूरत नहीं होगी। मासिक पेंशन की रकम, पेंशनभोगी द्वारा चुनी गई, शाखा द्वारा अगले महीने के शुरू में उसके बचत/चालू खाते में जमा कर दी जाएगी।

(v) अदायगी करने वाली शाखा में व्यक्तिगत शिनाख्त का काम खत्म कर दिया गया है। अब केवल पहली बार शिनाख्त की जाएगी।

(vi) इस स्कीम में परिवार पेंशनों और पेंशनों के रूपांतरित मूल्य की अदायगी भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई है।

मूल्यों में वृद्धि

542. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री एस० आर० दामाणी
श्री दिनेश जोरदर
श्री एच० एन० मुकर्जी
श्री डी० के० पंडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी मात्रा में सुरक्षित भंडार के उपलब्ध होने तथा पिछले मौसम में भरपूर फसल होने के बावजूद खाद्यान्नों सहित मूल्यों में हाल की वृद्धि के कारणों का कोई विश्लेषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) 20 मार्च, 1976 और 10 जुलाई, 1976 के बीच, हाल ही में, मूल्य वृद्धि की जो प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है, वह अंशतः सट्टेबाजी तथा जमाखोरी के कारण हुई है। मानसून वर्षा शुरू होने में कुछ विलम्ब हो जाने तथा मौसमी हालात के कारण भी यह प्रवृत्ति कुछ हद तक उग्र हुई है। अनाज के मूल्यों में जिसका सरकार ने पर्याप्त भंडार भी बना लिया है, बहुत मामूली वृद्धि हुई है, परन्तु सामान्य सूचक अंक में जो वृद्धि हुई है वह मुख्य रूप से, फलों तथा सब्जियों, खाद्य तेलों, गुड़, तेलहन तथा कपास आदि जैसी वस्तुओं के मूल्य में हुई बढ़ोतरी के कारण हुई है।

(ग) जिन वस्तुओं के मूल्य में तेजी से वास्तविक वृद्धि हुई है, सरकार ने खास तौर पर उन ही वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि करने, उनकी वितरण व्यवस्था में सुधार करने तथा सट्टेबाजी के कारण उत्पन्न उनकी मांग पर काबू पाने के लिए अनेक उपाय किये हैं। इनके अन्तर्गत ये उपाय शामिल हैं: (1) खाद्य तेलों का अधिक मात्रा में आयात तथा बनास्पती

उद्योग के द्वारा देशी तेलों की खपत के संबंध में सीमा का निर्धारण, (2) कपास तथा कृत्रिम रेशे का और अधिक आयात, (3) अधिक मात्रा में चीनी का दिया जाना, (4) व्यापारियों के पास तेलहन के स्टाक और व्यापारियों तथा कारखानों के पास कपास के उपलब्ध स्टाक को विनियमित करना, (5) भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कपास, तेलहन तथा खाद्य तेलों के आधार पर दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों पर नियंत्रणों को और कड़ा करना; (6) जमाखोरों तथा सट्टेबाजों के विरुद्ध चलाए गए अभियान को और तेजी से चलाना।

इन उपायों से तथा पहले से किए जा रहे उपायों से, जो जुलाई के महीने के मध्य से मानसून के अनुकूल रहने से और भी जोरदार हो गए हैं, मूल्यों की स्थिति पर बहुत अच्छा असर पड़ा है।

संकटग्रस्त पटसन मिलें

543. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि राज्य में 18 पटसन की मिलें चिन्ता का कारण बनी हुई हैं इसलिए इन संकटग्रस्त मिलों को निकट भविष्य में अधिकार में लेना पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या इन मिलों की देख-रेख करने के लिए राष्ट्रीय पटसन निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) पटसन उद्योग की हालत बहुत अच्छी नहीं है और स्थिति चिन्ता का कारण बनी हुई है। उन सभी एककों को अपने हाथ में लेने का कोई विचार नहीं है जो संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहे हैं।

(ग) फिलहाल राष्ट्रीय पटसन निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

संशोधित ऊर्जा नियन्त्रण आदेश पटसन उद्योग पर लागू

544. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जुलाई, 1976 से पटसन उद्योग पर लागू होने वाले हाल ही के पश्चिम बंगाल सरकार के संशोधित ऊर्जा नियंत्रण आदेश के लिए सरकार की मंजूरी ली गई थी;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप 14 जुलाई, 1976 के पूर्व पटसन माल के प्रचलित स्तर के उत्पादन प्रति माह 25,000 से 75,000 टन तक कम हो जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप पटसन मिलों द्वारा कच्चा पटसन खरीदे जाने में कमी करने से इस के मूल्यों में गिरावट पैदा होगी?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 14 जुलाई, 1976 से पटसन उद्योग पर लागू संशोधित ऊर्जा नियंत्रण आदेश शुरू किये जाने के अपने विनिश्चय के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकार को सूचित किया था।

(ख) अस्थायी प्राक्कलनों के अनुसार संशोधित ऊर्जा नियन्त्रण आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों द्वारा 74-77 हजार मे० टन के बीच पटसन माल का मासिक उत्पादन किये जाने की आशा है।

(ग) भारतीय पटसन निगम के कीमत समर्थन कार्यों के लिए उसकी पूरी वित्तीय आवश्यकता इस वर्ष पूरी की जायेगी ताकि कीमतें कानूनी न्यूनतम स्तरों से नीचे न जा सकें।

कोचीन और कालीकट के हवाई अड्डों के सुधार सम्बन्धी योजना

545. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कोचीन और कालीकट के हवाई अड्डों के सुधार सम्बन्धी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क), (ख) और (ग) कोचीन के वर्तमान नौसैनिक विमानक्षेत्र के धावन-पथ को 70.05 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 600 फुट तक बढ़ाने तथा उसे एल० सी० एन० 40 तक मजबूत करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है जिससे कि उसे बोइंग 737 विमानों के परिचालन के योग्य बनाया जा सके।

जहां तक कालीकट के निकट कारीपुर स्थित विमानक्षेत्र के निर्माण का प्रश्न है, वहां एक विमानक्षेत्र का निर्माण करने के लिए 213.65 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गयी थी। केरल सरकार ने एक पहुंच मार्ग का निर्माण किया। इस प्रायोजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में सम्मिलित किया गया था। परन्तु, विमानन ईंधन के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के परिणामस्वरूप परिचालनों की लागत में वृद्धि होने तथा अपने विमान बेड़े की तंग स्थिति के कारण, इंडियन एयरलाइंस को अपनी योजनाओं का पुनर्विलोकन करना पड़ा तथा अपने आपको पांचवीं योजनावधि में कालीकट के लिए परिचालन करने में असमर्थ पाया। प्रस्ताव का संसाधनों के उपलब्ध होने की स्थिति में फिर से पुनरालोकन करने का प्रस्ताव है।

केरल में अनूसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों को बैंक ऋण

546. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 और 1976 के दौरान केरल राज्य के अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों तथा अन्य कमजोर वर्गों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी राशि के ऋण दिये गये; और

(ख) 1 अप्रैल, 1976 को विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी : (क) आंकड़े सूचित करने की वर्तमान प्रणाली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य अमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों विषयक आंकड़ों का पृथक् रूप से संकलन करने की व्यवस्था नहीं है। किन्तु वाणिज्यिक बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के वर्गों और विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करते ह। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा केरल में उपर्युक्त वर्गों के ऋणकर्ताओं को मंजूर किये गये अग्रिमों का विवरण **विवरण** में दिया जा रहा है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-11069/76**]

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर विभाग द्वारा छापों के दौरान नकदी तथा बहुमूल्य वस्तुएं जब्त करना

547. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग ने मई, जून, जुलाई तथा अगस्त, 1976 के प्रथम सप्ताह के दौरान उन लोगों से, जिन्होंने पहले करों का अपवंचन किया था, कुल कितना धन, आभूषण, कीमती सामान तथा सम्पत्ति जब्त की है;

(ख) उनके राज्य-वार नाम क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में जब्त परिसंपत्तियों का मूल्य कितना है; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) इस अवधि में आयकर प्राधिकारियों द्वारा की गई तलाशी और अभिग्रहण संबंधी सभी कार्यवाहियों के बारे में आवश्यक विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि सारे देश में इस प्रकार की 6480 से अधिक कार्यवाहियां की गई हैं और इनमें 3.43 करोड़ से अधिक मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं। यदि माननीय सदस्य किसी (किन्हीं) विशिष्ट मामले (मामलों) अथवा क्षेत्र (क्षेत्रों) के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सूचना चाहते हों तो वह एकत्रित की जायेगी और उन्हें दे दी जायेगी।

(ग) जिस तलाशी में मूल्यवान परिसम्पत्तियां पकड़ी जाती हैं उसमें तलाशी के बाद पहला काम आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (5) के अन्तर्गत एक आदेश जारी करना होता है, जिसके द्वारा अघोषित आय का सरसरी तौर पर निर्धारण किया जाता है और अभिग्रहीत परिसम्पत्तियों में से उतनी को रोक लिया जाता है, जो अनुमानित अघोषित आय पर कर देयता (जिसमें ब्याज एवं दण्ड भी शामिल है) और विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत किसी वर्तमान देयता की सकल रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त हों।

इसके बाद नियमित कर-निर्धारण का कार्य शुरू किया जाता है और कानून के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही की जाती है जिसमें जहां आवश्यक हो दण्ड लगाना/अभियोग चलाना भी शामिल है।

अप्रत्यक्ष कर संरचना पर विचार करने के लिये समिति

548. **श्री चन्द्र शेखर सिंह**
श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री डी० डी० देसाई } : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में सभी अप्रत्यक्ष करों की वर्तमान संरचना पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है;

(ख) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) समिति के निर्देश पद क्या हैं; और

(घ) समिति द्वारा सरकार को अंतरिम तथा अन्तिम प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की आशा है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति को नियुक्त करने संबंधी सरकारी संकल्प की एक प्रति संलग्न है जिसमें समिति के सदस्यों के नाम और समिति के निर्देश पद दिये गये हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०-11070/76**]

(घ) संकल्प के अनुसार यह आशा की गई है कि समिति जुलाई, 1977 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर देगी।

आयकर विभाग द्वारा बम्बई में छापे मारा जाना

549. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के आसूचना विंग द्वारा बम्बई में मारे गए एक छापे के दौरान एक करदाता की 70 लाख रुपये की छिपी आय का पता चला है;

(ख) क्या उक्त कम्पनी के एक कर्मचारी के निवास स्थान से जब्त बहुत संदिग्ध दस्तावेजों से यह पता चला है कि उस कम्पनी ने ऐसे अनेक सौदे किए थे जो लेखा-पुस्तकों में दर्ज नहीं थे;

(ग) क्या अधिकारियों को विदेशी मुद्रा के कुछ संदिग्ध सौदों के बारे में भी पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) आयकर प्राधिकारियों द्वारा हाल ही में, बम्बई में संयंत्र संरक्षण उप-

करणों का निर्माण करने वाले एक व्यापारिक-प्रतिष्ठान एवं उससे सम्बन्धित मामलों में तलाशी तथा अभिग्रहण की कार्यवाही की गयी है। इससे भारी मात्रा में छिपाई हुई आय प्रकट हुई है। कच्ची सामग्री के लेखाबाह्य भण्डार तथा स्क्रेप की लेखाबाह्य बिक्री के रूप में 63.8 लाख रु० से अधिक की आय का छिपाना कर-निर्धारिती ने मंजूर कर लिया है।

पकड़ी गई बहियों/दस्तावेजों में, वे कागजात भी शामिल हैं जो एक कर्मचारी के निवास-स्थान से पकड़े गए थे और जिससे स्क्रप की लेखाबाह्य बिक्री का पता चलता है। 1.67 लाख रु० मूल्य के जेवर-जवाहिरात भी पकड़े गये हैं।

प्रकट रूप से 45 डालरों के लेन-देन के अतिरिक्त और कोई विदेशी-मुद्रा का लेन-देन जानकारी में नहीं आया है।

आगे जांच की जा रही है। कानून के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी।

भारत-पाकिस्तान विमान समझौता

550. श्री डी० बी० चन्नगौडा
चौधरी राम प्रकाश } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तथा पाकिस्तानी राष्ट्रीय विमान सेवायें इन दो देशों के बीच उड़ानें करने के लिए सहमत हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) समझौते के अनुसार, इंडियन एयरलाइंस तथा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर लाइंस दोनों ही को किसी भी विमान द्वारा जिसकी धारिता बोइंग 707 की क्षमता से अधिक न हो अपने-अपने प्रदेशों में समाप्त होने वाले मार्गों पर प्रति सप्ताह कुल 9 सेवाएं परिचालित करने का अधिकार होगा। सहमत मार्ग करांची-दिल्ली, करांची-बम्बई तथा लाहौर-दिल्ली हैं। किसी भी एक मार्ग पर कोई भी एयरलाइंस सप्ताह में चार सेवाओं से अधिक परिचालित नहीं करेगी।

आरम्भ में इंडियन एयरलाइंस और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस दिल्ली और लाहौर तथा बम्बई और करांची के बीच प्रत्येक सप्ताह दो सेवाएं और दिल्ली तथा करांची के बीच प्रत्येक सप्ताह एक सेवा के परिचालन करने पर सहमत हुई हैं। यातायात की मांग के आधार पर, दोनों एयरलाइनें आपसी समझौते द्वारा अपने-अपने अधिकारों के अन्तर्गत उड़ानों की आवृत्तियों (फ्रीक्वेंसीज़) की संख्या में वृद्धि करेंगी।

बम्बई-करांची तथा दिल्ली-लाहौर मार्गों पर हवाई सेवाएं 21 जुलाई, 1976 को प्रारम्भ की गईं। दिल्ली-करांची मार्ग पर सेवाएं 7-8-1976 को प्रारम्भ की गयीं।

भारत और पाकिस्तान के बीच गैर-सरकारी व्यापार

551. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा**
श्री अर्जुन सेठी } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच गैर-सरकारी व्यापार पुनः आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते में किन-किन वस्तुओं को शामिल किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी हां।

(ख) करार में व्यापार के लिए कोई विशिष्ट मदें शामिल नहीं की गई हैं।

रेलवे वैगन निर्यात क्रयादेश

553. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने रेलवे वैगनों का निर्यात क्रयादेश मिला हुआ है तथा ये क्रयादेश किन देशों से प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन क्रयादेशों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाएगी; और

(ग) इन क्रयादेशों को पूरा करने के लिए कौन-सी एजेन्सियां जिम्मेदार हैं तथा क्या विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के लिए आगामी पांच वर्षों के दौरान रेलवे वैगनों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु आगे कोई प्रयास किए जा रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में विकास के बृहत् कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) ईरान, बंगलादेश, यूगोस्लाविया, जाम्बिया, तंजानिया तथा श्रीलंका को वैगनों के निर्यात के लिए 2,771 लाख रु० मूल्य के छः क्रयादेश हाथ में हैं।

(ग) भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लिमिटेड इन निर्यात क्रयादेशों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। चुने हुए क्षेत्रों अर्थात् दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व तथा पश्चिम अफ्रीका, पूर्वी यूरोप तथा पश्चिम एशिया को वैगनों का निर्यात बढ़ाने के लिए निरन्तर तीव्र प्रयत्न किये जा रहे हैं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से बेराइटिस का निर्यात

554. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों की तुलना में वर्ष 1975-76 के दौरान कितने टन बेराइटिस का निर्यात किया गया और कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई तथा वर्ष 1976-77 के दौरान तत्सम्बन्धी संभावनाएं क्या हैं ;

(ख) जब से बेराइटिस का निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से होना शुरू हुआ है तब से इस निगम ने इस मद के लिए कितनी राशि के क्रयादेश प्राप्त किये हैं;

(ग) इस मद को खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात करने को क्यों बाध्य होना पड़ा;

(घ) क्या पहले इसका निर्यात छोटे पैमाने पर प्रोसेस करने वालों तथा निर्यातकों द्वारा किया जाता था और अब इसका निर्यात इस निगम के माध्यम से किये जाने के फल-स्वरूप इस उद्योग में लगे अनेक कारीगर और गर-कारीगर श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार यथापूर्व स्थिति लाने और इस कार्य को इस छोटे पैमाने के उद्योग के हवाले करने का है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1975-76 में बेराइटिस के निर्यात 1.50 लाख मै० टन रहे जिनका मूल्य 6.73 करोड़ रु० था जबकि 1974-75 में 3.75 करोड़ रु० मूल्य के 1.41 लाख मे० टन तथा 1973-74 में 1.66 करोड़ रु० मूल्य के 0.80 लाख मे० टन के वास्तविक निर्यात हुए थे। 1976-77 के लिए 2 लाख मे० टन का निर्यात लक्ष्य है।

(ख) यह देखते हुए कि विद्यमान संविदाएं निर्यात लक्ष्य से अधिक ही ह, खनिज तथा धातु व्यापार निगम फिलहाल कोई नया सौदा नहीं कर रहा है।

(ग) बेराइटिस के निर्यातों का मार्गीकरण अन्य बातों के साथ-साथ इस प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, विदेशी मुद्रा की आय अधिकाधिक बढ़ाने तथा बेराइटिस के ढेलों की बजाय पाउडर के निर्यात बढ़ाने की जरूरत को देखते हुए उसके निर्यातों का विनियमन करने के लिए किया गया है।

(घ) तथा (ङ): इस नीति को बदलने का कोई विचार नहीं है। इस समय विद्यमान व्यापारिक चैनल उसी तरह व्यापार में भाग ले रहे हैं जिस प्रकार वे मार्गीकरण पहले भाग लेते थे इस लिए मार्गीकरण के परिणामस्वरूप बेरोजगारी होने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख पण्य वस्तुओं का निर्यात

555. **श्री एस० आर० दामाणी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में प्रत्येक प्रमुख पण्य वस्तु के निर्यात के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारी प्रमुख पण्य वस्तुओं की मांग सुनिश्चित करने तथा मूल्य स्थिति देखने के लिए किए गए अध्ययन की मोटी रूपरेखा क्या है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) वास्तविक निष्पादन तथा घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय, अन्य उपादानों को ध्यान में रख कर वर्ष के लिए निर्यात लक्ष्यों के निर्धारण का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है।

(ग) मांग का निर्धारण, उसका बदलता हुआ ढांचा, स्वरूप तथा प्रतियोगिता की तीव्रता और कीमतें एक अनवरत क्रियाकलाप है। प्रमुख वस्तुओं के सम्बन्ध में राज्य व्यापार

निगम के विदेश स्थित कार्यालय नियमित आधार पर जानकारी देते हैं और आवश्यकता होने पर विशेष अध्ययन करते हैं। चीनी, अरण्डी का तेल, सीमेंट, चांदी आदि की बाजार संभाव्यताओं के सम्बन्ध में मुख्य कार्यालयों/शाखाओं तथा विदेशी कार्यालयों में लघु अध्ययन किए जा चुके हैं। खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा, विश्व इस्पात उद्योग, जैसे कि उसके अगले पन्द्रह वर्षों में विकसित होने की संभावना है तथा लौह अयस्क की संभावित मांग (बाजार वार) का हाल ही में व्यापक सर्वेक्षण पूरा किया गया। अपने सामान्य कार्यों के दौरान भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने विगत दो वर्षों में कई महत्वपूर्ण अध्ययन किए जिनमें से ये उल्लेखनीय हैं; संयुक्त राज्य अमरीका में चुने हुए श्रम प्रधान इंजीनियरी उत्पादों के लिए बाजार सर्वेक्षण तथा सं० रा० अमरीका, फ्रांस, बेल्जियम तथा स्पेन में पटसन से बनी वस्तुओं के संबंध में बाजार सर्वेक्षण।

निपटान आयोग द्वारा मामलों का निपटाया जाना

556. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निपटान आयोग के स्थापित होने के बाद से इसके पास कितने मामले आए हैं;

(ख) इस आयोग ने कितने मामलों का निपटान किया है तथा इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई है और एक मामले को निपटाने में कितना औसत समय लिया है; और

(ग) इसमें कितना कर लगाया है और वसूल किया है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) समझौता आयोग के गठन के बाद 7-8-1976 तक आयोग को 91 मामलों में समझौते के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) (i) समझौता आयोग द्वारा 20 मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245 डी (1) अथवा धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 22 डी (1) के अन्तर्गत आवेदन पत्रों पर कार्यवाही नहीं करने के आदेश जारी किये गये हैं क्योंकि उस सम्बन्ध में सम्बन्धित आयुक्तों द्वारा इस आधार पर आपत्ति उठाई गई है कि आवेदकों द्वारा आय अथवा धन का छिपाया जाना अथवा कर-अपवंचन करने के लिए धोखा-धड़ी किया जाना किसी आयकर अथवा धनकर प्राधिकारी के समक्ष सिद्ध हो चुका है अथवा सिद्ध होने की सम्भावना है। समझौता आयोग ने छः मामलों में आवेदन-पत्रों पर आगे कार्यवाही करने के आदेश जारी किये हैं।

(ii) समझौता आयोग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों में अपनायी जाने वाली कार्यविधि की रूप-रेखा संलग्न विवरण में दी गई है।

(iii) किसी मामले का निपटान करने में लगने वाला समय मामले की प्रकृति और उसमें अन्तर्ग्रस्त जांच की जटिलता पर निर्भर करेगा। परन्तु आयोग यही प्रयत्न करेगा कि समझौतों को यथा-सम्भव शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाय।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि उन मामलों को छोड़कर जिनमें कि आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दी गई है, अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है जिसे आयोग द्वारा अन्तिम रूप से निपटाया गया हो।

विवरण

समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाही करने की कार्य-विधि

समझौते के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, पहले उसकी एक प्रति सम्बन्धित आयुक्त के पास, यथा स्थिति, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245 डी० (1) अथवा धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 22 डी० (1) के अन्तर्गत इसलिए भेजी जाती है कि वह इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दे कि आवेदन पत्र पर कार्यवाही करने की अनुमति दी जाए अथवा नहीं। आयुक्त से अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन-पत्र प्राप्त होने के एक मास के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उक्त रिपोर्ट की सामग्री के आधार पर और मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, समझौता आयोग या तो आवेदन-पत्र पर कार्यवाही करने अथवा उसको रद्द कराने का आदेश जारी करता है। किसी आवेदन-पत्र पर कार्यवाही नहीं की जाती है यदि आयुक्त इस आधार पर उस पर कार्यवाही करने के बारे में आपत्ति उठाता है कि आवेदक द्वारा यथास्थिति आय अथवा धन संबंधी विवरण का छिपाया जाना अथवा कर अपवंचन के लिए धोखा-धड़ी किया जाना किसी आयकर अथवा धन कर प्राधिकारी के समक्ष सिद्ध हो चुका है अथवा सिद्ध होने की सम्भावना है।

जहां किसी आवेदन-पत्र पर कार्यवाही करने की अनुमति दी जाती है, वहां आवेदक को एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें उसे नोटिस प्राप्त होने के एक मास के अन्दर, कुछ निर्धारित ब्यौरे सहित तथ्यों का एक विवरण भेजने के लिए निदेश दिया जाता है। विवरण प्राप्त होने पर ये कागजात सम्बन्धित आयुक्त को इसलिए भेजे जा सकते हैं कि वह मामले के गुण-दोषों के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। आयुक्त से अपेक्षा की जाती है कि वह इन कागजों से प्राप्त होने के एक मास के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, आयोग मामले के रिकार्ड मांग सकता है और आवश्यक समझी गई कोई और जांच अथवा छानबीन कर सकता है अथवा आयुक्त को कोई और जांच अथवा छानबीन करने के लिए और रिपोर्ट भेजने के लिए निदेश दे सकता है। मामले के रिकार्डों और आयुक्त की रिपोर्टों की जांच करने के बाद, और आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, समझौता आयोग, आयकर अधिनियम की धारा 245 डी (1) अथवा धनकर अधिनियम की धारा 22 डी (4) के अन्तर्गत यथास्थिति, समझौता आवेदन-पत्र का अन्तिम रूप से निपटान करते हुए आदेश जारी करता है।

मणिपुर में ग्रामीण बैंक

558. श्री० एन० टोम्बी सिंह : क्या राजस्व और बैंकिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर में अब तक कितने ग्रामीण बैंक खोले गए हैं;

(ख) क्या मणिपुर सरकार ने राज्य में और अधिक ग्रामीण बैंक खोलने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक इस सम्बन्ध में क्या स्थिति होने की सम्भावना है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क), (ख) और (ग): मणिपुर सरकार ने अपने राज्य में ग्रामीण बैंक खोलने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। किन्तु मणिपुर में अभी तक कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खुला है। चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक, देश के विभिन्न भागों में खोले जाने वाले 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्थानों के बारे में "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों विषयक संचालन समिति" द्वारा अन्तिम निर्णय किया जाना शेष है।

गोहाटी होते हुए कलकत्ता और इम्फाल के बीच बोइंग विमान सेवा

559. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता-गोहाटी-इम्फाल बोइंग सैक्टर में यात्रियों की भारी भीड़ रहती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गोहाटी होते हुए कलकत्ता और इम्फाल के बीच एक दैनिक बोइंग विमान सेवा आरम्भ करने का है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) इम्फाल के लिए बोइंग 737 सेवा में प्रति उड़ान 126 सीटों की व्यवस्था है जबकि औसत उपयोग केवल 89 सीटों का ही होता है। वर्तमान उपलब्ध क्षमता यातायात मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। क्षमता में वृद्धि करने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जाएगा जब यातायात मांग इस समय उपलब्ध क्षमता की व्यवस्था से बढ़ जाएगी।

पर्यटकों की रुचि के स्थानों पर सांस्कृतिक समारोह

560. **श्री नीति राज सिंह चौधरी**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक तथा प्राकृतिक स्थल बहुत हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटकों की रुचि के स्थानों पर प्रतिवेदन निश्चित समय पर नियमित रूप से सांस्कृतिक समारोह आयोजित करने का है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां। राष्ट्रीय स्मारकों और प्राकृतिक स्थलों के अतिरिक्त भारत में, और भी बहुत से आकर्षण हैं।

(ख) जी, नहीं। तथापि, पर्यटन विभाग पर्यटन मौसम के दौरान पर्यटकों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए होटल, सांस्कृतिक संगठनों जैसे सरकारी व ग़ैर-सरकारी संस्थानों एवं राज्य सरकार के पर्यटन विभागों को प्रोत्साहित करता रहता है। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने होटलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का तथा लाल किला, दिल्ली, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद और शालीमार बाग, श्रीनगर, में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकारों के पर्यटन विभागों से भी अपने-अपने राज्यों में स्थानीय मेलों और उत्सवों के अवसरों पर पर्यटन-उत्सवों का आयोजन करने का आग्रह किया गया है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम को घाटा

561. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम को हुए घाटों में 1976 में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान मिलों द्वारा उठाई गई हानि 6.59 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की उसी तिमाही के दौरान 19.51 करोड़ रुपए की हानि हुई थी।

"कर्मचारी पूंजी निवेश निगम"

562. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक कर्मचारी पूंजी निवेश निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस से कर्मचारियों की बचत की राशि का उपयोग किया जायेगा और उसे ऐसे उद्यमों में लगाया जायेगा जिनमें उनकी सरकार के साथ साझेदारी होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क), (ख) और (ग) : कर्मचारी पूंजी निवेश निगम की स्थापना करने के लिए अभी कोई योजना नहीं बनायी गयी है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त संस्थान

563. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त संस्थान की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो संस्थान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अप्रैल, 1976 में भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत "राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान" नामक एक संस्थान पंजीकृत किया गया है।

(ख) उसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(i) कराधान, सार्वजनिक व्यय, सभी स्तरों पर सरकार की वित्तीय नीतियों, अन्तः सरकारी वित्त-सम्बन्धों, गैर सरकारी/सरकारी उद्यमों की आर्थिक एवं मूल्य-निर्धारण नीतियों तथा इनसे संबंधित मामलों पर अनुसन्धान कार्य को प्रोत्साहन देना तथा अनुसन्धान करना;

(ii) सार्वजनिक वित्त के विश्लेषण की तकनीक के सम्बन्ध में प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना; और

(iii) केन्द्रीय/राज्य अथवा स्थानीय सरकारों आदि के अनुरोध पर सार्वजनिक हित वाले क्षेत्रों में (सलाह देने अथवा अनुसन्धान के सम्बन्ध में) कार्य आरम्भ करना।

एयर इंडिया पर लगाया गया जुर्माना

565. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2000 से अधिक पक्षियों की मृत्यु हो जाने के कारण लन्दन के एक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा एयर इंडिया पर 1000 पौंड का जुर्माना किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए तथा एयर इंडिया के अधिकारियों पर दायित्व निश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है तथा इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क), (ख), (ग) और (घ) 30 सितम्बर, 1975 को एयर इंडिया की दिल्ली/बम्बई/कुवैत/लन्दन उड़ान पर लन्दन के लिए विमान द्वारा ले जाए जा रहे लगभग 2000 पक्षियों के मरने की घटना के परिणामस्वरूप मिडिलसेक्स, लन्दन के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एयर इंडिया को 10,000/—स्टर्लिंग पौंड का जुर्माना किया है। कारपोरेशन ने कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध एक अपील दायर कर दी है।

एयर इंडिया द्वारा की गई घटना की जांच से पता चलता है कि जब विमान ने कुवैत में अवतरण किया तो एक इंजन में पक्षी के घुस व फंस जाने के कारण उस इंजन को बदलने की आवश्यकता पड़ी। परिणामस्वरूप लन्दन के लिए उड़ान में 32 घंटे की देरी हो गई। बहुत अधिक विलम्ब तथा अत्यधिक गर्मी के कारण, पक्षी जीवित नहीं बच पाए।

एयर इंडिया द्वारा इस घटना के लिए उत्तरदायी कुवैत स्थित अपने विमानक्षेत्र कर्मचारियों के विरुद्ध पहले ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी है। भेजे जाने वाले

पशुओं तथा पक्षियों को संभालने संबंधी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए पुनरीक्षण किया जा रहा हैं। ऐसा पुनरीक्षण होने तक, एयर इंडिया ने भेजी जाने वाली इस प्रकार की सामग्री को स्वीकार करना बन्द कर दिया हैं।

सरकारी दल द्वारा रूई उत्पादन करने वाले देशों का दौरा

566. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी दल ने कपास के आयात के उद्देश्य से कपास का उत्पादन करने वाले विभिन्न देशों का दौरा किया था, और

(ख) यदि हां, तो दल ने किन-किन देशों का दौरा किया और उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) (क) तथा (ख) : भारतीय रूई निगम तथा वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधियों ने रूई के आयात के लिए निम्नोक्त देशों का दौरा किया :—

अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, टर्की, यूनान, पाकिस्तान, सोवियत संघ, स्विटजरलैंड तथा ब्रिटेन।

प्रतिनिधि मंडल ने रूई के आयात को सुकर बनाने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किए।

एयर-इण्डिया द्वारा जीवित पशु-पक्षियों का परिवहन स्वीकार किया जाना

568. **श्री भान सिंह भौरा**
श्री डी० के० पंडा } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया ने जीवित पशु-पक्षियों का परिवहन करना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य तथा कारण क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस लेखा शीर्ष के अधीन वार्षिक आय कितनी हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : एक घटना के परिणामस्वरूप, जिसमें एयर इंडिया द्वारा 4 जून, 1976 को अपनी उड़ान संख्या ए० आई० 106 पर कानपुर चिड़ियाघर के लिए फ्रैंकफर्ट से नई दिल्ली के लिए विभिन्न प्रकार के पशुओं को लाते समय दो पशुओं की मृत्यु हो गई थी, एयर इंडियन ने जीवित पशुओं के वहन का अस्थायी तौर पर निलम्बित कर दिया है। अब तक की गई जांचों से एयर इंडिया के कर्मचारियों की ओर से किसी ढील का पता नहीं चला है। परन्तु, कारपोरेशन, भारत से मध्य-पूर्व के स्थानों के लिए एक दिन की आयु के छोटे-छोटे चूजे (चिक्स) ले जाती है जिसके लिए कोई यानांतरण नहीं करना पड़ता। मालिकों द्वारा ले जाए जा रहे पालतू पशुओं के वहन की भी अनुमति दी जा रही है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इससे हुई वार्षिक आय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	रुपयों में अर्जित राजस्व
1973-74 . .	16,81,476
1974-75 . . .	15,59,972
1975-76 . . .	16,68,141

पर्यटन यातायात

569. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान पर्यटक यातायात में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) 1974-75 और 1975-76 के आंकड़ों की तुलना में यह वृद्धि कितने प्रतिशत है;

(ग) अन्य देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या पर्यटक होटलों की ओर अधिक व्यवस्था करने तथा दर्शनीय स्थलों का विकास करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को धन देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की कोई योजना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां । भारत के लिए हमारे पर्यटक यातायात में जुलाई 1975 से जुलाई, 1976 तक की अवधि के दौरान 14.6 प्रतिशत हुई, जबकि 1974-75 में इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 8.4 प्रतिशत थी। यह वृद्धि मूल्यों में गिरावट, हवाई तथा रेल सेवाओं में समय पालन और देश में सामान्यतया स्थिरता की भावना के कारण हुई है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक यातायात में वर्तमान प्रवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए उन क्षेत्रों में अधिक अभिवृद्धिपरक प्रयत्न करने का प्रस्ताव है जहां से पिछले वर्षों की अपेक्षा पर्यटक यातायात की बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। ये क्षेत्र हैं : आस्ट्रेलिया, जापान, पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया। पहले कदम के रूप में, कुवैत में एक पर्यटक कार्यालय खोला गया है तथा अरबी और फारसी में पर्यटन साहित्य का प्रकाशन किया गया है। देश के अन्दर भी इंडियन एयरलाइन्स तथा रेलवेज द्वारा विशेष रियायती किराए चालू किए गए हैं; अवतरण परमिटों की अवधि को जिन में बहु-प्रविष्टि सुविधाएं सम्मिलित हैं बढ़ा कर 28 दिन कर दिया गया हैं ; तथा देश के अंदर पर्यटकों द्वारा सड़क यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए पर्यटक वाहनों के लिए एक "सिंगल प्वायंट टक्सेशन" चालू कर दिया गया है।

(घ) पर्यटन स्कीमों के लिए सहायक अनुदान के रूप में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की प्रणाली को चौथी पंचवर्षीय योजना से बंद कर दिया गया है। योजना आयोग ने पांचवीं योजना के दौरान राज्य-क्षेत्र की पर्यटन स्कीमों के लिए 35.09 करोड़

रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया है। राज्य सरकारों को पंचवर्षीय योजनाएं तथा उत्तरवर्ती वार्षिक योजनाएं बनाते समय सुझावों तथा विचार-विमर्शों के माध्यम से पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

जूट मिलों का बन्द होना

570. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1975 से जुलाई, 1976 के दौरान राज्य-वार, कितनी जूट मिलें बन्द हो गईं, कितनी में तालाबन्दी की गई तथा उस से कितने श्रम दिनों की हानि हुई है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

मंत्रालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 11071/76]

(ख) सरकार ने उद्योग की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कई उपाय किए हैं। तथापि औद्योगिक विवाद प्रमुख रूप से राज्य सरकारों का विषय है।

गोहाटी हवाई क्षेत्र

571. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी हवाई क्षेत्र के विस्तार तथा उसमें सुधार के लिए निर्णय लिया गया था और धनराशि मंजूर की गई थी; और यदि हां, तो कब ;

(ख) क्या इस पर काम आरम्भ हो गया है तथा उसमें अब तक कोई प्रगति हुई है;

(ग) क्या नागर विमानन विभाग ने इण्डियन एयरलाइंस को, इस हवाई क्षेत्र पर काम आरम्भ करने हेतु, गोहाटी को तथा वहां से अपनी उड़ानें नवम्बर, 1975 से, मध्याह्न पूर्व निश्चित करने को कहा था हालांकि वहां अब तक कोई काम आरम्भ नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) गोहाटी विमानक्षेत्र पर 80.49 लाख रुपए की अनुमानित लागत से धावन-पथ, टैक्सी-पथ तथा एप्रन को एल० सी० एन० 40 तक मजबूत करने के लिए 1 अप्रैल, 1975 को मंजूरी जारी की गई थी। बाद में, टैंडरों की जांच करने के पश्चात् इस राशि को बढ़ा कर 98.60 लाख रुपए कर दिया गया है तथा इस कार्य के सम्पादन के लिए अंतिम क्लीयरैंस 26-3-76 को दे दी गई। धावन-पथ की लम्बाई इंडियन एयरलाइंस द्वारा परिचालित विमानों के लिए पर्याप्त है।

(ख) जी, हां। ठेका मई, 1976 में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (भारत सरकार का एक उद्यम) को दिया गया था। उपकरण तथा मशीनरी उक्त स्थान पर लाए जा चुके हैं। तथा सामान की क्वालिटी की जांच की जा रही है। भू-कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

(ग) और (घ) : जी, हां। ऐसी आशा थी कि कार्य नवम्बर, 1975 में प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि सुरक्षा तथा अन्य पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए कार्य-क्षेत्र का पुनरीक्षण एवं संशोधन करना पड़ गया, अतः इसे कार्य रूप नहीं दिया जा सका। प्रायोजना को मार्च, 1976 में क्लीयर कर दिया गया तथा कार्य मई, 1976 में प्रारंभ हो गया है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

572. **श्री वरके जार्ज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने किन किन देशों को प्राकृतिक रबड़ का निर्यात किया और गत वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में इसका निर्यात किया गया ;

(ख) क्या रबड़ के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका भारत के रबड़ उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) राज्य व्यापार निगम ने पिछले वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ का निर्यात नहीं किया। उन्होंने चालू वर्ष के दौरान रबड़ के निर्यात के लिए जो संविदाएं की हैं वे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

ब्रिटेन	540 मे० टन
जापान	2,600 मे० टन
प० जर्मनी	1,275 मे० टन
इटली	200 मे० टन
नीदरलैण्ड	150 मे० टन
रूमानिया	20 मे० टन
योग	4,785 मे० टन

उपरोक्त मात्रा में से अब तक 4060 मे० टन माल भेज दिया गया है और शेष अगस्त, 1976 के दौरान भेजे जाने की संभावना है।

(ख) रबड़ के अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें पिछले छः महीनों से अनिश्चित रही हैं। लगभग पिछले छः सप्ताह से कीमत में गिरावट आई है।

(ग) इससे भारतीय रबड़ उद्योग पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

माल के संबंध (इन बांड) आवागन के लिए आटोमोबाइल टायर उद्योग का अनुरोध

573. **श्री वरके जार्ज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आटोमोबाइल टायर उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उसके माल के संबंध आवागमन की सुविधा पुनः दे दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) प्रार्थना पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया था किन्तु सरकार इसे स्वीकार करने में असमर्थ रही क्योंकि इसका केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता तथा इसमें कार्य-विधि संबंधी जटिलताएं अन्तर्निहित थीं।

ईराक के साथ व्यापार

574. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक के साथ व्यापार में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) ईराक के साथ भारत के व्यापार में विस्तार हो रहा है, सिर्फ पिछले वर्ष (1975-76) ईराक द्वारा अपनी विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए दुनियां भर से कतिपय मदों की खरीद कम कर दिए जाने से उसमें मामूली सी गिरावट आई थी।

पिछले चार वर्षों के दौरान ईराक के साथ हमारे व्यापारिक आदान-प्रदान निम्नोक्त प्रकार रह हैं :—

(मूल्य लाख रु० में)

	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
निर्यात	1,098	2,034	7,269	6,460
आयात	660	6,124	25,135	24,761
कुल व्यापारिक आदान प्रदान	1,758	8,158	32,404	31,221

1976-77 के दौरान प्रदर्शनियां

575. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने 1976-77 के दौरान कितनी प्रदर्शनियां आयोजित करने की योजना बनाई है तथा वे किन देशों में आयोजत की जाएंगी ;

(ख) प्रत्येक प्रदर्शनी के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है; और

(ग) इन प्रदर्शनियों के अधिकारी कौन-कौन व्यक्ति होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 11072/76]।

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधियां निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति

576. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधियां निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है ;
और

(ख) क्या हाल के महीनों में तस्करी में काफी कमी आई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों के अनुरक्षण और/अथवा वृद्धि के विरुद्ध कार्य करने के लिए, विदेशी मुद्रा अनुरक्षण तथा तस्करी निरोध अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा) के अन्तर्गत, 31 जुलाई, 1976 की स्थिति के अनुसार 208 व्यक्ति नजरबन्द थे। (1974 के अध्यादेश 11 द्वारा यथा-संशोधित आंसुका के अन्तर्गत नजरबंद व्यक्ति 18/19 दिसम्बर, 1974 की अर्धरात्रि को रिहा कर दिए गए थे जब उक्त अध्यादेश की अवधि समाप्त हुई थी और उसके स्थान पर कोफेपोसा अधिनियम, 1974 अधिनियमित किया गया था।)

(ख) जी, हां । निवारक उपाय के रूप में बहुत बड़ी संख्या में तस्करों और उनके सहयोगियों की नजरबन्दी, अधिक सतर्कता, निवारक जांचों और छापों तथा गहन आसूचना की कार्यवाहियों से तस्करी संबंधी कार्यकलापों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है ।

भुवनश्वर दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा

577. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) फिलहाल इंडियन एयरलाइन्स की दिल्ली तथा भुवनेश्वर के बीच सीधी विमान सेवा परिचालित करने की कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, कारपोरेशन ने दिल्ली तथा भुश्नेश्वर और भुवनेश्वर तथा दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कलकत्ता में पहले ही उसी दिन के कनेक्शन की व्यवस्था कर रखी है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के नारकोटिक्स डिवीजन से सहायता

578. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफीम की उपज में सुधार करने के लिए अनुसंधान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के नारकोटिक्स डिवीजन से भारत को कोई सहायता मिली; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। भारत सरकार को अफीम की उपज बढ़ाने के निमित्त अनुसंधान कार्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के नार्कोटिक्स डिवीजन से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है।

लेकिन, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण परीक्षणशाला, नई दिल्ली के मुख्य रसायनज्ञ डा० वी० एस० रामनाथन् को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, अफीम पोस्त और अफीम पर अनुसंधान करने के लिए वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के नार्कोटिक्स ड्रग्ज डिविजन, जेनेवा की नार्कोटिक परीक्षणशाला के साथ उनकी व्यक्तिगत हैसियत में एक विशेष सेवा करार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। डा० रामनाथन् ने सरकार की स्वीकृति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्हें क्षेत्र में और परीक्षणशाला में किए गए अनुसंधान के व्यय को पूरा करने के लिए अभी तक 7200 अमरीकी डालर प्राप्त हुए हैं। यह करार, जो मूलतः 31-3-76 को समाप्त होने वाले एक वर्ष के लिए स्वीकार किया गया था, 30-9-1976 तक बढ़ा दिया गया था और उसके 31-3-77 तक और आगे बढ़ा दिए जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय बैंकों में जमा राशि तथा उनके द्वारा दिये गये ऋण की राशि

579. श्री अर्जुन सेठी : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में अब तक कुल कितनी राशि जमा है;

(ख) विभिन्न राज्यों में इन जमा राशियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन बैंकों ने आज तक कुल कितना ऋण दिया है तथा विभिन्न राज्यों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या के लिए यह व्यवस्था की गई है ;

(घ) क्या देश के पिछड़े जिलों को, जिनकी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 57.3 प्रतिशत है, जून, 1973 तक कुल बैंक ऋण में से केवल 18.1 प्रतिशत ऋण दिया गया; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) तक : राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के जमा, ऋण खातों की संख्या और बकाया ऋणों के राज्यवार उपलब्ध आंकड़े विवरण में दिए जा रहे हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 11073/76]।

(घ) और (ङ) : बैंकिंग विकास के मामलों में क्षेत्रीय असन्तुलन तो अवश्य है। लेकिन ये असन्तुलन आर्थिक विकास में असन्तुलनों की काफी विस्तृत और दीर्घावधिक समस्या का परिणाम हैं। इस प्रकार जैसा कि विकास के अन्य सूचकों के मामले में है, शाखा विस्तार, जमाओं और अग्रिमों सहित बैंकिंग प्रणाली के परिचालन के सभी क्षेत्रों में पिछड़े जिलों का भाग कम है। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद से सरकारी क्षेत्र के बैंक पिछड़े जिलों में शाखाएं

खोलकर और कृषकों, कारीगरों और शिल्पियों तथा स्व-नियोजक धंधों में लगे अन्य छोटे-छोटे ऋणकर्त्ताओं को उत्पादक प्रयासों के लिए ऋण देकर इन असन्तुलनों को कम करने का प्रयास करते रहे हैं । लेकिन संगठित व्यापार और उद्योग के अभाव में ऋण की यह सब गति धीमी है ।

इन जिलों के औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए, सम्बध अभिकरण इन जिलों में आधारभूत ढांचों सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ इन क्षेत्रों में औद्योगिक एककों को स्थापित करने के लिए उद्यमकर्त्ताओं को रियायती शर्तों पर जमीन तथा बीज के प्रबंध, निदेश सहायता कुछ जिलों में परिवहन सहायता, करों में रियायत, वित्तीय संस्थाओं आदि से ऋणों की रियायती शर्तों जैसे विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन भी देते हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाएं और अग्रिम (जून, 1975 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति)

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जमाएं	अग्रिम	
	राशि	खातों की सं०	बकाया राशि
1	2	3	4
1. उत्तरी क्षेत्र			
हरयाणा	145.96	66496	160.23
हिमाचल प्रदेश .	60.54	15930	12.90
जम्मू और कश्मीर	49.67	12830	10.87
पंजाब	500.87	92347	301.07
राजस्थान .	191.90	109179	139.01
चंडीगढ़	66.60	6537	39.82
दिल्ली	920.08	74210	602.39
2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
असम	101.01	35963	69.43
मेघालय .	15.96	5461	2.31
मणिपुर .	4.11	2497	0.96
नागालैण्ड	4.14	345	1.03
त्रिपुरा . .	11.75	9280	2.73
अरुणाचल प्रदेश .	1.64	77	0.88
मिजोरम	1.23	13	0.01
3. पूर्वी क्षेत्र			
बिहार . .	571.76	151387	363.52
उड़ीसा . .	104.70	89759	71.99

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल . .	1350.12	277950	886.8
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2.34	1911	0.56
4. केन्द्रीय क्षेत्र			
मध्य प्रदेश	337.83	172262	223.00
उत्तर प्रदेश	1010.72	272086	622.02
5. पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात . .	921.36	263528	608.93
महाराष्ट्र .	2255.46	504851	1709.18
गोआ, दमण और दीव	116.10	27746	54.38
दादरा और नगर हवेली	0.28	375	0.41
6. दक्षिणी क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश	406.24	549721	380.40
कर्नाटक	467.36	614487	517.89
केरल .	294.48	627435	218.58
तमिलनाडु	703.20	933051	760.56
पांडिचेरी	14.63	31591	15.74
लक्षद्वीप . .	0.41	531	0.08
जोड़:(अखिल भारत) .	10632.45	4949836	7777.72

टिप्पणी:— (i) आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(ii) अग्रिम उपयोग के जिलों के अनुसार हैं।

स्रोत : बुनियादी सांख्यिकी विवरणियां

निगमित क्षेत्र में पूंजी निवेश

580. श्री एम० कंतामुत्तू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से धनकर और आयकर में रियायत देने के बाद भी पूंजी बाजार में सुधार नहीं हुआ है; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या यह इस तथ्य की वजह से है कि साधारण शेयर होल्डर का निगमित क्षेत्र पर विश्वास नहीं रहा है, यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) निगमित क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) केन्द्रीय सरकार का बजट 15 मार्च, 1976 को पेश किया गया था जिसमें धनकर और आयकर की वर्तमान दरों में रियायतें देने का प्रस्ताव किया गया था। सरकार ने बाद में और भी रियायतें दी हैं जिनके परिणाम स्वरूप शेयरों की कीमतें धीरे धीरे बढ़ी हैं और भारतीय रिजर्व बैंक का साधारण शेयरों का मूल्य सूचक अंक जो 1-5-1976 को 97.3 (आधार 1970-71=100) था 17-7-1976 को बढ़कर 102.1 हो गया।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) कम्पनियों में पूंजी लगाने को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें से कुछ ये हैं :—

(1) उच्च आय समूहों के लिए धनकर और आयकर की वर्तमान ऊंची दरों में कमी करना।

(2) कतिपय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिए निवेश संबंधी रियायतों की स्कीम शुरू करना।

(3) वर्ष 1971 से कम्पनियों पर लगाए गए आय कर पर अधिभार से छूट देना यदि वे उतनी ही रकम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास पांच वर्ष के लिए जमा करा दें।

(4) टेलीविजन सेटों, रेफ्रिजरेटरों, यात्री कारों और कैप्रोलेक्टम पर उत्पादन शुल्क में कमी करना।

(5) लेवी भिन्न एल्युमीनियम पर उत्पादन शुल्क में कमी करना।

(6) उर्वरक संयंत्रों, न्यूजप्रिंट संयंत्रों और कम्प्यूटरों व कम्प्यूटर सब-सिस्टम के आयात पर सीमा-शुल्क में कमी करना।

(7) मई 1975 में सरकार ने कम्पनी (लाभांश पर अस्थायी रोक) अधिनियम, 1974 में संशोधन कर दिया है जिसके अनुसार कम्पनियां किसी भी वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के अपने कुल विभाज्य लाभों से अधिक लाभांश घोषित कर सकती हैं। इस अधिक लाभांश की राशि 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अधिनियम की अवधि समाप्त होने के दो वर्ष बाद बराबर बराबर की दो वार्षिक किस्तों में चुकायी जाएगी। जैसाकि शुरू में विचार किया गया था, उक्त अधिनियम की अवधि 6 जुलाई, 1976 के बाद नहीं बढ़ाई गई है।

सरकार ने बोनस निर्देशों और लाभांश के वितरण के संबंध में बनाए गए नियमों में भी ढील दे दी है।

सरकार शेयर बाजार की स्थिति पर बराबर नजर रख रही है।

लाभांश के भुगतान पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना

581. श्री एम० कंतामुत्तू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों द्वारा लाभांश के भुगतान पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) कम्पनी (लाभांशों) पर अस्थायी रोक अध्यादेश, 1974 (जिसे बाद में अधिनियम में बदल दिया गया था) की घोषणा 6 जुलाई, 1974 को दो वर्ष की अवधि के लिए की गई थी और जैसी शुरू में परिकल्पना की गई थी यह 6 जुलाई, 1976 से समाप्त हो गया। पूंजी लगाने के वातावरण में सुधार करने के विचार से सरकार ने उपर्युक्त अधिनियम की अवधि 6 जुलाई, 1976 के गाद बढ़ाना ठीक नहीं समझा।

तस्करी रोकने के लिये तट रक्षक सेवा

582. **श्री एम० कन्तामूत्तू** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय समुद्र तट पर प्रभाव रूप से तस्करी रोकने के लिए तट रक्षक सेवा गठित किए जाने के बारे में त्रिची के सीमाशुल्क कलेक्टर द्वारा दिए गए प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) त्रिची में कोई सीमाशुल्क समाहर्ता तैनात नहीं है। लेकिन, मदुरै में सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क का एक समाहर्ता तैनात है और त्रिची उसके क्षेत्राधिकार में आता है। उन्होंने तट रक्षक सेवा का गठन करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया है। तट के साथ-साथ तैनात किए गए तस्करी-विरोधी कर्मचारियों को सन् 1974 से सशक्त बना दिया गया है तथा स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

रूई की गांठों का आयात

583. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान रुई की 1.5 लाख गांठों का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उनका आयात किन-किन देशों से किया जाएगा, और

(ग) उन पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) रुई की 2 लाख गांठें आयात करने का तत्काल कार्यक्रम है।

(ख) तथा (ग) : चूंकि अधिकांश आयात विश्व व्यापी आधार पर होते हैं अतः इस समय यह बताना संभव नहीं है कि किन देशों से आयात होंगे और इन आयातों पर कितनी राशि खर्च होगी।

मूल्य स्तर बनाए रखने के लिए कार्यवाही

584. **श्री एच० एन० मुकर्जी**
श्री एम० एस० पुरती } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने देश में वर्तमान मूल्य स्थिति पर विचार करने के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रियों तथा आर्थिक विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक का क्या परिणाम निकला तथा मूल्य स्तर को बनाए रखने के लिए क्या निर्णय किए गए ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) मूल्य स्थिति पर विचार विमर्श करने तथा उसकी समीक्षा करने के लिए 16 जुलाई 1976 को एक अन्तर-मंत्रालयी बैठक बुलाई गई थी।

(ख) बैठक में वस्तुओं की सप्लाई बढ़ा कर, वितरण प्रणाली में सुधार करके तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की सट्टेबाजी द्वारा जमाखारी पर रोक लगाकर मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए नीति निर्धारित की गई। बैठक में जिन विभिन्न उपायों पर सहमति प्रकट की गई उनमें (i) खाद्य तेलों का अधिक मात्रा में आयात करना और वनस्पति उद्योग द्वारा देसी तेलों की खपत सीमित करना, (ii) रुई और सिंथेटिक रेशों का अधिक मात्रा में आयात करना (iii) चीनी का अधिक मात्रा में जारी किया जाना; (iv) तेलहन के व्यापारियों के पास तेलहनों के तथा व्यापारियों और मिलों के पास रुई के स्टाक का नियमन रखना (v) कपास, तेलहनों तथा खाद्य तेलों के बदले दिए जाने वाले बैंक अग्रिमों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रण का कड़ा किया जाना और (vi) जमाखोरों और सट्टे बाजों के खिलाफ किए जा रहे अभियान को जोरदार बनाना शामिल है । इन बातों को देखते हुए कि देश के सरकारी स्टाक में 170 लाख टन अनाज है और विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति काफी अच्छी है तथा बरसात भी अच्छी है, सरकार को विश्वास है कि मूल्यों को काफी हद तक स्थिर रखा जा सकेगा ।

कछार में चाय उद्योग

585. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कछार में लगातार दो बार आई बाढ़ से प्रभावित हुए चाय उद्योग को अब भट्टी तेल की कमी के कारण एक अन्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) (क) तथा (ख) : भट्टी तेल के लाने ले जाने में कुछ अस्थाई कठिनाइयां आई थीं जो कुछ दिनों के लिए रेल यातायात में बाधा के कारण थीं जिसके फलस्वरुप बदरपुर ताप माल उतारे जाने वाले रेलवे स्टेशनों में के बीच यातायात की भीड़ हो गई थी । अब रेल यातायात पूर्णतः पुनः शुरु हो गया है । तेल कंपनी द्वारा तिनसुकिया से टैंक वैगनों के शीघ्र लाने ले जाने की कछार में चाय उद्योग द्वारा प्रशंसा की गई थी तथा इस समय भट्टी तेल की उपलब्धि में कोई गंभीर कठिनाई नहीं है।

कच्चे पटसन का लाभप्रद मूल्य

586. **श्री एच० एन० मुकर्जी**
श्री सोमनाथ चटर्जी
श्री एम० कल्याण सुन्दरम } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन की वस्तुओं का निर्माण कम करने के भारत सरकार के निर्णय के कारण कुछ राज्यों में कच्चे पटसन के लाभप्रद मूल्य न मिलने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो आसाम और पश्चिम बंगाल में नई फसल मंडियों में किस मूल्य पर उपलब्ध है ; और

(ग) गत वर्ष कच्चे पटसन का मूल्य क्या था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) कच्चे पटसन को बचा रखने के लिए सरकार द्वारा कालीन अस्तर तथा हैसियन के बारे में लागू किए गए उत्पादन विनियम को 14 जुलाई 1976 से हटा दिया गया है।

(ख) ताजा समाचारों के अनुसार देहात के बाजारों में कच्चे पटसन की कीमतें न्यूनतम कानूनी स्तरों से सामान्यत: 6 रु० से 10 रु० प्रति क्विंटल अधिक हैं।

(ग) पिछले वर्ष भी कच्चे पटसन की कीमतें सामान्यत: न्यूनतम कानूनी स्तरों से अधिक रहीं ।

नकद सहायता दर

587. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए नकद सहायता दरों को वैध रखने के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस से दीर्घावधि निर्यात सहायता नीति को कितनी सफलता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) प्रस्ताव विचाराधीन है।

तमिलनाडु में कपड़ा एककों तथा हथकरघा एककों की समस्यायें

588 **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के कपड़ा एककों तथा हथकरघा एककों की समस्याओं का कोई स्थायी हल निकालने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) पूर देश में या किसी क्षेत्र में वस्त्र उद्योग में समय समय पर समस्यायें आती रहती हैं और उनके

संभव समाधान के लिए उपाय किए जाते हैं। पूरे भविष्य की संभावित समस्याओं का अनुमान लगाकर उसके आधार पर समाधान की व्यवस्था करना कठिन है।

Supply of sarees and dhoties to shops in villages

589. SHRI BIBHUTI MISHRA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the number of sarees and dhoties being supplied to the shops meant for selling cheap cloth to the poor in the rural areas in quite inadequate; and

(b) whether Government propose to ensure that the total supply of cloth contains at least 50 per cent sarees and dhotis ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) and (b) During the last quarter of 1974, there were, complaints about the short supply of controlled dhoties and sarees. The Textile Commissioner then issued instructions to the effect that all the mills would produce at least 20% of their controlled cloth production obligation in the form of dhoties and sarees. As a result the production of dhoties and sarees increased to about 39% from the previous level of about 10%. The N.C.C. F., which acts as a co-ordinating agency in the lifting of controlled cloth, has recently indicated the requirement of dhoties and sarees at about 35% of the requirement of controlled cloth. The Textile Commissioner has accordingly issued instructions for the mills to produce not less than 20% of their controlled cloth obligation in the form of dhoties and not less than 15% in the form of sarees, during the quarter July-September 1976. With this, the demand for controlled dhoties and controlled sarees by the weaker sections of the society would be met. It is not considered necessary to prescribe a higher level of production for the varieties.

गोविन्द सागर झील के लिए मोटरचालित नौकाएं

591. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गोविन्दसागर झील के लिए दो मोटर चालित नौकाओं का निर्माण आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मंजूरी किस तिथि को दी गई थी तथा नौकाओं के निर्माण का कार्य किस तिथि को आरम्भ हुआ था;

(ग) नौकाओं का निर्माण किस तिथि तक पूरा होने की सम्भावना है तथा नौकाएं किस तिथि तक चालू हो जायेंगी; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) गोविन्द सागर झील के लिए 15 यात्रियों वाली दो मोटर चालित लौंचों के निर्माण के आदेश पर्यटन विभाग द्वारा सैंट्रल इनलैंड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता को मई 1971 में दिए गए थे। लौंचों के निर्माण का कार्य फरवरी, 1972 में आरम्भ हुआ।

(ग) जुलाई 1976 में लौंचें तैयार हो गईं। ये एच० पी० टी०-डी०सी० को पट्टे पर दी जानी हैं। अब हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे कोई सुविधाजनक तारीख बताएं जब ये उन्हें सौंप दी जाएं।

(घ) लौंचों के तैयार होने में देरी होने के कई कारण थे; जैसे 1971-72 के दौरान कलकत्ता में राजनैतिक अशान्ति। श्रमिक झगड़े, पावर कट तथा लोड शैडिंग, जहाजों के निर्माण के लिए आवश्यक क्वालिटी स्टील की कमी और इन लौंचों के निर्माण के लिए अपेक्षित कुछ अन्य सामान का उपलब्ध न होना इत्यादि।

एवरो विमानों के लिये अफ्रीकी-एशियाई देशों से मांग

593. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के आरम्भ में दो अफ्रीकी-एशियाई देशों की ओर से इण्डियन एयर-लाइन्स को यह निश्चित मांग प्राप्त हुई थी कि उनकी अतिरिक्त विमान सेवाओं का विस्तार करने के लिए विमान चालकों और रखरखाव इंजीनियर सहित इण्डियन एयरलाइंस के दो या तीन एवरो-748 विमान दीर्घावधि पट्टे पर दिए जायें;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या इन मांगों को पूरा कर दिया गया था?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क), (ख) और (ग) यमन एयरवेज से एक एच० एस०-748 विमान पट्टे पर देने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। यद्यपि इंडियन एयरलाइंस कोई विमान देने की स्थिति में नहीं थे, उन्होंने यमन एयरवेज़ को सूचित किया कि दो विमान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के पास बिकाऊ हैं। परन्तु, बाद में इंडियन एयरलाइंस को सूचित किया गया कि यमन एयरवेज़ की एच० एस०-748 विमान लेने की रुचि नहीं है।

मार्च, 1976 में जाम्बिया एयरवेज़ ने 3 से 6 महीने तक की अवधि के लिए एक एच० एस०-748 विमान इस विकल्प पर पट्टे पर लेने में रुचि दर्शाई थी कि यदि वे चाहेंगे तो उस विमान को पट्टे की अवधि की समाप्ति पर खरीद सकेंगे। इंडियन एयरलाइंस एक विमान तुरन्त पट्टे पर देने की स्थिति में नहीं थी। परन्तु, कारपोरेशन ने हिन्दुस्तान एयरो-नाटिक्स लिमिटेड से एक विमान पट्टे पर देने के प्रबंध कर दिए थे, जोकि 3 महीने बाद विमान सप्लाई करने की स्थिति में थे। इंडियन एयरलाइंस ने भी अप्रैल, 1976 में जाम्बिया एयरवेज़ को सूचित किया था कि वे भी अगस्त, 1976 में एक एच० एस०-748 विमान पट्टे पर सप्लाई करने की स्थिति में हैं परन्तु जाम्बिया एयरवेज़ से इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने भी इंडियन एयरलाइंस को सूचित किया है कि जाम्बिया एयरवेज़ की एच० एस०-748 विमान में रुचि नहीं है।

फ़ोक्कर फ्रेंडशिप और एवरो विमानों के स्थान पर अन्य विमान

594. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार अपने 9 फ़ोक्कर फ्रेंडशिप और 15 एवरो-748 विमानों के स्थान पर अन्य विमान रखने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो हाल में चालू किए गए फ़ोक्कर फ़्रैलोशिप एफ०-28 (80 सीट वाले) विमान के बारे में क्या विचार है; और

(ग) इन के स्थान पर लाये जाने वाले विमानों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस अपने विमान अध्ययन के एक भाग के रूप में इस समय बी० ए० सी०-111-475, एफ-28-4000 तथा बोइंग 737 विमान के 'शार्ट रेंज' संस्करण का मूल्यांकन कर रहे हैं जिससे कि धारिता में वृद्धि करने एवं टर्बो प्रॉप विमानों के बदले दूसरे विमान लेने के लिए अपने विमान बेड़े में शॉर्ट हॉल जेट विमान सम्मिलित करने पर विचार कर सकें।

(ग) बी० ए० सी०-111-475 मैसर्स ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कारपोरेशन, यू० के० द्वारा निर्मित एक दो इंजन वाला विमान है जिसमें 80-85 सीटों की धारिता है। एफ०-28-4000 मैसर्स फॉकर बी० एफ० डब्ल्यू० इंटरनेशनल, हॉलैंड, द्वारा निर्मित दो इंजन वाला विमान है जिसमें 80 सीटों की धारिता है। बोइंग -737 कम दूरी वाला माडल मैसर्स बोइंग कम्पनी, यू० एस० ए०, द्वारा निर्मित जेट विमान है जिसमें 126 सीटों की धारिता है।

डी० एम० के० के नेताओं के आवासों और प्रतिष्ठानों पर छापे

595. **श्री शशि भूषण**
श्री एम० कल्याण सुन्दरम } : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० एम० के पार्टी के नेताओं के कुछ आवासों और प्रतिष्ठानों पर आयकर अधिकारियों ने छापे मारे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में कितने मूल्य की वस्तुएं बरामद की गई हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार आयकर अधिकारी ने विघटित विधान सभा के एक भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री एन० गणपति के मद्रास तथा तापनाशम् स्थित निवास स्थानों पर और मद्रास स्थित एक निवास स्थान पर, जिसे डी० एम० के० दल के नेता श्री एम० करुणानिधि के द्वारा रखा गया माना जाता है, तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही की पहले व्यक्ति के मामले में, कोई नकदी अथवा अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां नहीं पकड़ी गयी। पाये गये दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा ले लिये गये हैं, जबकि कुछ अन्य दस्तावेजों की छानबीन आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है। दूसरे मामले में तलाशी में पाये गये लगभग 75,000 रु० मूल्य के जेवर/

जवाहिरात तथा अनुमानत: एक लाख रु० मूल्य की कुछ उपहार वस्तुओं को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (3) की निषेधाज्ञा के अन्तर्गत रोक रखा गया है।

कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकारण के लिये विश्व बैंक से ऋण

596. श्री समर मुकर्जी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि विश्व बैंक ने कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकारियों के लिये यह शर्तें लगा कर ऋण रोक लिया है कि विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को अमरीका से उपकरण और सामान खरीदना होगा ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बैंक से ऋण के दस्तावेज में एक खण्ड था जिसमें यह लिखा था कि जब तक कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण अमरीका से उपकरण और सामान नहीं खरीदता उसे 7 करोड़ रुपयों की राशि उपलब्ध नहीं करायी जायेंगी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी, नहीं। विश्व बैंक ने पहले से ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऋण सुविधायें

597. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों की ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गयी प्रगति की समीक्षा करने के लिए वित्त मंत्री ने हाल में मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ;

(ग) क्या इन एजेंसियों की ऋण नीति के संबंध में किसी राज्य सरकार ने असंतोष व्यक्त किया था ; और

(घ) यदि हां, तो किसानों की ऋण की आवश्यकताओं को सरकार का किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वित्त मंत्री ने 16 जून, 1976 को बंगलौर में कुछ मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई, थी जिसका उद्देश्य——ग्रामीण ऋण और विशेषतया उपभोग ऋण से, जिसकी राज्य सरकारों द्वारा ऋण-मुक्ति विषयक विविध कानूनों के प्रकाश में भारत सरकार द्वारा गठित 'उपभोग ऋण विषयक विशेषज्ञ समिति' के प्रतिवेदन में चर्चा की गयी है, विशेष सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं पर विचार-विमर्श करना था।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जा रही है।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 11074/76]

(ग) और (घ) जी, नहीं। विचार-विमर्श के दौरान, मुख्य मंत्रियों ने अपने-अपने मत व्यक्त किये और 'उपभोग-ऋण विषयक विशेषज्ञ समिति' की सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में भिन्न भिन्न सुझाव दिये। इनमें से बहुत से सुझाव केन्द्रीय वित्त मंत्री ने स्वीकार कर लिए हैं और उनके कार्यान्वियन के लिए शीघ्र कार्रवाई की जा रही है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा खाद्य तेलों का आयात

598. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उद्योग की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए राज्य व्यापार निगम का विचार खाद्य तेलों के आयात की व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) : खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ती हुई प्रवृति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वनस्पति उद्योग के लिए वनस्पति बनाने में कम से कम 50 प्रतिशत आयातित तेल का प्रयोग किया जाना अनिवार्य बना दिया है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये राज्य व्यापार निगम में वर्ष के शुरु में ही इस प्रयोजनार्थ रिलीज की गई विदेशी मुद्रा में से विदेशों से पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेलों की खरीद के लिए संविदाएं की हैं।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

599. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 18 कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) : अप्रैल, 1976 के अन्त में 18 सूती वस्त्र मिलें बन्द पड़ी थीं। इनमें से 13 वित्तीय कठिनाइयों के कारण, 4 श्रमिक अशांति के कारण तथा एक झंझावात से मशीनरी के नुकसान होने को कारण बन्द हुई थी।

निर्यात प्रोसैसिंग क्षेत्र की स्थापना

600. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और अधिक संख्या में निर्यात प्रोसैसिंग क्षेत्र स्थापित नहीं करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) यह विनिश्चय किया गया है कि नए मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।

(ख) औद्योगिक साइसेंसिंग, क्षमता का उपयोग, एफ० ई० आर० ए० का क्रियान्वयन, विदेशी सहयोग तथा निर्यात उत्पादन के सम्बन्ध में सरकारी नीतियों में बहुत से व्यापक परिवर्तन हो चुके हैं जिनके कारण मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में आम धारणाओं का पुनर्विलोकन आवश्यक हो गया।

बैंकों द्वारा छोटे किसानों को ऋण दिया जाना

601. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों को छोटे किसानों की सहायता करने के निदेश दिये है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में छोटे किसानों को कितना ऋण दिया गया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : वाणिज्यिक बैंकों की यह नीति रही है कि समाज के कमजोर वर्गों की सहायता की जाये जिसमें छोटे किसानों और कृषिक मजदूरों की सहायता करने पर जोर दिया जाता है। बैंकों ने इन व्यक्तियों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं । तथा वे उदार और रियायती शर्तों पर ऋण की व्यवस्था करते हैं । विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण के पात्र किसानों को 4 प्रतिशत तक की ब्याज की न्यूनतम दर पर ऋण मंजूर किया जाता है। छोटे किसानों को एस० एफ० डी० ए० और एम० एफ० ए० एल० योजनाओं के अन्तर्गत भी लाभ मिलता है। इन योजनाओं के कार्यान्वियन में बैंक सक्रियता से भाग ले रहे हैं ।

साड़ियों की मांग में कमी

602. **श्री सरोज मुकर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया फैब्रिक मार्केटिंग सोसायटी के प्रसीडेंट ने यह कहा है कि गत एक वर्ष में साड़ियों की मांग में 15 प्रतिशत की कमी हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं ; और

(ग) साड़ियों की मांग में इस प्रकार कमी न हो इस उद्देश्य के लिये मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) यह वक्तव्य अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लि० द्वारा चलाए जा रहे अनेक हैंडलूम हाउसों में हथकरघा साड़ियों की बिक्री के संदर्भ में था । हो सकता है कि भारत के महानगरों में इस वस्त्र समिति द्वारा चलाए जा रहे कुछ हैंडलूम हाउसों में हथकरघा साड़ियों की बिक्री में गिरावट आई हो । वस्त्र समिति भारत में हथकरघा वस्त्रों के कुल उत्पादन के एक प्रतिशत से भी कम भाग का विपणन करती है। हैंडलूम हाउसों में हथकरघा साड़ियों की बिक्री में गिरावट को अखिल भारतीय प्रवृत्ति नहीं माना जा सकता । चूंकि हमें हथकरघा साड़ियों के उत्पादन अथवा बिक्री में गिरावट के बारे में किसी स्त्रोत से कोई सूचना नहीं मिली है, अतः हथकरघा साड़ियों की मांग में गिरावट पर काबू पाने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आसाम में चाय बागानों का बन्द होना

603. **श्री सरोज मुकर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के करीमगंज और हेलाकांडी क्षेत्रों के 50 चाय बागानों के 25,000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं क्योंकि बाढ़ के कारण इन क्षेत्रों में पहुंचना असम्भव हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही कर रहे हैं कि विदेशी मुद्रा कमाने वाले ये चाय बागान बाढ़ के कारण बन्द न हो जायें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) कछार जिले के करीमगंज तथा हेलाकांडी क्षेत्रों में स्थित बागानों में जिनमें हाल की बाढ़ से सड़कों के खराब हो जाने के कारण कुछ समय के लिए पहुंचना असम्भव हो गया था, बड़े पैमानें पर बेरोजगारी की सूचना न तो स्थानीय चाय उत्पादक संघ और न जिला प्राधिकारियों ने ही दी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छोटी बचतों में वृद्धि

605. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान छोटी बचतों में कितनी वृद्धि हुई है ।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : अल्प बचतों से 1974-75 के दौरान निवल 325.76 करोड़ रुपए जमा हुए थे 1975-76 में अल्प बचतों से और अधिक धनराशि अर्थात् 410 करोड़ रुपए जमा हुए ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पश्चिम बंगाल, आसाम और उड़ीसा में होटलों की स्थापना

606. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि न होने का एक कारण वहाँ अच्छे होटलों का अभाव है ?

(ख) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम की पश्चिम बंगाल, आसाम और उड़ीसा राज्यों में अच्छे होटल स्थापित करने की कोई योजना है जिससे इन राज्यों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) यह मानी हुई बात है कि देश में पर्यटक महत्व के लगभग सभी स्थानों पर अच्छे होटल आवास की कमी है। भारत पर्यटन, विकास निगम की सिलिगुडी पश्चिमी बंगाल में एक 30 कमरों वाला होटल, गुहाटी, असम में एक 50 कमरों वाला मोटल और पुरी में एक 75 कमरों वाला होटल बनाने तथा भुवनेश्वर उड़ीसा में अपने यात्री लाज में 20 और कमरे जोड़ने की योजना है । निगम ने कलकत्ता में अपना एयरपोर्ट होटल पहले से ही खोल दिया है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा अर्जित लाभों का वितरण

607. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम को गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना लाभ हुआ ;

(ख) विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत इस लाभ का किस तरह वितरण किया गया और पालिसी-धारियों को उसका कितने प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ ; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि पालिसीधारी काफी निराश हैं क्योंकि उन्हें बोनस में वृद्धि अथवा प्रीमियम की दरों में कमी द्वारा न्यायोचित अंश प्राप्त नहीं हो रहा है; और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम के लाभ की रकम (जिसे आमतौर से अधिशेष कहा जाता है) समय-समय पर किए जाने वाले बीमा संबंधी मूल्यांकनों के अनुसार आंकी जाती है जीवन बीमा निगम अधिनियम के अन्तर्गत यह मूल्यांकन कम से कम हर दो साल में एक बार किया जाना जरूरी होता है। 1-4-1969 से 31-3-1971 तक, 1-4-1971 से 31-3-1973 तक और 1-4-1973 से 31-3-1975 तक इन अधिशेषों की रकम क्रमशः 115.98 करोड़ रुपए, 151.94 करोड़ रुपए और 181.50 करोड़ रुपए थी ?

(ख) ऐसे मूल्यांकनों के बाद निकलने वाले अधिशेष के वितरण की प्रक्रिया जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 में निर्धारित कर दी गई है, जिसके अन्तर्गत ऐसे अधिशेष का 95 प्रतिशत या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत इतना ही अधिक प्रतिशत निगम के जीवन बीमा पालिसी धारियों के लिए नियत करना होता है या उनके लिए सुरक्षित रख दिया जाता है और किसी अन्य समा-योजन के बाद शेष रकम केन्द्रीय सरकार को अदा कर दी जाती है। जीवन बीमा निगम अपने जीवन बीमा पालिसी धारियों के लिए विभिन्न मूल्यांकनों से निकलने वाले अधिशेष का 95 प्रतिशत नियत करता रहा है।

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा दिए जाने वाले बोनस की रकम बराबर बढ़ती जा रही है। 1957 में बन्दोबस्त बीमा पालिसी पर 12.80 रुपये प्रति हजार रुपए और पूरे जीवन की बीमा पालिसी पर 16.00 रुपए प्रति हजार रुपए के हिसाब से बोनस दिया जाता था जो बढ़कर क्रमशः 17.60 रुपए और 22.00 रुपये हो गया है। निगम के खर्चों पर कीमतों के बढ़ने का बुरा असर पड़ने के कारण 1969 से बोनस की रकम में और वृद्धि करना सम्भव नहीं हो सका है। लेकिन मृत्यु दर में कमी होने के परिणाम-स्वरूप स्थिति में जो सुधार हुआ है उसका लाभ अब बीमा कराने वालों को दिया जा रहा है। निगम अब उन लोगों का भी बीमा कर रहा है जिन्हें पहले बीमे के योग्य नहीं समझा जाता था या जिनका बीमा कुछ शर्तों के साथ किया जाता था।

जीवन बीमा निगम ने पहली फरवरी, 1970 से कतिपय बीमे की लाभ रहित योजनाओं के अन्तर्गत और 1-3-1971 से कुछ अन्य लाभ रहित योजनाओं के अन्तर्गत प्रीमियम की दरें कम की थीं। एक वर्षीय रिन्युअल ग्रुप टर्म एश्योरेंस प्लान और लेवल ग्रुप टर्म एश्योरेंस प्लान के अन्तर्गत प्रीमियम की दरें भी 1-6-1971 से कम कर दी गई थीं। अधिवार्षिकी योजना की दरें 1-3-1972 से उदार बना दी गई हैं। ग्रुप डेफर्ड एन्युटी प्लान और ग्रुप प्योर एंडोवमेंट प्लान की प्रीमियम की दरें 1-11-1974 से घटा दी गई हैं। ये दरें एक विस्तृत समीक्षा के बाद घटाई गई थी।

यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में जीवन बीमा निगम को मृत्यु-दर के कम होने और निगम द्वारा लगाई गई पूंजी पर अधिक आमदनी होने से फायदा हुआ है, लेकिन लाभ वाली योजनाओं के प्रीमियमों में करना या बोनस की दरें बढ़ाना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि अल्प बातों के साथ-साथ मुद्रास्फीति के कारण निगम के प्रबन्ध-व्यय में तेजी से वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप यह फायदा बराबर हो गया है। आपात-स्थिति की घोषणा के परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता आई है और जीवन बीमा निगम में अनु-शासन और उत्पादकता में सुधार हुआ है। किन्तु बीमांककों द्वारा इसे तभी हिसाब में लिया जा सकता है जब सुधार की यह प्रवृत्ति स्थिर हो जाती है। अतः जब तक निगम का खर्चा स्थिर नहीं हो जाता तब तक जीवन बीमा निगम ने लाभ वाली योजनाओं के प्रीमियमों की दरें घटाने के प्रश्न पर विचार करना स्थगित कर दिया है, सरकार को आशा है कि निगम जैसे ही इसे व्यवहार्य समझेगा वैसे ही इस मामले पर विचार करेगा।

खाद्य उत्पादन के लिये विश्व बैंक से सहायता

608. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विश्व बैंक से पश्चिम बंगाल और आसाम राज्यों का खाद्य उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता करने के लिए विशेष अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की तैयार की गई उन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं जिनके लिए बैंक से सहायता मांगी जा रही है; और

(ग) इस अनुरोध पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी , हां ।

(ख) और (ग) : असम में कृषि का आधुनिकीकरण करने की स्कीम तैयार करने के लिए हाल में एक सर्वेक्षण किया गया है। चूंकि इस प्रस्ताव पर अभी प्रारम्भिक स्तर पर ही विचार किया जा रहा है, इसलिए परियोजना का ब्यौरा और विश्व बैंक ग्रुप से मांगी जाने वाली वित्तीय सहायता का अभी हिसाब लगाया जाना है ।

पश्चिम बंगाल के लिए, विश्व बैंक दल ने हाल में एक परियोजना का मूल्यांकन किया है जो मुख्यत: कृषि के विस्तार और अनुसंधान से संबंधित है। इस परियोजना के संबंध में जल्दी ही बातचीत की जाएगी ।

निर्यात गृहों द्वारा बिक्री कर की देयता

609. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिराजुद्दीन बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय के परिणामस्वरूप व्यापारिक निर्यात गृहों पर भूतलक्षी प्रभाव से बिक्री कर लग जायेगा ।

(ख) यदि हां, तो क्या यह देयता लगभग 600 करोड़ रुपये की होगी ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम सहित सभी निर्यात गृहों ने इस बारे में उनके मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) मुहम्मद सिराजुद्दीन बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वास्तविक निर्यात संविदा , जो बिक्री कर से छूट की हकदार थी, वह निर्यातकर्ता और विदेशी आयातकर्ता के बीच हुई संविदा थी। निर्यात के प्रयोजनों के लिये निर्यातकर्ता को की गई बिक्री, बिक्री कर से छूट की हकदार नहीं है ।

(ख) स्थानीय और साथ-साथ केन्द्रीय बिक्री कर के कर निर्धारण और वसूली का कार्य सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, इसलिये, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप व्यापारिक निर्यात गृहों की कर देयता के संबंध में केन्द्रीय सरकार से पास कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

(ग) और (घ) : जी, हां । मामला सरकार के विचाराधीन है ।

कृत्रिम रेशे और धागे के मूल्य

610. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृत्रिम रेशे और धागे के मूल्यों पर बराबर नजर रख रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उन के मूल्य असाधारण रूप से अधिक हैं ;

(ग) यदि हां, तो कृत्रिम रेशे का मूल्य घटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय का 'केप्रोलैक्टम' का मूल्य कम करने का विचार हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

पंजीकृत निर्यातकों को नकद सहायता का भुगतान

611. श्री डी० डी० देसाई : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1976-77 में पंजीकृत निर्यातकर्ताओं को नकद सहायता की पूरी राशि का भुगतान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह योजना उन्हीं निर्यातकर्ताओं तक ही सीमित हैं जिन्हें 1975-76 में नकद सहायता मिली थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) नकद सहायता की सरलीकृत भुगतान योजना के अन्तर्गत दर्ज किये गये पंजीकृत निर्यातकों को मांगी गई पूरी नकद सहायता, प्रारंभिक जांच के आधार पर, अनंतिम भुगतान के रूप में उसी समय दे दी जाती है । इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए निर्यातकों को निम्नोक्त अतिरिक्त कागजात भेजने होते हैं :—

(1) किसी चार्टर्ड एकाउन्टेट से निर्यात बिलों एवं बीजकों की जांच करने के पश्चात् निर्यातों के निर्धारित विवरण में दिये गये सभी ब्यौरे का ठीक ठीक होना प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र;

(2) इंडैमिनिटि वांड, तथा

(3) मांगी गई राशि का 5 प्रतिशत कवर करने के लिए बैंक गारंटी ।

अनन्तिम भुगतान करने के पश्चात लाइसेंसिंग प्राधिकारी विस्तृत जांच करते हैं । यदि प्रारंभिक जांच के आधार पर कोई फालतू भुगतान कर दिया गया हो तो वह बकाया दावे में समायोजित कर दिया जाता है अथवा इसके विकल्प में निर्यातक को सात दिन की अवधि के भीतर अधिक दी गई राशि लौटानी होती है ।

(ग) जी हां ।

(घ) यह अनुभव रहा है कि आमतौर पर नये निर्यातकों को नगद सहायता मांगने के लिए निर्धारित क्रिया विधि की पूरी तरह से जानकारी नहीं होती । उसके परिणामस्वरूप बहुधा निर्यातकों को मांगी गई राशि का भुगतान होने से पूर्व कमियों को पूरा करना होता है। चूंकि सरलीकृत भुगतान

योजना के अन्तर्गत मांगी गई राशि बिना विस्तृत जांच किये दी जाती है, हालांकि यह अनन्तिम रूप से होती है फिर भी अधिक भुगतान के मामले भी हो सकते हैं। जिनके फलस्वरूप फालतू दी गई राशि को वसूल करने के लिए पार्टियों के साथ लम्बा पत्र-व्यवहार करना पड़ सकता है। स्थापित निर्यातकों के संबंध में, जिन्होंने कम से कम एक वर्ष के लिए नकद सहायता का दावा किया हो, अधिक राशि का, यदि कोई है, बकाया दावों से समायोजित करना अपेक्षाकृत सरल है।

सरलीकृत भुगतान योजना के अन्तर्गत न आने वाले पंजीकृत निर्यातकों को दावे की सामान्य जांच करने के पश्चात् ही नकद सहायता का भुगतान किया जाता है।

Hotel Patliputra

612. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the date from which hotel 'Patliputra' run by India Tourism Development Corporation at Patna was opened to tourists;

(b) the total expenditure incurred on its construction and the number of tourists for whom accommodation is available there; and

(c) the number of tourists stayed in this hotel so far and the income earned thereby ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION : (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Hotel Patliputra started accepting guests from 17th April, 1976 on trial basis.

(b) The expenditure incurred up to 31-3-1976 is estimated at Rs. 58·28 lakhs. This figure is provisional and subject to Audit. The hotel has 56 rooms and accommodation for 112 guests.

(c) Till end of July 1976, 533 tourists stayed in the hotel. The earnings up to that date amounted to Rs. 1·68 lakhs.

नियोजित तथा गैर-नियोजित विकास योजनाओं के लिये नियतन

613. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के लिये नियोजित तथा गैर-नियोजित विकास योजनाओं के लिये कुल कितना नियतन किया गया है;

(ख) क्या यह कुल नियतन विगत दो वर्षों के ऐसे ही आबंटन से थोड़ा ही अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या योजना के अधीन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विकास-व्यय में प्रस्तावित वृद्धि गैर-योजना मदों के अधीन विकास व्यय में कमी द्वारा बराबर हो जाती है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्ष 1975-76 के संशोधित अनुमानों में आयोजना और आयोजना-भिन्न विकास स्कीमों के लिए 7080 करोड़ रुपए और 1976-77 के बजट अनुमानों में 7313 करोड़ रुपए की रकम निर्धारित की गई थी।

(ख) इन निर्धारणों की रकम इनसे पहले के वर्षों में किए गए निर्धारणों से काफी अधिक है। (इस प्रयोजन के लिए 1973-74 के संशोधित अनुमानों में 4280 करोड़ रुपए और 1974-75 के संशोधित अनुमानों में 5628 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी)।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में प्रगति

614. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
श्री के० लकप्पा
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा
श्री मोहिन्दर सिंह गिल } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में कपड़ा उद्योग का तुरन्त ही आधुनिकीकरण करने के उपायों पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मुख्यत: क्या-क्या कदम उठाये जायेंगे ; और

(ग) देश के कपड़ा उद्योग में धीमी प्रगति होने के क्या मुख्य कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) देश में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की एक योजना को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

जयगढ़ में खजाने का पाया जाना

615. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर (राजस्थान) में जयगढ़ में बहुत बड़ा खजाना पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जयगढ़ किले में अब तक कोई खज़ाना नहीं मिला है। इसका पता लगाने के लिए खोज जारी है ।

फटे-पुराने नोटों को बदलने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश

616. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने फटे-पुराने नोटों को बदलने के बारे में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कोई निदेश जारी किये हैं ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और ये निदेश किस तारीख को जारी किये गये ;

(ग) एक समय में कोई आदमी कितनी राशि तक के नोट बदलवा सकता है ;

(घ) अब तक राज्यवार कितनी राशि के नोट बदलवाये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन निदेशों का उल्लंघन हो रहा है तथा देश से काला बाजार करने वालों के करेंसी नोट बड़ी संख्या में बदले जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 5 फरवरी, 1976 के परिपत्र के अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को

यह अधिकार दे दिया है कि वे गंदे और थोड़े से कटे-फटे नोटों को अच्छे नोटों में बदल सकते हैं और बकाया राशियों की अदायगी के लिए ऐसे नोट स्वीकार कर सकते हैं। आम जनता की सूचना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 जून, 1976 को एक नोटिस भी जारी किया था जो 13 जून, 1976 को समाचार-पत्रों में भी छपा था, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11075/76]

(ग) यद्यपि इसके लिए कोई सीमा नहीं रखी गई है लेकिन यह उस बैंक में उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करता है जहां ये नोट दिए जाते हैं।

(घ) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इन्हें इकठ्ठा करने पर बहुत अधिक समय लगेगा, क्योंकि यह काम सरकारी क्षेत्र की हजारों शाखाओं द्वारा किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

जीवन बीमा निगम के भवन में आग

617. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1976 के आरम्भ में जीवन बीमा निगम के भवन जीवन बिहार की तीसरी मंजिल पर लगी भीषण आग के क्या कारण थे ;

(ख) आग लगने के कारण कुल कितनी हानि हुई और कितनी सम्पत्ति को क्षति पहुंची ; और

(ग) भविष्य में सरकारी भवनों में ऐसे बड़े अग्निकांडों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पुलिस मामले की जांच कर रही है और उसकी रिपोर्ट मिलनी बाकी है।

(ख) कुल मिलाकर लगभग 4 लाख रुपए की हानि का अनुमान है। आग से इमारत के तीसरे तल के लगभग 640 वर्गमीटर को नुकसान पहुंचा है।

(ग) गृह मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को हिदायत दी है कि सरकारी इमारतों में आग से बचाव सम्बन्धी प्रबन्धों को अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए गृह मंत्रालय के दमकल परामर्शदाता से परामर्श किया जाए। जीवन बीमा निगम की इमारतों के लिए बचाव सम्बन्धी उपायों को और मजबूत किया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी बारदातें न हों।

चाय का व्यापार

618. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में चाय व्यापार में स्टर्लिंग की तुलना में रुपये की वसूली कम होगी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि का अनुमान है; और

(ग) वर्ष 1975 की तुलना में 1976 में चाय के निर्यात में घाटे के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

हीरों और आभूषणों के निर्यात में कमी

619. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1975 से अप्रैल, 1976 के बीच पहले वर्ष की तुलना में हीरों और आभूषणों के निर्यात में 2 करोड़ रुपये की कमी होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) सरकार का इनके निर्यात में वृद्धि के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) संभवत: प्रश्न का संकेत इस बात की ओर है कि अप्रैल, 1975 में 7.79 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे और उनकी तुलना में अप्रैल, 1976 में 5.48 करोड़ रुपये के ही निर्यात हुए । चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अलग-अलग समय पर अलग-अलग स्थिति होती है, अत: यह उचित होगा कि पूरे वर्ष के निर्यातों की तुलना की जाय । रत्न तथा आभूषण के निर्यात 1975-76 में 130 करोड़ रुपये के हुए जबकि 1974-75 में 107 करोड़ रुपये के हुए थे ।

Patna Airport

620. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether in view of the increase in the number of air passengers from Patna, the space at Patna airport has become inadequate;

(b) whether Government have formulated any scheme for the expansion of Patna airport; and

(c) if so, the main features thereof and the time by which the scheme will be fully implemented ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI RAJ BAHADUR) : (a) Yes, Sir.

(b) A scheme for the expansion of terminal building at Patna airport has been prepared.

(c) The main features of the scheme are as follows :

1. Departure and Arrival Hall.
2. Customs Hall.
3. Concourse and accommodation for Customs, Health and First Aid.
4. Departure holding area.
5. Restaurant.

The work is likely to be completed by end of 1977.

Financial Assistance to Weaker Sections

621. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of REVENUE AND BANKING be pleased to state the salient features regarding the implementation during the last one year of the schemes drawn by nationalised banks for providing financial assistance to the weaker section in the country as a part of 20-Point Economic Programme ?

MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPTT. OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : 12 Points out of the 20-Point Economic Programme relate to the banks. Government have advised all the public sector banks to take expeditious steps to implement this Programme and carry out periodical assessment. Banks have formulated various schemes to provide financial assistance to the weaker sections of the community, like providing financial assistance to the landless labourers, particularly those released from bondage, allottees of surplus lands for undertaking land development, for construction of house sites and also for undertaking activities allied to agriculture like diary development, poultry, piggery etc.

Rise in the Price of Tea Packets in Parliament House.

622. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether there are arrangements in Parliament House for sale of tea to Members of Parliamant by the Tea Board;

(b) if so, whether price of per packet has been raised thrice during the period from January, 1974 to March, 1976; and

(c) if so, the reasons and justification for raising price from Rs. 8·10 to Rs. 12·05 per pakcet ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) to (c) The Tea Board provides a counter for sale of packet teas manufactured by private companies for the convenience of the Members of Parliament. Their prices are fixed by these companies from time to time taking various factors into account, like manufacturing costs, labour costs, taxes, etc. The prices fixed by these companies for such 500 grams packs during January, 1974 to March, 1976 is as under :—

	Rs. Paise
25-2-74	8·40
2-6-74	8·93
18-8-74	9·98
7-2-75	10·50
24-11-75	11·20
1-3-75	12·04

आयकर अपवचंन का पता लगाने के लिए मारे गये छापे

623. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1975 से जून, 1976 के बीच अपवंचित कर-आय का पता लगाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर अधिकारियों ने कितने छापे मारे ;

(ख) इन छापों के दौरान पता लगाई गई और जब्त की गई कर-अपवंचित आय की कुल राशि नकदी और वस्तुओं के रूप में पृथक-पृथक कितनी है; और

(ग) यदि कोई अनुवर्ती-कार्यवाही की गई है तो क्या ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) आयकर अधिकारियों ने लेखाबाह्य आय/परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिये जुलाई, 1975 से जून, 1976 तक की अवधि में 2969 मामलों में तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाहियां की। इनके परिणामस्वरूप जिन परिसम्पत्तियों का पता चला और जिन को पकड़ा गया, वे नीचे लिखे अनुसार हैं :—

(लाख रु० में)

	परिसम्पत्तियों का मूल्य	
	परिसम्पत्तियां जिन का पता चला	परिसम्पत्तियां जो पकड़ी गयी
नकदी	462	365
जवाहिरात/सोना चान्दी/अन्य परिसम्पत्तियां	2608	1400

(ग) जिस तलाशी में मूल्यवान परिसम्पत्तियां पकड़ी जाती हैं, उस में तलाशी के बाद पहला काम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (5) के अन्तर्गत एक आदेश जारी करना होता है, जिस के द्वारा अघोषित आय का सरसरी तौर पर निर्धारण किया जाता है और अभिग्रहीत परिसम्पत्तियों में से उतनी को रोक लिया जाता है, जो अनुमानित अघोषित आय पर कर देयता (जिस में ब्याज एवं दण्ड भी शामिल है) और विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत किसी वर्तमान देयता की सकल रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त हों। इसके बाद नियमित कर-निर्धारण का कार्य शुरु किया जाता है और कानून के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही की जाती है, जिसमें, जहां आवश्यक हो, दण्ड लगाना/अभियोग चलाना भी शामिल हैं।

रुग्ण चाय बागान के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

624. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण चाय बागान के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाया है; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1969-70 और 1975-76 में रुग्ण चाय बागान की राज्यवार संख्या क्या थी ;

(ग) वर्ष 1969-70 और 1975-76 में ऐसे चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या राज्यवार क्या थी ;

(घ) इन बागान की मुख्य समस्याएं क्या हैं, और उन समस्याओं के दूर करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) चाय (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 16ख से 16ड़० में अन्य बातों के साथ उन परिस्थितियों का उल्लेख

है जिनके अन्तर्गत सरकार जांच करवा सकती है/प्रबंध अथवा नियंत्रण हाथ में ले सकती है/बिना जांच कराए किसी चाय उपक्रम का अधिग्रहण कर सकती है।

(ख) जुलाई, 1972 में चाय बोर्ड द्वारा जारी की गई प्रश्नमाला के उत्तर में देश के 125 चाय बागानों ने अपने अलाभकर (संकटग्रस्त) होने का दावा किया। उनके राज्यवार आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

असम	48
त्रिपुरा	6
उत्तर प्रदेश	1
पश्चिम बंगाल	70
	125

1975 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार दार्जिलिंग, तराई, डुअर्स, कछार तथा असम जैसे क्षेत्रों में संकट ग्रस्त/बंद पड़े चाय बागानों की संख्या लगभग 43 थी।

(ग) इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) चाय बागानों की अलाभकर/संकट ग्रस्त स्थिति के लिए जिम्मेदार कुछ तथ्य ये हैं: पूंजी आधिक्य, श्रमिकों तथा प्रबंधकों के बीच बिगड़े हुए सबंध, धन का गलत उपयोग, कृषि के अवैज्ञानिक तरीके, कुप्रबंध आदि। ऐसे चाय बागानों का पता लगाने के बारे में तथा जानकारी एकत्र करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है जिनके संबंध में जांच/ अधिग्रहण पर गौर किया जा सकता है।

विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण

625. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी पूंजी कम किये जाने की गति बहुत धीमी है ?

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विदेशी पूंजी कम किये जाने के विषय में नवीनतम स्थिति क्या हैं ; और

(घ) इस दिशा में धीमी गति के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 29 के प्रबन्ध के सिलसिले में जारी किए गए निदेशों के अनुसार अब तक 52 कम्पनियों ने अपने गैर-आवासी शेयर घटा कर 40 प्रतिशत तक या और कम कर दिए हैं। इसके अलावा . 188 विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने गैर-आवासी शेयरों को 40 प्रतिशत तक कम कर दिया है या भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन्हें ऐसा करने के लिए पहले ही निदेश दिए जा चुके हैं। अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र और निर्यात-प्रधान व्यवसायों आदि में रत 196 विदेशी कम्पनियों को 74 प्रतिशत तक विदेशी सामान्य शेयर पूंजी रखने का या कम से कम

26 प्रतिशत शेयर भारतीयों को देने की अनुमति दी गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 79 मामलों में आशयपत्र भी जारी कर दिए हैं जिनमें विदेशी कम्पनियों से गैर-आवासी शेयरों को निर्धारित स्तरों तक कम करने के लिए कहा गया है। एकीकरण/विलय के परिणामस्वरूप 5 कम्पनियां विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गई हैं।

2. गैर-आवासी शेयर पूंजी को कम करने की स्कीम पेश करने के लिए विदेशी कम्पनियों को उन्हें सूचित किए जाने की तारीख से तीन महीने कीं अवधि दी गई है। विदेशी शेयर पूंजी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर-अन्दर कम करनी होती है।

रूई के मूल्य में वृद्धि

626. **श्री डी० के० पंडा**
श्री सी० जनार्दनन } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई के मूल्य में लगातार बहुत वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो 1975 और 1976 के प्रत्येक महीने के दौरान रूई के मूल्य क्या थे और मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) हाल ही में रुई की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई थी लेकिन अब कीमतों में स्थिरता के लक्षण नजर आ रहे हैं।

(ख) कतिपय महत्वपूर्ण किस्मों के सम्बन्ध में 1974-75 तथा 1975-76 (जुलाई, 1976 के अन्त तक) रूई मौसमों के दौरान मासवार कीमत स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11076/76]

कीमतों में वृद्धि होने का मुख्य कारण यह था कि चालू मौसम के दौरान रूई की फसल कम होने की संभावना थी और मिलों द्वारा रुई के रेशे के सम्बन्ध में मांग बढ़ने से रुई बाजार में सट्टे की प्रवृत्तियां पैदा हो गई थी।

पश्चिम बंगाल में जूट मिलों का अधिग्रहण

627. **श्री रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोस-मलिक समिति ने पश्चिम बंगाल स्थित नेशनल और किन्नीसन जूट मिलों का अधिग्रहण करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ? और

(ग) उन अन्य जूट मिलों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, जो अभी भी बन्द पड़ी हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समुचित कार्यवाही का विनिश्चय करते समय प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा उसके गुणावगुण पर विचार किया जाता है।

पटसन उद्योग

628. **श्री रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन उद्योग में संकट का सरकार कहां तक समाधान कर सकी है ;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने पटसन उद्योग के बारे में नीति का मसौदा तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उसके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने पटसन उद्योग के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनेक उपाए किये हैं।

(ख) से (घ) समय-समय पर सम्बद्ध राज्य सरकारें अपनी सिफारिशें भेजती हैं जिन पर नीतियां तैयार करते समय समुचित विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय बचतों के लिये प्रोत्साहन

629. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बचतों के लिये सरकार ने अधिक प्रोत्साहन दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकार ने चालू वर्ष में राष्ट्रीय बचत स्कीमों के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं :—

(i) पहली जुलाई, 1976 से नीचे बताई गई एजेंसियों के लिए कमीशन की दरें उनके नाम के सामने लिखे अनुसार बढ़ा दी गई हैं :—

(1) मानक एजेन्सी व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकृत एजेंट और पे रोल सेविंग्स स्कीम के अन्तर्गत खजांची और अन्य सवितरण अधिकारी 1.75 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत

(2) महिला प्रधान क्षेत्री बचत योजना के अन्तर्गत महिला प्रधान 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत

(3) विभांगेंतर शाखा डाकपाल 1.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत

(ii) डाकघर (सावधिक जमा) नियमावली, 1970 में संशोधन किए गए है ताकि खाता खोलने के एक साल बाद की खाते की पूरी अवधि समाप्त होने से पहले खाता बन्द करने की सुविधा प्रदान की जा सके।

(iii) डाकघर आवर्ती जमा खातों के 10 रुपए के मूल्य की परिपक्वता राशि को 750 रुपए से बढ़ाकर 760 रुपए और अन्य गुणितों के खातों में इसी के अनुरूप वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसा भी प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय बचत पत्र पांचवां निर्गम के 100 रुपए के बचत पत्र का परिपक्वता मूल्य 198 रुपए के बजाय बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया जाए। परिपक्वता मूल्यों में प्रस्तावित वृद्धियों का लाभ वर्तमान आवर्ती जमा खातों और पांचवें निगम के राष्ट्रीय बचत-पत्रों पर भी अवधि समाप्त होने के बाकी वर्षों के अनुसार आनुपातिक आधार पर दिया जाएगा।

मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण के लिये कार्यवाही

630. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमा राशियों पर ब्याज की दर में वृद्धि करने से मुद्रास्फीति की देश व्यापी समस्या को हल करने में सहायता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो जनता में बचत की प्रवृत्ति बढ़ाने तथा मुद्रास्फीति पर और नियंत्रण करने के लिये अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) ब्याज की दरों में वृद्धि के परिणाम-स्वरुप जितनी अतिरिक्त बचतें उत्पादक प्रयोजनों के लिए जमा की जाने वाली रकमों में लगा दी जाएं उतना ही मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना सरल होगा ।

(ख) बचतों को बढ़ावा देने के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं । तथा कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए अन्य उपाय किए जा चुके हैं । जब कभी जरूरत हुई तो पैदा होने वाली नयी परि-स्थिति के अनुसार बचतों को बढ़ावा देने और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए बराबर नये उपाय करने होंगे ।

बीज परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

631. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने बीज परियोजनाओं के लिए भारत को कोई ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का; और

(ग) इस ऋण-राशि का उपयोग किन परियोजनाओं पर किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी हां, भारत ने 10 जून, 1976 को विश्व बैंक के साथ राष्ट्रीय बीज परियोजना के लिए 2.5 करोड़ अमरीकी डालर के ऋण के लिए एक करार किया है।

(ग) यह उधार राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के विकास के लिए लिया गया है और पहले दौर में यह कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब के राज्यों में शुरु किया जायगा जहां प्रामाणिक बीजों के उत्पादन, संसाधन और बिक्री के लिए राज्यों के बीज निगमों की स्थापना की जाएगी । इस रकम में से राष्ट्रीय बीज निगम को गोदामों और बिक्री संबंधी स्थिति में सुधार करने और सब्जियों के बीजों का उत्पादन करने के लिए और विश्वविद्यालयों को बीज पैदा करने वाले बीजों को उत्पादन बढ़ाने तथा बीजों के बारे में टैक्नालाजी में अनुसंधान करने की क्षमता पैदा करने या उसमें सुधार करने के लिए भी सहायता ली जाएगी ।

परियोजना तथा उपकरण निगम द्वारा निर्यात

632. श्री० पी० गंगादेव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमैंट कारपोरेशन (परियोजना तथा उपकरण निगम) ने वर्ष 1975-76 में वर्ष 1974-75 की अपेक्षा अधिक निर्यात किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कितने प्रतिशत है; और

(ग) कितने देशों के साथ करार किये गये हैं और निर्यात-आदेशों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 45 प्रतिशत ।

(ग) 1975-76 में सम्पन्न हुई महत्वपूर्ण संविदाएं इनके निर्यातों के सम्बन्ध में हैं

(1) तंजानिया को माल डिब्बे, सवारी डिब्बे भाप इंजन तथा डीजल इंजन

(2) ईरान को शाक एबसोर्बर्स ;

(3) बर्मा को वेस्टीबुल्स ;

(4) फ्रांस को डीज़ल इंजन;

(5) जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य को टायर , लोहा-आरी, ब्लैड, थ्रस्ट, ड्रिल, बाईहैक्सागन रिम्स, कार्बाइड टिप्ड टूल्स ;

(6) सोवियत संघ को पैट्रोल पम्प, गैरेज उपस्कर, स्पार्कप्लग्स, पोर्क लिफ्ट ट्रैक्टर्स ;

(7) बंगला देश को वस्त्र मशीनें, केबल तथा बक्से ;

(8) नाइजीरिया को इस्पात बिलेट;

(9) इराक को सी० आई० फिटिंग्स; तथा

(10) कैवेत को मैनहोल के कवर्स ।

आम का निर्यात

633. श्री पी० गंगादेव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976 में विदेशों को आम का निर्यात अब तक सार्वधिक रहा ;

(ख) यदि हां, तो आम का निर्यात किन-किन देशों को किया गया ; और

(ग) इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1975-76 के दौरान आमों का निर्यात पहले के किसी भी वर्ष के निर्यातों से अधिक था ।

(ख) मुख्य रूप से बहरीन द्वीप समूह, दुबाई, कुवैत, मस्कत, कत्तार, सिंगापुर तथा ब्रिटेन को

(ग) 1975-76 के दौरान निर्यात किये गये आमों का मूल्य लगभग 161.41 लाख रुपये था ।

रूई के मूल्य में वृद्धि

634. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कपास के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे रूई की मंडी में असंतुलन पैदा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के रिजर्व बैंक ने इस स्थिति पर विचार किया है और उन मदों की सूची में कमी की है, जिनके लिए सामान्य मार्जिन के साथ बैंक ऋण दिए जा सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां। दिसम्बर 1975 के अन्त से 24 जुलाई 1976 के बीच रूई के थोक मूल्य सूचकांक (1961-62–100) में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने रूई और कपास के बदले दिए जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में ऋण नियंत्रण को और कड़ा कर दिया है । माल की मात्रा का स्तर, जिस पर सामान्य मार्जिन के साथ बैंक अग्रिम दिए जा सकते हैं, काफी कम कर दिया गया है तथा अतिरिक्त स्टाक के सम्बन्ध में मार्जिन और बढ़ा दिए गए हैं । ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है:—

विवरण

रूई और कपास के बदले दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए संशोधित न्यूनतम मार्जिन

	वर्तमान	संशोधित
राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन मिलें	12 सप्ताह की खपत के स्टाक के लिए 20 प्रतिशत 12 सप्ताह से अधिक की खपत के स्टाक के लिए 35 प्रतिशत।	6 सप्ताह की खपत के स्टाक के लिए 20 प्रतिशत 6 सप्ताह से अधिक की खपत के स्टाक के लिए 35 प्रतिशत ।
अन्य मिलें		
बम्बई, अहमदाबाद और बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित मिलों से भिन्न मिलों के लिए	14 सप्ताह की खपत के स्टाक के लिए 25 प्रतिशत 14 सप्ताह से अधिक की खपत के स्टाक के लिए 50 प्रतिशत ।	6 सप्ताह से अधिक की खपत के स्टाक के लिए 25 प्रतिशत 6 सप्ताह से अधिक की खपत के स्टाक के लिए 45 प्रतिशत ।

	वर्तमान	संशोधित
बम्बई और अहमदाबाद में स्थित मिलों के लिए . .	12 सप्ताह की खपत के स्टाक के लिए 25 प्रतिशत 12 सप्ताह से अधिक की खपत के स्टाक के लिए 50 प्रतिशत।	4 सप्ताह की खपत के स्टाक के लिए 25 प्रतिशत 4 सप्ताह से अधिक की खपत के स्टाक के लिए 45 प्रतिशत ।
बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित मिलों के लिए	14 सप्ताह की खपत के स्टाक के लिए 20 प्रतिशत 14 सप्ताह से अधिक की खपत के स्टाक के लिए 35 प्रतिशत।	8 सप्ताह की खपत के स्टाक के लिए 20 प्रतिशत 8 सप्ताह से अधिक की खपत के स्टाक के लिए 40 प्रतिशत ।
केवल धागे कताई में लगी मिलों के लिए . .	14 सप्ताह तक की खपत के स्टाक के लिए 20 प्रतिशत 14 सप्ताह से अधिक की खपत के स्टाक के लिए 35 प्रतिशत।	6 सप्ताह तक की खपत के स्टाक के लिए 20 प्रतिशत 6 सप्ताह से अधिक की खपत के स्टाक के लिए 35 प्रतिशत ।
सूती मिलों से भिन्न अन्य पार्टियां	भारत में उगाई जाने वाली नयी तथा/अथवा लम्बे रेशे की किस्मों की कपास के स्टाक के लिए 25 प्रतिशत।	भारत में उगाई जाने वाली नयी तथा/अथवा लम्बे रेशे वाली किस्मों की कपास के स्टाक के लिए 45 प्रतिशत ।
आयातित कपास के स्टाक के लिए 25 प्रतिशत . .	आयातित कपास के स्टाक के लिए 25 प्रतिशत अन्य किस्मों के स्टाक के लिए 50 प्रतिशत भाण्डागार रसीदों के अन्तर्गत स्टाक के लिए 40 प्रतिशत।	आयातित कपास के स्टाक के लिए 25 प्रतिशत अन्य किस्मों के स्टाक के लिए 60 प्रतिशत भाण्डागार रसीदों के अन्तर्गत स्टाक के लिए 50 प्रतिशत ।

छूट

1. पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वस्त्र निगम अथवा उसके प्राधिकृत अधिकरणों द्वारा चलाई जा रही मिलों को 8 सप्ताह की खपत (जबकि पहले का मार्जिन 14 सप्ताह की खपत का स्टाक था) के बराबर के स्टाक के बदले दिए गए बैंक अग्रिम ।

2. औद्योगिक उपभोक्ताओं को, जैसे शल्य चिकित्सा सम्बन्धी रूई के निर्माताओं को रूई और कपास के बदले अग्रिम ।

राष्ट्रीय बैंकों को सरकारी प्राप्तियों तथा अदायगियों का काम सौंपने की योजना

635. श्री के० मालक्षा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ सरकारी क्षेत्रीय बैंकों को, विभागीकरण योजना के अधीन, सरकारी प्राप्तियों तथा अदायगियों का काम सौंपा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और ऐसे बैंकों से संबद्ध किए गए मंत्रालय तथा विभागों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) अब तक 12 मंत्रालयों में लेखा परीक्षा से लेखाओं को अलग करके विभागी कृत लेखा प्रणाली लागू की गई है । इस सुधार के अंश के रूप में कुछ मंत्रालयों की प्राप्तियां और अदायगियां करने की जिम्मेदारी भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सौंप दी गई हैं। विभिन्न मन्त्रालयों से जिन बैंकों को अब तक सम्बद्ध किया गया है वे निम्न प्रकार हैं :—

पैट्रोलियम मंत्रालय रसायन उर्वरक मंत्रालय	स्टेट बैंक आफ पटियाला
वाणिज्य मंत्रालय	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
खान विभाग	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
इस्पात विभाग	बैंक आफ इण्डिया
कोयला विभाग	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय	सिंडीकेट बैंक ।

पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी खाते में प्राप्तियों व अदायगियों का काम केवल रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा इसके उपसंगी बैंकों द्वारा किया जाता था । इन मंत्रालयों से सम्बन्धित अदायगियों की व्यवस्था अब उनके वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा उनके लिए नामित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के माध्यम से की जाती है । सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक ने अपनी शाखाओं द्वारा की गई अदायगियों और प्राप्तियों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए और रिजर्व बैंक आफ इंडिया के साथ हिसाब चुकता करने के लिए एक सम्पर्क शाखा को नामित किया है । 1-10-1976 से जब लेखाओं के विभागीयकरण की योजना का विस्तार किया जाएगा तो यह व्यवस्था और अधिक मंत्रालयों में लागू कर दी जाएगी ।

प्रत्यक्ष करों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों की चुनी हुई शाखाओं के जरिए एकत्रित करने की योजनाएं 1 अप्रैल, 1976 से बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, कानपुर हैदराबाद, अहमदाबाद और बंगलौर महानगरों में लागू की गई है । प्रत्येक केन्द्र में सरकारी क्षेत्र के दो या तीन बैंकों की शाखाओं को प्रत्यक्ष कर प्राप्त करने तथा उनको रिजर्व बैंक आफ इंडिया अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया के माध्यम से सरकारी खाते में जमा करने

के लिए प्राधिकर किया गया है । इस व्यवस्था को देश में अन्य स्थानों पर चरणबद्ध रूप में लागू करने का विचार है । अप्रत्यक्ष करों के लिए भी ऐसी ही एक योजना विचाराधीन है ।

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद और लखनऊ में सरकारी क्षेत्र से सभी बैंकों को जुलाई, 1976 से (अर्थात् जुलाई, 1976 के लिए, अगस्त, 1976 में देय पेंशनों से) केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को पेंशन वितरण करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है । इन बैंकों द्वारा की गई अदायगियों की प्रतिपूर्ति उन केन्द्रों पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं द्वारा की जाएगी और उसे सरकारी खाते में लाया जाएगा। धीरे-धीरे इस योजना का विस्तार देश में अन्य सभी स्थानों पर कर दिया जाएगा ।

आयकर तथा सीमाशुल्क विभागों के अधिकारियों के घरों पर छापे

636. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशिष्ट शिकायतों या जानकारी मिलने पर गत दो वर्षों में आयकर और सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों के कितने घरों पर छापे मारे गए ;

(ख) उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आपात स्थिति के दौरान केन्द्रीय अथवा राज्य स्तर के किन्हीं उच्च अधिकारियों, जो उप-सचिव के दर्जे से कम न हों, के घर पर भी छापा मारा गया है और यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों (1974-75 और 1975-76) में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयकर तथा सीमाशुल्क विभाग के 42 अधिकारियों के घरों पर छापे मारे गए ।

इन छापों के फलस्वरूप 40 मामलों में अपराधारोपणीय दस्तावेज बरामद हुए । 9 अधिकारियों के विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं जबकि 7 अधिकारियों के विरुद्ध मामले, नियमित विभागीय कार्यवाही किए जाने तक, अनिर्णीत पड़े हैं। 21 अधिकारियों के विरुद्ध मामलों की अभी जांच की जानी है । पिछले दो वर्षों (1974-75 और 1975-76) में स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत आयकर तथा सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों के घरों पर कोई छापा नहीं मारा गया ।

आयकर और सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों के घरों पर सीमाशुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत यदि कोई छापा मारा गया हो तो उसके बारे में विवरण एकत्र किया जा रहा है और सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) आपातकालीन स्थिति के दौरान (अर्थात् 1-7-75 से 31-7-76 तक) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर उप-सचिव अथवा उससे ऊपर के ओहदे के 10 अधिकारियों के घरों पर छापे मारे गए/तलाशियां ली गई हैं। इन तलाशियों के परिणामत: अपराधारोपणीय कागजात और/अथवा कीमती सामान और चल/अचल परिसम्पत्तियां पाई गईं । इनमें

से छः मामले अपनी आय के ज्ञात संसाधनों के अनुपात से अधिक परिसम्पत्तियां रखने तथा तीन मामले सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने और एक मामला बैंक के धोखा देने के आरोप से सम्बन्धित है । इन सभी दस मामलों की जांच की जा रही है ।

आपातकालीन स्थिति के दौरान (अर्थात् 1-7-75 से 31-7-76 तक) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत उप सचिव अथवा उससे ऊपर के ओहदे के किसी सरकारी अधिकारी के घर पर छापा नहीं मारा गया ।

सीमा शुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत यदि किसी उप सचिव अथवा उससे ऊपर के ओहदे के सरकारी अधिकारी के घर पर कोई छापा मारा गया हो तो उसके बारे में विवरण एकत्र किया जा रहा है और सदन पटल पर रख दिया जाएगा ।

गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशियाँ

637. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन गैर राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंकों के नाम क्या हैं जिनकी जमा राशि 80 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है, और

(ख) क्या सरकार का विचार इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जिन गैर-राष्ट्रीयकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाएं 25 जून, 1976 को 80 करोड़ रुपयों से अधिक थीं, वे निम्नलिखित हैं :—

भारतीय अनुसूचित बैंक

1. आंध्र बैंक लिमिटेड
2. विजया बैंक लिमिटेड
3. पंजाब और सिंध बैंक लिमिटेड
4. न्यू बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड
5. ओरिएन्ट बैंक ऑफ कामर्स लिमिटेड

विदेशी अनुसूचित बैंक

6. ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड
7. चार्टर्ड बैंक
8. सिटी बैंक एन० ए० (यह पहिले फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक था)
9. मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड

(ख) फिलहाल इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

लोहा और मैंगनीज अयस्क का निर्यात व्यापार

638. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और मैंगनीज अयस्क के निर्यात व्यापार में विशेषकर कर्नाटक राज्य में बड़े उद्योगपतियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस असमान प्रतियोगिता को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं और इसलिए कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

कपड़ा मिलों का आधूनिकीकरण करने के लिये धनराशि की व्यवस्था

639. **श्री वसन्त साठे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा देश में तथा विशिष्ट रूप से महाराष्ट्र में, अधिगृहीत रुग्ण कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इस राशि में महाराष्ट्र राज्य में स्थित राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 4.45 करोड़ रुपए शामिल हैं ।

बैंकिंग सेवा आयोग

640. **श्री वसन्त साठे :** क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक बैंकिंग सेवा आयोग की स्थापना करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस आयोग के बनाए जाने की घोषणा कब की जाएगी ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मूखर्जी) : (क), (ख) और (ग) बैंकिंग सेवा आयोग की अब तक स्थापना नहीं की गई है ।

महाराष्ट्र में हवाई अड्डा

641. **श्री वसन्त साठे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ;

(ख) महाराष्ट्र में हवाई अड्डों सम्बन्धी निर्णित विचाराधीन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) विचाराधीन प्रस्तावों के बारे में शीघ्र निर्णय करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) विमान क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा परिचालनात्मक अपेक्षाओं और साधनों की उपलब्धता के अनुरूप इस दिशा में लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। अंतर्देशीय हवाई अड्डों के विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए नागर विमानन विभाग की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 63.29 करोड़ रुपयों की राशि की व्यवस्था की गई है। देश में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास के चारों अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण तथा विकास करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 27.67 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) 11 करोड़ रुपए की कुल लागत से बम्बई हवाई अड्डे पर एक नए अंतरराष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो टर्मिनल काम्प्लैक्स के निर्माण की परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। निर्माण कार्य मार्च, 1976 में आरम्भ हो चुका है।

महाराष्ट्र में अन्तर्देशीय हवाई अड्डों पर निर्माण कार्य तथा संचार और दिक्चालन उपस्कर के प्राप्त करने तथा प्रतिष्ठापन को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

(ग) विवरण में दिए गए हवाई अड्डों पर संचार/दिक्चालन उपस्कर की प्राप्ति एवं प्रतिष्ठापन तथा सम्बद्ध निर्माण कार्य, क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में हवाई अड्डों के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से प्रारम्भ किए जाने वाले संचार सम्बन्धी निर्माण कार्यों व प्रतिष्टापनों का विवरण नीचे दिया गया है :—

बम्बई

1. रेसीप्रोकल आई० एल० एस०
2. सेकेण्डरी सर्वेलैंस राडार
3. यू० एच० एफ० लिंक
4. एक्सटेंडेड रेंज वी० एच० एफ०
5. समुन्नत संचार उपकरण

नागपुर :

1. आई० एल० एफ०
2. एक्सटेंडेड रेंज वी० एच० एफ०

औरंगाबाद :

1. नवीन ट्रांसमिटिंग स्टेशन
2. वी० एच० एफ० आमनी रेंज
3. डी० एम० ई०

महाराष्ट्र राज्य में हवाई अड्डों पर निर्माण कार्य

	लागत (लाख रुपयों में)	
औरंगाबाद		
धावनपथ का विस्तार तथा उसे चौड़ा तथा मजबूत करना .	69.05	पूरा कर दिया गया है ।
पावर सप्लाई में वृद्धि करना	4.31	पूरा कर दिया गया है ।
टर्मिनल भवन में परिवर्तन करना	1.20	पूरा कर दिया गया है ।
रिहायशी आवास	5.12	पूरा कर दिया गया है ।
फायर स्टेशन	4.19	स्वीकृत निर्माणकार्य शुरु होना है ।
जोड़	83.87	
बम्बई (नागर विमानन विभाग के निर्माण कार्य)		
फीडर केबल . .	6.15	कार्य प्रगति पर है ।
रिहायशी आवास (अर्ध स्थायी)	6.46	कार्य पूरा कर दिया गया है ।
स्थायी आवास	4.01	कार्य पूरा कर दिया गया है ।
स्थायी आवास	15.00	अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
जोड़	31.62	
नागपुर		
भूमिगत प्रकाश . . .	17.60	पूरा कर दिया गया है ।
पहुंच प्रकाश की व्यवस्था के लिए भूमि अधिग्रहण करना . .	4.00	कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है ।
जोड़	21.60	

पुणे

सिविल एनक्लेव का विकास

टर्मिनल भवन . . .	13.60	कार्य प्रगति पर है ।
एप्रन तथा टैक्सीपथ . . .	9.86	पूरा कर दिया गया है ।
जोड़ .	23.46	

Scheme to Attract Tourists to Andaman and Nicobar Islands

642. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate a scheme to enable more foreign and Indian tourists to visit Andaman and Nicobar Islands, and

(b) if so, the main features thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b) Since December 1973 a limited number of foreign tourists have been permitted to visit the northern group of the Andaman Islands. A plan to develop tourist facilities for these Islands would be considered only after a feasibility study is undertaken keeping in view the availability of resources and other priorities.

बिहार में लीड बैंकों की शाखाओं के बारे में 14 मई, 1976 को अतारांकित प्रश्न सं० 3885 के उत्तर में शुद्धि करने के लिए राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री द्वारा दिया गया विवरण

14 मई, 1976 को लोक-सभा में श्री भोगेन्द्र झा के अतारांकित प्रश्न सं० 3885 के भाग (ख) के उत्तर में, अन्य बातों के साथ बिहार में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या की 31-3-1976 की स्थिति के जिलेवार आंकड़े उसमें उल्लिखित अनुबन्ध 2 में दिए गए थे ।

किन्तु यह देखा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने, बिहार में जिलेवार बैंक कार्यालयों की संख्या के स्थान पर, अनवधानता से, प्रति बैंक कार्यालय जन संख्या के आंकड़े हजार में सूचित कर दिए थे । इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून, 1976 के अपने पत्र द्वारा अब सही आंकड़े सूचित किए हैं ।

इसलिए रिकार्ड को सही करने का जो सबसे पहला अवसर मिला है, मैं उसी का उपयोग कर रहा हूं । बिहार में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों के जिलेवार वितरण की 31-3-1976 की स्थिति प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है । पिछले उत्तर में जो असंगति आ गयी थी, उसके लिए मुझे खेद है ।

विवरण

जिले का नाम	कार्यालयों की संख्या
1. औरंगाबाद	10
2. बेगूसराय	22

जिले का नाम	कार्यालयों की संख्या
3. भागलपुर	35
4. भोजपुर	31
5. दरभंगा	21
6. धनबाद	62
7. गया	31
8. गिरीडीह	20
9. गोपालगंज	6
10. हजारी बाग	33
11. कटिहार	9
12. मधुबनी	12
13. मुंगेर	44
14. मुजफ्फरपुर	30
15. नालंदा	18
16. नवादाह	15
17. पलामऊ	28
18. पश्चिम चम्पारन	18
19. पटना	95
20. पूर्णिया	37
21. पूर्वी चम्पारन	28
22. रांची	61
23. रोहतास	31
24. सहरसा	22
25. समस्तीपुर	18
26. संथाल परगना	49
27. सारन	23
28. सिवान	10
29. सिंहभूम	59
30. सीतामढ़ी	12
31. वैशाली	16
जोड़	906

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय कपास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी० 11034/76]।

सहायक बैंक (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) संशोधन नियम 1976, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1976, दिल्ली वित्तीय निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा 1974-75 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं, दिल्ली विक्रय-कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तमिल नाडु स्टाम्प (लाइसेंससुदा स्टाम्प बिक्रेताओं के लिए परिश्रमिक निर्धारण), नियम, 1976 तथा आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन अधिसूचनाएं

राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :

(1) मैं भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सहायक बैंक (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 20 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1090 में प्रकाशित हुए थे, और

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** सं० एल० टी० 10743/76]।

(2) निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(i) बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) (दूसरा संशोधन) स्कीम 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 421 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** सं० एल० टी० 11036/76]।

(ii) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा आस्तियों और दायित्वों का विवरण लाभ और हानि लेखे तथा लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन जो

दिनांक 2 अप्रैल, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 6/4/75–फिन (2) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी० 11037/76] ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (15वां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 29 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 752 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (19वां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 25 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 222 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (17वां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 26 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 939 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए सं० एल० टी० 11038/76] ।

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 747 (ङ) जो दिनांक 3 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सा० सां० नि० 757 (ङ) जो दिनांक 6 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी की एक-एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए सं० एल० टी० 11039/76] ।

(5) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली विक्रय कर (चौथा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 7 जून, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4/25/76-फ़िन (जी) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) दिल्ली विक्रय कर (पांचवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 26 जून, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (33)/67-फ़िन (जी) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) दिल्ली विक्रय कर (छटा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 14 जुलाई, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (1)/76-फ़िन (जी) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) दिल्ली विक्रय कर (सातवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 16 जुलाई, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4/61/75-फ़िन (जी) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए सं० एल० टी० 11040/76] ।

(6) (एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित भारतीय स्टेम्प अधिनियम, 1899 की धारा 75क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत तमिलनाडु स्टेम्प (लायसेंसशुदा स्टेम्प विक्रेताओं के लिए पारिश्रमिक निर्धारण) नियम, 1976 की एक प्रति, जो दिनांक 17 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना सं० जी० ओ० एम० संख्या 381 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) (क) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण तथा (ख) अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । **देखिए** सं० एल० टी० 11041/76] ।

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 1920 जो दिनांक 12 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) सां० आ० 2145 जो दिनांक 26 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) सां० आ० 2215 जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) सां० आ० 2216 जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) सां० आ० 2349 जो दिनांक 10 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) सां० आ० 2350 जो दिनांक 10 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) सां० आ० 2351 जो दिनांक 10 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) सां० आ० 2352 जो दिनांक 10 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) सां० आ० 2353 जो दिनांक 10 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दस) सां० आ० 2354 जो दिनांक 10 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** सं० एल० टी० 11042/76] ।

डाक घर बचत बैंक (तीसरा संशोधन) नियम 1976, अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अधीन अधिसूचनाएं तथा भारतीय सामान्य बीमा निगम का 31-12-73 को समाप्त हुए वर्ष का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1973 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाकघर बचत बैंक (तीसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 27 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 485 (ङ) में प्रकाशत हुए थे ।
[ग्रन्थालय में रखे गए । **देखिए** सं० एल० टी० 11043/76]।

(2) अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकारी कर्मचारी) (संशोधन) स्कीम, 1976 जो दिनांक 1 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 430 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (स्थानीय प्राधिकरण कर्मचारी) (संशोधन) स्कीम, 1976, जो दिनांक 1 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 431 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकारी तथा स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों के अतिरिक्त कर्मचारी) (संशोधन) स्कीम, 1976 जो दिनांक 1 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 432 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।
[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** सं० एल० टी० 11044/76]।

(3) सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) नियम, 1973 के नियम 6 के अन्तर्गत भारतीय सामान्य बीमा निगम के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा मामलों सम्बन्धी प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।
[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल० टी० 11045/76]।

———

सूती कपड़ा (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1976 और तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, मद्रास के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) आवश्यक वस्तु, अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सूती कपड़ा (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 487 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 11046/76]।

(2) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, मद्रास के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की तमिलनाडु सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, मद्रास के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** सं० एल० टी० 11047/76]।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : महोदय मैं घोषणा करता हूं कि 16 अगस्त, 1976 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) आज की कार्य सूची में शामिल वह मद जिस पर आंशिक रूप से चर्चा हो चुकी है।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और उन्हें पास करना :—

(क) राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में।

(ख) भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1976 ।

(घ) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1976 ।

(ङ) इंडिया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (अंशों का अर्जन) विधेयक, 1976

(च) राष्ट्रपति पेन्शन (संशोधन) विधेयक, 1976 ।

(छ) दिल्ली विक्रय-कर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1976

(ज) कारखाना (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में ।

(झ) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में ।

(3) वर्ष 1976-77 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान ।

(4) नागालैण्ड और तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन बनाए रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्प पर चर्चा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई पर जिन मदों का आपने उल्लेख किया है उन पर वहां चर्चा नहीं हुई, जैसे अनुपूरक मांगें आदि ।

अध्यक्ष महोदय : पर प्रस्ताव हमारे सामने है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इन सभी बातों को समिति के समक्ष क्यों नहीं लाया गया ?

श्री के० रघुरमैय : मैं आपसे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक समय पर बुलवाने का अनु.रोध करूंगा ताकि जिन मदों पर समिति में विचार नहीं हुआ उन्हें उसके समक्ष रखा जा सके ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

62 वां प्रतिवेदन

निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं : —

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के 62वें प्रतिवेदन से, जो 12 अगस्त, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 62वें प्रतिवेदन से, जो 12 अगस्त, 1976 को इस सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1976-77
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1976-77

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं वर्ष 1976-77 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करती हूं।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक
REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक
CONTINGENCY FUND OF INDIA (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्रीमती सुशीला रोहतगी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं ।

आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना (संशोधन) अध्यादेश 1976 के निरनोमदन संबंधी सांविधिक और आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना (दूसरा संशोधन) विधेयक---जारी

STATUTORY RESULUTION *RE* DISAPPROVAL & MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1976 AND MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (SECOND AMENDMENT) BILL—*contd*

अध्यक्ष महोदय : इस संकल्प पर चर्चा के लिए नियत समय में से 2 घंटे 40 मिनट शेष हैं। मंत्री जी किस समय बोलेंगे ?

श्री के० रघुरमैया : मंत्री जी को 3 बजे बुलाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिसिंह अपना भाषण जारी रखेंगे ।

SHRI HARI SINGH (Khurja): Some speakers on the opposite side have said that the MISA has been enacted to snatch civil liberties, individual freedom and the freedom of the press. I would like to know from them any instance where a doctor or professor doing his duty honestly or a businessman carrying on his business scrupulously or a student taking his studies seriously has been arrested under the MISA. A dispassionate serbervation would reveal that no law abiding honest and peace loving citizen has been detained. Only those persons have been arrested who believed in disruptive activities and those engaged in smuggling, black marketeering hoarding and other unlawfull acts and were out to destroy the very base of democratic set up in India; These people incited the students to boycott their classes, raised slogans of Gherao of MLA, social boycott of M.L.A., formation of parallel assemblies; paralysing of Government work in offices, no-tax compaign, boycott of courts, formation of Janta sarkars and janta Adalats etc. Can any Government worth the name allow such things to happen ? These people deserved the treatment meted out to them. There was no alterna tive left with the Government except keeping these people under detention. They would not have been allowed to go their way and endanger the freedom and integrity of India.

The people who criticise the MISA should realize that this law has done emmense good to the country. It has given us a disciplined life. The contention of the opposition that people have no confidence in the present Government has been proved wrong. There is no place for opposition slogans in the hearts of students, professors, doctors, engineers, etc., as has been empty proved by the events of post emergency period. It is because of the MISA that Government have been able to unearth black money worth crores of rupees, jewels, diamonds and number of gold and silver from capitalists. Earlier these people used to go to courts and secured release on bails on some pretex or the other. But now there is distinct improvement. The law and order situation has improved. Production and tax realization has increased. Government plans are being implemented according to schedule and priority. We are proud of having a Prime Minister like Shrimati Indira Gandhi whose able leadership has saved the country from chaos and dis-integration. She is the saviour of democracy. The country is progressing under her leadership and there is stable Government in India. We are heading towards selfsufficiency.

Why the question of extending MISA arose ? This is because the leaders released on peral started their subversive activities clandestinely. They have to be checked and there is need of MISA for this. If the black marketeers, Smugglers, profiteers hoarders, law, breakers are again given liberty, they would surely endanger the very base of democracy in India. This measure is needed for the progress of the country so that the poor get their bread live peacefully.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : अध्यक्ष महोदय, सभा के सभी पक्षों ने यह बात स्वीकार की है कि आंसुका एक साधारण कानून नहीं, अपितु एक असाधारण कानून है, जिसकी आवश्यकता गत वर्ष कतिपय विशेष कारणों से पड़ी ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का असाधारण विधान संसद के प्रत्येक सत्र में और संशोधनों के लिए पेश कर दिया जाता है । यह अच्छी बात नहीं है । यह संशोधन उस राष्ट्रपतीय अध्यादेश के अनुसरण में पेश किया गया है, जो अन्तर्सत्रावधि में इस आधार पर प्रख्यापित किया गया था कि यदि यह अवधि 12 महीने के लिए और नहीं बढ़ाई गई, तो आंसुका के अन्तर्गत सभी नजरबंदियों को रिहा करना पड़ेगा, क्योंकि इससे अधिक समय तक उन्हें नजरबंद नहीं रखा जा सकता । मेरे दल का कहना यह नहीं है कि सभी नजरबन्द व्यक्तियों को रिहा कर दिया जाए । मैं इस बात को जानता हूं कि कई लोगों को जो नजरबंद हैं, छोड़ दिया जाना चाहिए । मैं इस बात को भी भलीभांति जानता हूं कि गत वर्ष से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें कई लोगों को रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है । अतः हमारे दल का विचार यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को तत्काल रिहा कर दिया जाए । जब सरकार एक संशोधी विधेयक लेकर यहां आई है, तब क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं हो जाती कि वह सभा को विश्वास में ले और उसे इस वास्तविकता से अवगत कराए कि आंसुका को किस तरह कार्यान्वित किया जा रहा है ? हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है । क्या हमें यह नहीं जानना चाहिए कि कितने लोगों को मामलों का पुनरीक्षण करने के बाद रिहा किया गया है ?

मैं और मेरा दल यह महसूस कर रहा है कि कुछ खतरनाक प्रवृत्तियां पनप रही हैं और ये प्रवृत्तियां इस तरह के विधान में तब तक बनी रहेंगी जब तक उन पर भलीभांति रोक नहीं लगाई जाती और चौकसी नहीं रखी जाती । इसका कारण यह है कि इस तरह के विभान के अन्तर्गत कार्यपालिका और नौकरशाही को, जिसे इस बड़े देश, के सभी राज्यों में सभी स्तरों पर ये सभी चीजें कार्यान्वित करनी हैं, काफी शक्तियां दी जा रही हैं। अनुभव से हमें पता चला है कि आंसुका के अन्तर्गत इन शक्तियों का दुरुपयोग धीरे-धीरे बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है ।

हम इस विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मतदान नहीं करेंगे । क्योंकि हमारा दल एक कठिन स्थिति में है । हमारे दल के अनेक लोग आंसुका के अन्तर्गत नजरबन्द हैं। हम इस बात का भी समर्थन नहीं करते हैं कि जितने लोग नजरबन्द हैं, उन सबको रिहा किया जाए । अतः हम मतदान में भाग नहीं लेंगे ।

गृह मंत्री द्वारा स्पष्ट आश्वासन दिया गया है कि नजरबन्द करने वाले अधिकारी इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे कि केवल वे लोग गिरफ्तार किए जाएं, जो राष्ट्र के सामूहिक जीवन के लिए खतरा बने हुए हैं अथवा जिनके खतरा बन जाने की पूरी आशंका है । परन्तु आज स्थिति यह है कि हमारे दल के उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मांग कर रहे थे । क्या इन लोगों से समाज को कोई खतरा था ? जब ऐसी बातें हो रही हों तब क्या आप हमसे इस विधेयक के समर्थन की आशा कर सकते हैं ? हम इसका समर्थन नहीं कर सकते ।

श्री बनर्जी ने पिछले दिन कुछ रक्षा कारखानों के कर्मकारों के मामलों का उल्लेख किया था । ये कर्मचारी उस अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी महासंघ के सदस्य हैं, जो

आपात स्थिति के प्रारम्भ से ही अच्छा कार्य कर रहा है और हमारे देश पर जब-जब खतरा आया है तब-तब इस महासंघ ने अच्छा कार्य किया है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : छिंदवाड़ा कोयला क्षेत्र में जिन 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं । मैं चाहता हूं कि आप उनके बारे में कुछ उल्लेख करें.....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे इसकी जानकारी है । पहले लगभग 1000 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी । परन्तु सभी गिरफ्तारियां आंसुका के अन्तर्गत नहीं हुई हैं। यह एक सरकारी क्षेत्र की खान है । इसके प्रबन्धक कर्मचारियों से सलाह लिए बिना पारी-प्रणाली और कार्य-घंटों में परिवर्तन करना चाहते थे जिसका कर्मकारों ने विरोध किया, जिसके कारण इन्हें आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया । सरकारी क्षेत्र में किस तरह के औद्योगिक सम्बन्ध बनेंगे ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : आपको इसकी जानकारी नहीं है । मैं छिंदवाड़ा की बात कर रहा था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय प्रतिरक्षा कर्मचारियों के इन मामलों की छानबीन करें इसमें अवाडी, अम्बरनाथ, कटनी, फोर्ट विलियम और कासगांव के रक्षा कारखानों के कर्मकारों के मामले हैं। जब कभी भी रक्षा उत्पादन का मामला आता है, इनकी प्रशंसा की जाती है । परन्तु अधिकारी सक्रिय मजदूर संघवादियों को नापसंद करते हैं। यह मैं सभी जगह देख रहा हूं ।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं यही कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिए और जिनका मैंने उल्लेख किया, वे अधिकांशत: व्यर्थ हो गए । इसमें तनिक भी सुधार नहीं हुआ है । इसके विपरीत स्थिति बिगड़ गई है । आंसुका का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया गया जो ईमानदारी से 20 सूत्री कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहे हैं और जो इसका कार्यान्वयन नीचे से कराना चाहते हैं और जिन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के विरुद्ध संघर्ष किया । तो इसका उद्देश्य क्या है ? इस आपात स्थिति का समूचा उद्देश्य क्या है ? इसी कारण मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता ।

मंत्री महोदय ने जो यह कहा है कि केवल कुछ स्तर के अधिकारियों को शक्तिप्रदान की गई है और इस लिए पर्याप्त संरक्षणों की व्यवस्था है, मेरे अनुभव से यह सही सिद्ध नहीं हुआ है । ऐसी बात नहीं है कि वे गैर-जिम्मेदाराना व्यक्ति हैं परन्तु उनका एक तरह का दृष्टिकोण है । उनकी कुछ निहित स्वार्थों के साथ सहानुभूति है, विशेष रूप से गांवों में । जब कोई जमींदार कुछ हरिजनों के खिलाफ या कुछ खेतिहर मजदूरों के विरुद्ध शिकायत करता है, तो अधिकांश अधिकारियों की जमींदारों के साथ सहानुभूति होती है और मजदूरों के प्रति नहीं । अत: भलीभांति समीक्षा करने की आवश्यकता है । मेरा प्रस्ताव यह है कि संशोधन करते समय इसमें सलाहकार बोर्ड का उपबन्ध किया जाए। जिसे एक निश्चित अवधि के भीतर नजरबंदियों के सारे मामले सौंपने होंगे और इस सलाहकार बोर्ड में कोई प्रतिष्ठित न्यायाधीश अथवा एक भूतपूर्व न्यायाधीश या कोई और तथा इसी तरह के दो या तीन निष्पक्ष व्यक्ति हों जो सभी मामलों की जांच करे और सरकार को अपनी सलाह दें । सरकार को उनकी सलाह स्वीकार करने की आवश्यकता भी नहीं । इसे सभी को बताया न जाए । इसे स्वीकार किया जा सके

या न किया जा सके। परन्तु कम से कम नजरबंदी यह महसूस करने लगें कि गलत ढंग से नजरबंदी के मामले कम हो जाएंगे। अतः सलाहकार बोर्ड, जिसकी व्यवस्था पहले थी, अब नहीं है। अनुभव से यह सिद्ध हो जाता है कि इसकी बड़ी आवश्यकता है। वे न्यायालय भी नहीं जा सकते। उन्हें नजरबंदी के कारण भी नहीं बताए गए हैं। अतः सलाहकार बोर्ड अवश्य ही होना चाहिए। इसमें सरकार को आपत्ति क्या है ? सुरक्षा व्यवस्था में संकट नहीं पैदा हो जाएगा। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें आपकी सुरक्षा व्यवस्था असफल रही है। जैसा कि हाल ही में श्री सुब्रह्मण्या स्वामी के, जिनके विरुद्ध वारंट है, जिनका पारपत्र भी जब्त हो चुका है, जिन्होंने एक वर्ष विदेश में इस देश के विरुद्ध घोर प्रचार किया, दूसरे सदन में आगमन, व्यवस्था के प्रश्न का उठाना और पुनः चले जाना एवं उनका पकड़ा न जाना इसका जीता जागता उदाहरण है।

अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह गम्भीरतापूर्वक इन मामलों की छानबीन करें। केवल आदेश और आश्वासन दिए जाते हैं जो कभी भी पूरे नहीं होते हैं। यह बड़ी ही असंतोषजनक स्थिति है कि जो लोग 20 सूत्री कार्यक्रम और आपात स्थिति के समर्थन में कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ इन शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप इसे न्यायोचित कैसे ठहराते हैं ? मेरा यही कहना है।

श्री आर० के० खाडिलकर (बारामती) : मैं आज एक लम्बे अरसे के बाद बोल रहा हूं आज मैं एक कारण से बोलने को बाध्य हुआ हूं। इस समय मैं मंत्री महोदय से अपील करने जा रहा हूं कि वह इस प्रश्न को सामाजिक-राजनीतिक दृष्टि से देखें न कि अपने दल की दृष्टि से देखें। इस समय अगर आप 20 सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन चाहते हैं तो वर्तमान परिस्थितियों में यह सुगम कार्य नहीं है। इसमें हमें कुछ दमनकारी शक्तियां अपने लिये रखनी होंगी। क्या गृह मंत्री महोदय किसी ऐसे स्थायी परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं जिसके अन्तर्गत एक स्थायी दमनकारी तन्त्र की व्यवस्था की जाये। मैं इस मामले पर सामाजिक राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देख रहा हूं।

इस सम्बन्ध में हम हर वर्ष एक विधेयक प्रस्तुत करते हैं सदन में उसकी हर बार आलोचना होती है अतः यह सब रसमी बात सी हो गई है अतः अच्छा यही है कि हम इस सम्बन्ध में एक स्थायी तन्त्र की व्यवस्था करें। अतः यह प्रश्न समाज-विरोधी तत्वों का उन्मूलन करने का है। हमें इस पर दल विशेष की दृष्टि से नहीं बल्कि व्यापक दृष्टि से विचार करना होगा।

अब ऐसा समय आ गया है कि भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति होनी ही चाहिये। के भारत एक नरम राज्य बन कर नहीं रह सकता। अत : प्रगति से लिए एक स्थायी व्यवस्था करनी होगी। इस प्रगति के लिये यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि देश से तस्करी तथा कालाबाजार का नामोनिशान मिटा दें इस सम्बन्ध में हमारा निर्णय दलगत अथवा व्यक्तिगत दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक व्यापक स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिये। इस दृष्टिकोण से मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

SHRI RAM BHAGAT PASWAN (Rosera) : Mr. Speaker Sir, I extend my support to MISA amendment Bill

अध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न, योजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रखें।

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे मध्याह्न पश्चात के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बज कर तीन मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

SHRI RAM BHAGAT PASWAN : Mr. Deputy Speaker Sir, the first requirement for the progress of any country is that it should have a strong law and order base to ensure its safety. Since independence, anti-national elements had been creating numerous obstacles in the progress of the country. Sometimes there were communal riots and sometimes chactic conditions were created by inciting students and farmers. They had tried to sabotage even. The programmes of the Prime Minister.

Shri Jayaprakash Narain calls himself a sarvodya leader. But in the words of Mahatama Gandhi, the meaning of sarvodya is to help the poor by going into the rural areas and help in removing poverty. Shri Jayaprakash Narain had given many slogans but he never mentioned about land ceiling and do about minimum wages he never spoke against casteism. His only slogan was to incite students employees and even service personnal and to disturb assembly meetings, He was trying to create a very dangerous situation in the country. But the Prime Minister acted in time and saved democracy in the country.

Now we have to implement large number of programmes aiming at ushering a new era of social equality and to not out exploitation of the poor and downtrodden people of the country. Now the vested interests who need to perpetrate atrocities on the poor are being dealt under the MISA. This measure has resulted in decline in cases of atrocities being perpetrated on the poor.

The imposition of emergency is proving a blessing as during the period, the black marketeers, the hoarders and profiteers have been dealt with strong measures. In case they are released now, they will again try to create unstable conditions and plunge the country into chaos which will disturb the economic balance and obstruct the progress made so far. In other countries the anti-national people are given severe and hard punishments but the country of Gautam Buddha, Mahatma Gandhi and Pandit Jawahar Lal Nehru cannot treat them so. But we can deal with these anti-national elements under MISA and remove the hurdles which they are creating in the way of socialism.

Moreover an atmosphere of violence was being created in the country. Late Shri Lalit Narain Mishra was killed and even a conspiracy was hatched to kill the saviours of the the country. The good effects of emergency are now manifest invarious fields. I support heartily the MISA amendment Bill, which has been brought with a view to save the democracy in the country.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं इस विधेयक को स्पष्ट समर्थन देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस चर्चा में कतई भाग नहीं लेना चाहता था किन्तु कुछ विपक्षी सदस्यों की टिप्पणियां सुन कर मुझसे चुप नहीं रहा गया।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जून, 1975 में आपातस्थिति की घोषणा के पश्चात् देश में राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन लाने में यह विधान तथा अन्य विधान

जेसे आंसुका ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस विधान के अन्तर्गत किसी भी नागरिक को नजरबंद किया जा सकता है और उसके विरुद्ध न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं हो सकती, निसन्देह यह विधान बड़ा ही शक्तिशाली है और इतने अधिक अधिकार हानिकारक भी हो सकते हैं नागरिकों की स्वतन्त्रता समाप्त की जा सकती है। इन अपार अधिकारों के अन्तर्गत समस्त विपक्षी दलों को समाप्त किया जा सकता है और जो सरकार के लिये दुःखदायी तत्व हैं उन्हें समाप्त किया जा सकता है मैं एक दम मानता हूं कि यदि इस कानून का एकतरफा तथा निरंकुश प्रयोग किया जाये तो देश से समूचा प्रजातन्त्र समाप्त हो सकता है तथा अधिनायकवाद और तानाशाही का आविभाव हो सकता है। किन्तु इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि क्या वास्तव में इस कानून का इस प्रकार प्रयोग करके राजनीतिक विपक्ष को समाप्त कर दिया गया है अथवा क्या इसका प्रयोग देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुदृढ़ता लाने के लिये किया गया है। हम रोज नेताओं की रिहाई के बारे में सुनते हैं। अगर गृह मंत्रालय का उद्देश्य समूचे राजनीतिक विपक्ष को समाप्त करना होता तो रोज-रोज नेताओं को रिहा न किया गया होता।

जहां तक संवैधानिक संशोधनों का सम्बन्ध है प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और विचार विमर्श किया जायेगा और इस सम्बन्ध में विपक्षी सदस्यों से भी बातचीत की जायेगी। भारत सही मायनों में एक लोकतन्त्र देश है। भारत एक लोकतन्त्र देश था और वह लोकतन्त्र देश बना रहेगा। अतः विपक्षी दलों का इस सम्बन्ध में सन्देह निर्मूल है।

अब प्रश्न यह है कि क्या हम आपात स्थिति से पहले वाली स्थिति पुनः लाना चाहते हैं जहां हर व्यक्ति को हर तरह का काम करने की स्वतन्त्रता थी। मैंने कुछ बुद्धिजीवियों से विचार विमर्श किया है और वह कहते हैं कि यह नियमित लोकतन्त्र क्या वस्तु है? मैं कहता हूं कि आम आदमी के लिये नियमित लोकतन्त्र का अर्थ है जिस में संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का सम्बन्ध उत्तरदायित्वों से जुड़ा होना चाहिये। और जो इन उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं करेंगे उन्हें इन अधिकारों से वंचित होने का खतरा उठाना पड़ेगा। इस विधायी शक्ति से सरकार उस व्यक्ति से वह अधिकार छीन सकती है। हमारे देश में अब आर्थिक स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा है अतः अब वैसे ही उन्मुक्त समाज की आज्ञा नहीं दी जा सकती है क्योंकि इस प्रकार अनुशासन भंग होता है और देश में परिश्रम तथा निष्ठा का अभाव हो जाता है। इस प्रकार के समाज के कारण देश में राष्ट्रीय चरित्र नहीं बन पाया है। हम लोकतन्त्र चाहते हैं किन्तु प्रश्न यह है कि उस लोकतन्त्र का स्वरूप क्या हो आज राष्ट्र के प्रति यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है और मेरा विचार है कि इसी बात को विपक्षी दलों के सदस्य भूल गये लगते हैं।

आज देश में आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अच्छी है, व्यापार सन्तुलन और वितरण व्यवस्था पहले से कहीं बेहतर है। इसी प्रकार हमारे कृषि और औद्योगिक उत्पादन में कभी इतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी अब है। हमने समूचे विश्व में एक अद्भुत करिश्मा कर दिखाया है कि हम मुद्रास्फीति पर पूरा नियंत्रण पा सके हैं। इन उपलब्धियों को प्राप्त करने में इस विवेचक

ने क्या भूमिका निभायी है? इस देश में इन विधायी उपायों से ही अनुशासन आया है। इधर विपक्षी सदस्य उपलब्धियों के लिए सरकार की प्रशंसा करते हैं उधर कहते हैं कि वह इनका समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि दल के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे दल के लोगों को भी इस कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। अतः देखना यह है कि इस कानून से आम जनता का क्या कल्याण होता है। अगर ऐसा होता है तो इस कानून के लिये इस सदन का अत्याधिक समर्थन प्राप्त होगा।

मैं जिस बात के लिये इस चर्चा में भाग ले रहा हूं वह यह है कि छिन्दवाड़ा खान, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है से कुछ श्रमिकों की गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया है। इस खान में एक हजार व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। दुर्भाय से कुछ व्यक्ति जो राष्ट्रीयकरण से पहले शानदार कार्यकुशलता दिखा रहे थे अब वह खानों में आये परिवर्तनों को भूल गये हैं। यह उन राष्ट्रीयकृत खानें हैं जहां पहले की अपेक्षा प्रत्येक श्रमिक चार या पांच गुणा अधिक वेतन ले रहा है। अब वह खानों में काम नहीं होने दे रहे थे और जब कि देश को कोयले की आवश्यकता है वह कहते थे कि वह खान का चलना असम्भव कर देंगे। क्या हमें ऐसे व्यक्तियों को मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं करना चाहिये था?

इस कानून के दुरूपयोग के उदाहरण भी होते हैं। एक मामला मेरे अपने ही निर्वाचन क्षेत्र का है एक कांग्रेसी व्यक्ति, जो कुछ मतभेद के कारण जनसंघ में चला गया था और अब जिसने जनसंघ से त्यागपत्र दे दिया है और 20-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वियन में पूरे परिश्रम से कार्य कर रहा था नजरबन्द है और उसकी रिहाई के लिये हम प्रत्येक सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु यह मंत्रालय इस सम्बन्ध में हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है यह इस कानून का दुरूपयोग है शायद इस प्रकार की स्थिति में ऐसे मामले हो ही जाते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: सदस्यों को थोड़ा और समय देने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया गया है कि मंत्री जी को गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ होने से केवल एक मिनट पहले बुलाया जाए। पर फिर भी मेरे पास केवल 15 मिनट बचते हैं। यदि प्रत्येक सदस्य को 5 मिनट का समय भी दूं तो भी सभी को बोलने का अवसर नहीं मिल पायेगा।

श्री एस० एम० शमीम (श्रीनगर): उपाध्यक्ष महोदय मैं....

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा। खैर आप पांच मिनट का समय ले सकते हैं।

श्री एस० एम० शमीम: सत्ताधारी दल के सदस्यों ने जो भाषण किये हैं उनसे मुझे अचम्भा नहीं हुआ है। पर कम्युनिस्ट दल और सत्ताधारी दल के बीच जो बातचीत हुई है उसने मुझे कुछ कहने के लिए उत्तेजित किया है।

दुःख की बात है कि सत्ताधारी दल और कम्युनिस्ट दल ने मौलिक मामले का तिरस्कार कर दलगत बातें करनी आरम्भ कर दी हैं। वास्तव में प्रश्न किसी दल विशेष का नहीं है और न ही किसी दल विशेष के सदस्यों की गिरफ्तारी का ही है। मूलभूत बात तो यह है कि देश में किसी भी नागरिक को कानूनी औचित्य के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाना

चाहिये, जब हमने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है और इसकी अनुपालना का आग्रह भी हम करते हैं तो इस बात की शिकायत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहनी चाहिए कि एक दल के सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं पर दूसरे दल के नहीं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक बार भी यह नहीं कहा कि सत्ताधारी दल के जो सदस्य दल के सिद्धांतों को स्वीकार न करने के कारण गिरफ्तार किये गये हैं उन्हें भी रिहा कर दिया जाए। वह तो अपने दल के सदस्यों की रिहाई की ही बात करते रहे हैं। स्वतन्त्रता वैयक्तिक होती है और उसे दलों के बीच विभाजित नहीं किया जा सकता है।

श्री साल्वे ने विनियंत्रित लोकतंत्र का जिक्र किया। यही शब्द वास्तव में हिटलर और मेसोलिनी ने भी इस्तेमाल किये थे। आरम्भ में उन्होंने भी देश को और लोकतंत्र को विनियमित करना शुरू किया और कम्युनिस्ट जैसे लोगों ने, जिन्होंने उनका समर्थन किया, अपने को एक दिन जेल में पाया।

कई बार विरोधी दलों का उल्लेख किया गया है। पर देश में विरोधी दल हैं कहां? सत्ताधारी दल के 350 सदस्य संसद् में हैं। जनतंत्र को चलाने के लिए इससे और अच्छी स्थिति क्या हो सकती है?

आंसुका पर चर्चा करते हुए यह कहा गया है कि विश्व में भारत का मान इस लिए है कि यहां स्थिर सरकार है और यह स्थाई सरकार केवल 'आंसुका' के बदौलत ही है। यदि विश्व में हमारे देश की प्रतिष्ठा का कारण केवल सरकार की स्थिरता ही है तो इस प्रकार के कई अन्य देश भी रहे हैं। हिटलर का जर्मनी अत्याधिक स्थिर देश था। स्पेन में फ्रैंको की सरकार से अधिक विश्व में और कौन सा देश स्थिर रहा है? वस्तुतः उस देश पर गर्व नहीं किया जा सकता जहां किसी व्यक्ति को बिना कारण बताये गिरफ्तार किया जाता हो। हम दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार न किये जाने की बात करते हैं। इस पर सरकार विचलित है। पर जब भारतीयों के साथ भारत में ही सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है तो हमारा आन्दोलित होना स्वाभाविक ही है।

यदि हम स्वतंत्र और आजाद देश चाहते हैं जहां वैयक्तिक स्वतंत्रता हो, तो हमें इस प्रकार के मनमाने कानून नहीं बनाने चाहिए जैसे कि यह आंसुका है जिसे हर वर्ष एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाता है।

गृह मंत्री यह मानते हैं कि कुछ गलतियां हुई हैं और कुछ हो रहीं हैं। उनकी धारणा सही है। इसलिए हमें इतने व्यापक अधिकार छोटे मोटे अधिकारियों को नहीं देने चाहिएं। हमें ऐसे देश की कल्पना करनी चाहिये जहां एक तस्कर भी बिना विचारण के बन्दी न बनाया जाये। मैं गृह मंत्री को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इतिहास उन्हें नहीं बख्शेगा और इतिहास में उन्हें लोकतंत्र के हत्यारे और फासिस्ट के रूप में दिखाया जायेगा।

SHRI CHANDRA SHAILANI (Hathras) : I congratulate the Home Minister for having brought this Bill. Prior to the proclamation of emergency on 26th June, 1975, life of commonman had become very difficult and hard. An atmosphere of chaos had been created all over the country. People used to say that there was no discipline and there was no Government. Evidently, the people who talked of total revolution under the leadership of Shri Jayaprakash Narayan had no sympathy h the poor

masses. They were big landlords, capitalists industrialists and challanged openly the leadership of our great Prime Minister Smt. Indira Gandhi. The oppcsition parties having failed to win the elections since the very first general election which held in 1952, lost their patience and started indulging in character assassination of our leaders. They tried to disturb the meetings of our Prime Minister and started insulting her. When they failed to capture power through constitutional methods, they talked of revolution. In these circumstances it was abolutely justified to enforce MISA. I appreciate the wisdom of the Home Minister in proposing the extension of MISA for one year more as this is the only measure which can control smuggling, hoarding, black-marketeering and similar other vices.

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : विरोधी दलों ने एक ही मुख्य विमति का तर्क पेश है जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस विधान के उपबन्धों के अधीन नौकरशाही को दी गई शक्तियों का बहुत अधिक दुरुपयोग हुआ है। पर यह सच नहीं है। इन शक्तियों का बड़ी ही सावधानी पूर्वक प्रयोग किया गया है । कभी भी मनमानी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया । ··· (**व्यवधान**) इनका प्रयोग सरकारी अधिकारियों, उद्योगपतियों, खाद्यापमिश्रकों और उन राजनैतिक व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया है जो देश के हितों के प्रतिकूल कार्य कर रहे थे।

ऐसे कई उदाहरण है जिनमें प्रतिष्ठित विदेशियों ने भारत में आपात स्थिति के दौरान प्राप्त उपलब्धियों की प्रशंसा की है। गत वर्ष हमारा औद्योगिक उत्पादन 6 प्रतिशत बढ़ा और इस वर्ष 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस वर्ष पहली बार 400 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। रेल सेवाओं की कार्यकुशलता और नियमितता में काफी सुधार हुआ है। बिजली परियोजनाओं की क्षमता उपयोग में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मूल्य कम हुए हैं और मुद्रास्फीति पर काबू पा लिया गया है। देश को ये सारे लाभ इस कानून की बदौलत ही हुए हैं। (**व्यवधान**)

SHRI R. R. SHARMA (Banda) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support this Bill on economic and social grounds.

श्री एस० एम० शमीम : आपने उन्हें जनसंघ में समझकर सात मिनट दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे सामने जो कागज़ हैं मैं उसके अनुसार चल रहा हूं। अभी भी उनका नाम जनसंघ में है।

SHRI R. R. SHARMA : There appears to be some mistake in the records of Lok Sabha Secretariat. It is a year ago that I resigned from Jan Sangh and I have also announced this in this House and I have given in writing to the Speaker.

I have said that I am supporting this bill on economic and social grounds. I would like to cite an example of my own district. Before emergency Harijans were given land on lease but possession of not a single inch of land was given to them. They were also given some other reliefs but they would not get any benefit of them. But today they have received lease deeds as well as possession of Land and they are cultivating it. These achievements are not ordinary achievements and there has been achievements in every field. I would request the Hon'ble Minister to be careful about the misuse of the powers thereunder. With these words I support the bill.

SHRI P. GANGA REDDY (Adilabad) : Sir, it has been complained that innocent people have been detained under MISA but the way they carried on their activities creating all sorts of hurdles in running the administration smoothly necessitated

use of such measures. Because the very independence of the country had been endangered. In fact they should have been taken under detention much earlier.

There are not two opinions about the fact that the country has gathered a new courage and it is progressing fast. There has been all-round progress. The prices of essential commodities have decreased and law and order condition has considerably improved.

It is correct that in the matter of public interest the causes of detention are not disclosed.

In so far as the complaint of misuse of MISA is concerned, the Prime Minister and the Home Minister have clearly said that every care will be taken in the use of the powers under MISA. Chief Secretaries have been instructed that the enforcement of MISA should not be left on the Police and the collectors.

So far as review of cases is concerned the Chief Ministers make a review from time to time and hundreds of persons have been released.

I want to congratulate the Prime Minister and the Home Minister for bringing in such a measures.

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दो तर्कों को लेकर विधेयक का विरोध किया है। एक तो यह कि जब गृह मंत्री इसे गत जनवरी में लाये थे तो यह कहा गया था कि यह केवल बारह महीने के लिए है। दूसरा यह कि इसकी शक्तियों का दुरुपयोग किया जायेगा। जनवरी में सरकार समझती थी कि यह एक असाधारण उपाय है और अल्प-कालीन होना चाहिये किन्तु स्थिति ऐसी है कि उन्हें इसे बारह महीने और बढ़ाने के लिए कहना पड़ा है। आपत्ति उचित तब होती यदि वह 3 वर्ष के लिए लाया जाता अतः यह कोई बड़ी आपत्ति नहीं है।

हमें उन कारणों को दृष्टि में रखना है जिनके कारण यह कानून बनाना पड़ा। यदि वे परिस्थितियां बनी रहती हैं तो आंसुका को और बारह महीने तक बढ़ाना आवश्यक है। सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है और यदि स्थिति में सुधार होता है और यह सामान्य होती है तो निसन्देह आपातकालीन स्थिति अथवा आंसुका की कोई आवश्यकता नहीं है।

दूसरा तर्क यह है कि इसका सम्भवतः दुरुपयोग किया जायेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि दुरुपयोग किया जायेगा किन्तु इस कारण यह नहीं कह सकते कि कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने पिछली दफे हमें आश्वासन दिया था कि मामलों पर राज्य स्तर, मुख्य मंत्री के स्तर तथा केन्द्रीय स्तर पर समीक्षा की जायेगी। यह भी आश्वासन दिया गया था कि यदि कोई भी मामला उनके ध्यान में लाया गया तो वे उसकी जांच करेंगे। श्री शमीम ने बड़े गर्व के साथ यह बात कही कि देश में स्थिति बिल्कुल सामान्य है और हमारा विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है किन्तु यह स्थिति कैसे पैदा हुई है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं भूल सकता कि यह स्थिति 1975 में पैदा हुई और विपक्ष के नेता इस स्थिति का प्रयोग अपने हित साधन के लिए करना चाहते थे। सरकार ने समय पर कार्यवाही की। मैं प्रधान मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। वह स्थिति अभी भी बनी हुई है और उसी प्रकार विस्फोटक है जैसी 1975 में थी और आपातकालीन स्थिति बनी रहनी चाहिए। इस विधेयक पर हमें इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए यह कानून एक असाधारण स्थिति से निपटने के लिए है और वह स्थिति

अभी भी बनी हुई है। यदि सामान्य स्थिति बन जाती है तो इसे बनाये रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह विपक्ष पर निर्भर करता है कि वह सामान्य स्थिति बनाने में सहयोग दें ताकि लोकतंत्र फिर से आये। हम यह भी देखें कि हमने जो कुछ प्राप्त किया है वह सुदृढ़ हो और हम आगे बढ़े।

श्री के० सूर्यनारायण (इलूरु) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह सभी जानते हैं कि आंसुका उन लोगों के विरुद्ध प्रयोग किया गया है जिन्होंने सरकार का अनुपालन नहीं किया और सरकार के प्रत्येक कार्य का विरोद्ध किया। ऐसे लोगों को जेल में डाला गया है किन्तु वहां उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है। साथ ही आंसुका का प्रयोग उन लोगों के विरुद्ध भी किया गया है जो कालाबाजारी और कर-अपवंचन में लगे हुए हैं।

प्रश्न काल के दौरान 63 फर्मों का उल्लेख किया गया है जिनके ऊपर छापे मारे और बेहिसाबी रुपया पाया गया। क्या इन फर्मों के विरुद्ध आसुंका के अधीन अब तक कोई कार्यवाही की गई है? प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि आंसुका का प्रयोग उन साधारण लोगों के विरुद्ध न किया जाय जो अनुशासनशील हैं।

SHRI RAJDEO SINGH (Jaunpur) : Mr. Deputy Speaker Sir, I support the MISA Amendment Bill and oppose the Statutory Resolution of the opposition. After all what is the necessity of detaining people under MISA ? We have about two dozen political parties in our country. They have all-along been defeated in the elections. Then they came to the conclusion that their aim could not be achieved by elections and they, therefore adopted an other method. I have been listening to the speakers from the opposition. It has been said that thousands of people have been detained but if you think with a cool mind that if by detaining a few people out of 60 crores, there is all-round order and discipline it is good for the country. It is also not in the interest of the country to have so many parties. Congress party also does not want to remain in power always.

MISA Amendment is for the good of the country and this we have seen during the last 13 months the attitude of the opposition that if they have not been able to get power let others also not have it, is wrong. The Prime Minister has taken a very wise step and has saved the country from destruction. Today the same people and the same press in foreign countries are speaking in apreciation of our achievements who in the beginning said that democracy was being put an end in India. If in return of the detention of a few people such is the gain, I would suggest the continuance thereof till our country is fully developed. With these words I support the bill.

श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं विपक्षी दलों के इस आरोप का तीव्र खंडन करता हूं कि आंसुका का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है तथा यह देश में अराजकता को समाप्त करने के लिए सरकार के हाथ में एक हथियार है। किन्तु यह कमजोर वर्गों की आर्थिक हालत सुधारने तथा जमाखोरों और कानून तोड़ने वालों को जेल डालने के लिए है। यह उतने ही समय तक रखा जायेगा जब तक इसकी ज़रूरत होगी।

जब से स्वतंत्रता मिली तब से विरोधी दलों का क्या इतिहास रहा है। साम्यावादी (मा०) दल का तो उद्देश्य यह रहा कि देश को नष्ट किया जाये और सभी बुद्धिजीवी लोगों को समाप्त किया जाये। द्र० मु० क० का उद्देश्य हिन्दी का सर्वम विरोद्ध करना रहा।

आंसुका का उद्देश्य अराजकता को समाप्त करना है। आंसुका और आपातकालीन स्थिति को इतने थोड़े से समय में बहुत लाभ देश को मिला है। यदि विपक्षी दल अनुशासन और जिम्मेदार तरीके से रहते हैं तो यह कल ही समाप्त किया जा सकता है। विपक्षी दलों का चुनाव में हारने के बाद संसद् और संसद् के बाहर जो गतिविधि रही है उसके लिए आंसुका और आपातकालीन स्थिति ही सही उपाय है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दीनेन भट्टाचार्य, यदि आप मुझे आश्वासन दें कि आप 5 मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे.....

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह महसूस करना चाहिए कि अनेक लोग जेल में हैं और आप मुझसे 5 मिनट में भाषण समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। इससे तो बेहतर यही है कि इस विषय पर कुछ न बोला जाये.....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। मैं तो आपको समय के बारे में बता रहा हूं।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : समय बढ़ाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नियत समय पहले ही बढ़ा दिया है। समय दो बार बढ़ाया जा चुका है। यदि आप और समय चाहते हैं तो इस पर सभा निर्णय कर सकती है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हम चाहते हैं कि समय बढ़ाया जाये।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : चूंकि सभा के दोनों पक्ष चाहते हैं कि समय और बढ़ाया जाये तो आप एक घंटे का समय और बढ़ा सकते हैं। सामान्य चर्चा आज 3-30 बजे तक और सोमवार को 12 से 1 बजे तक जारी रह सकती है। मंत्री महोदय को सोमवार को 2 बजे बुलाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा की यही इच्छा है, तो हम यह स्वीकार कर सकते हैं।

SHRI RAM CHANDRA VIKAL (Boghpat) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support this Bill. I would like to tell the opposition that people have appreciated the action taken by Government. The results achieved during the last one year have also been appreciated by the people. People are of the opinion that such action should have been taken earlier. People also want that this situation should continue for a long time.

The leaders of opposition parties have made some complaints. Mr. Shamim asked as to how this situation has arisen suddenly. I would like to tell him that this situation has not been brought suddenly. It is the foresight tolerance and patriotism of our Prime Minister that she took this action in time.

Mr. Deputy Speaker, self discipline is very necessary and in its absence it has to be brought therough laws and punishment.

Secondly, our ancient history shows that there was provision for some kind of punishment in the society on committing any kind of crime. It is needed today also. It might be that some gentlemen have also suffered. In this connection I would request the Home Minister to look into these matters.

It is correct that emergecy has brought about peace in the country. Economic and social conditions of the country have improved. It has also brought about political

stability in the country. These steps are being welcomed everywhere in the country.

With these words I congratulate the Home Minister for introducing this Bill. The oppostion should also welcome this measure. like other people.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मुझे सरकार और उपाध्यक्ष महोदय का रवैया देख कर बहुत दुःख हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्यों ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्योंकि मामला इतना सरल नहीं है, जितना कि आप समझ रहे हैं। भले ही आप हंसें। परन्तु क्या हमें यह देखकर दुःख नहीं होता है कि श्री ज्योतिर्मय बसु 25 जून, 1975 से बिना कारण जेल में घुल रहे हैं? आप इस विधेयक को एक साल के लिए और बढ़ा रहे हैं। साधारण मजदूर, किसान और भूमीहीन श्रमिक आंसुका के अन्तर्गत जेलों में बंद हैं। ये सब बातें 'ब्लिट्ज" में निकली है। आप कह रहे हैं कि आप इसके दुरुपयोग के मामलों की छानबीन करेंगे। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के रिहा किए जाने की सिफारिश की है, और वे केन्द्रीय सरकार के आदेश की प्रतीक्षा में हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार इस बारे में कुछ करना नहीं चाहती। अतः मेरे कहने का मतलब यह है कि दुरुपयोग करना तो एक नियम बन गया है। यदि आप पुलिस अधिकारी को रिश्वत नहीं देंगे तो वह यह कहके आपको धमकी देगा कि आपको थाना ले जाया जायेगा और आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया जायेगा। यदि आप तिरंगा झण्डा नहीं फहरायेंगे, तो आपको आंसुका के अन्तर्गत जेल में बन्द कर दिया जायेगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। मैं हाल ही में कानपुर गया था। मैंने वहां देखा कि वहां भी ऐसा ही हो रहा था। हरेक कहता है : या तो आप कांग्रेस कोष में चंदा दें, तिरंगा झंडा फहरायें या परिणाम भुगतें" मैंने यह देखा है और मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं (**व्यवधान**)। अतः यह कहना सही नहीं है कि इस कानून का प्रयोग तोड़फोड़ कार्यों और समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये किया जा रहा है और इसीलिये इसकी अवधि आप बढ़ाना चाहते हैं। यह तो आप एक अपराध कर रहे हैं। आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि इस कठोर कानून के बिना यह सरकार नहीं चल सकती ?

अंग्रेजी शासन के समय हम लोग जेलों में रहे। अनेक कांग्रेसी जेलों में रहे। परन्तु उस समय एक नियम बनाया गया था कि नज़रबन्दी के साथ अमुक तरह का सलूक किया जायेगा। उस समय यदि नज़रबन्दी परिवार का कमाने वाला व्यक्ति होता था तो उसके परिवार को परिवार भत्ता मिलता था। अब यह सब बंद कर दिया गया है। कोई सुविधायें नहीं मिल रही हैं।

मेरी जानकारी में तीन चार मामले ऐसे हैं जिनमें जेलों में चिकित्सा सुविधा के अभाव में नज़रबंदियों की मृत्यु हो गयी है। नजरबन्दियों के समुचित इलाज़ की व्यवस्था की गारंटी होनी चाहिए। यद्यपि इसकी व्यवस्था है, तथापि इसे अमल में नहीं लाया जा रहा है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि अंग्रेजी शासन के दौरान जेलों में रहन-सहन, चिकित्सा व परिवार भत्ते सम्बन्धी जो सुविधायें मिलती थीं, उनकी गारंटी आप दें और इसकी छानबीन करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सोमवार को सदस्यों को एक घंटा और मिलेगा। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

65 वां प्रतिवेदन

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 65वें प्रतिवेदन से जो 12 अगस्त, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 65वें प्रतिवेदन से, जो 12 अगस्त, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

संविधान संशोधन विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री विभूति मिश्र के संविधान में संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक पर और विचार करने का मामला लेता हूं। इसके लिए दो घंटे नियत किये गये थे। एक घंटा समाप्त हो चुका है और एक घंटा शेष रहता है। श्री हरी सिंह अपना भाषण जारी रखें।

SHRI HARI SINGH (Khurja) : Mr. Deputy Speaker, Sir, we are discussing the Bill, introduced by the old and experienced Member of the House. There are two points in the Bill. The first is that the Minister should not hold office for more than two terms and secondly a Minister should not get a salary of more than Rs. 1500/-.

[**श्री भागवत झा आजाद** पीठासीन हुए
SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the Chair*]

But in my opinion if the Minister thinks that he can not hold the office of Minister after two terms, he will accumulate more power. He can accumulate more and more power by indulging in corrupt practices and blackmarketing.

I would like to say that the office of Minister is only for serving the people and the country. In the democracy the people are the ruler. The Minister, who will play with the interest of the people, exploit them and use his power for his own interest, will not remain in the office for a long time.

I also do not agree to the fact that every person, after becoming a Minister, will monopolise the power and misuse it. For instance Shri Rafi Ahmed Kidwai had never monopolise the power.

In a big country, like India there are several problems and it takes time to understand them. As soon as the Minister gains some experience he will be retired. So it is not good and there should not be such restrictions.

I do not like this amendment in the constitution, as the minister can misuse his power within two years and earn lakhs of rupees within this period. It is the party and party leaders who can decide about it.

Regarding second amendment I may state that it is also not good. If they draw less amount of salary, they will not work efficiently and try to earn money illegally. Though the spirit behind these amendments is good, yet they should not be passed if the country is to be strengthened. I, therefore, oppose these amendments and request Shri Bibhuti Mishra that he should withdraw it.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : Mr. Chairman Sir, I rise to support the Bill. The Bil provides that no minister should hold the office of Minister for more than two terms. I think that the underlying idea of it is to give opportunity to younger people and ensure that power is not monopolised in limited few persons. My personal opinion is that not only in the case of ministers, but in the case of members of legislatures, Rajya Sabha and Lok Sabha, the provision should be applied. The political parties should think over this issue. The time has come when the political parties and the people should think on it.

MR. CHAIRMAN : Has your party taken any decision on the issue ?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : You must have understood my point that a decision is yet to be taken by the political parties on the issue.

As regards the other point, it has also been provided in the Bill that the minister should get a salary of only one thousand and five hundred rupees. We often talk of poverty. Indeed our country is very poor and 40 per cent of the people are living below the poverty line. If we set an example of simple living, that will have a very good effect on the people. But whenever there is talk of increase in salaries of members of Parliament there is criticism that whether only some people will become priviledged to enjoy all the facilities and the masses are only doomed to lie below the poverty line. If we examine the issue in this context, the provision of the bill is very appropriate. So it is imperative that there should not be only preaching it should be adopted practically also. The salary of rupees one thousand and five hundred is enough in view of the present situation of the country. We all are trying to improve the lot of the people though the 20-point programme. If the 20-point programme is implemented in all earnestness and honestly by all concerned, I have full hope that the standard of living of the masses can be raised. We can get rid of feudalistie elements in the country and improve the lot of the people. At that time we can again think to increase the salaries and other facilities of the ministers and members of Parliament. If we adopt this approach, the people are sure to praise us and support us. There are persons in the country who still want to live a simple life. I have expressed my personal opinion in this regard.

SHRI M. C. DAGA (Pali): Mr. Chairman, The practical aspect of the lives of our political leaders definitely has its impact on the masses. If the leaders preach something and practice something else, it is bound to have repercussions. The people will raise fingers at them. Therefore the plea to reduce the salaries of ministers symbolises inner voice and this inner voice should be heard.

But the point is whether such a meagre salary is enough for a minister will you expect him to live on one meal a day ? Moreover, he will be required to pay the rental value of his furnished residence out of this meagre sum of rupees fifteen hundred. So this proposal does not seen to be based on practical aspects. In India thousands of tons of Ramayans, Quarans and Bibles have been sold and people must have read them. But who follows them ? So we would have to think from practical point of view. When India got her independence, Mahatama Gandhi was in Naokhali at that time. He was a saint and did not have any attraction for power. If the salaries of the ministers are reduced they will be put to difficulties. They would not be able to maintain themselves in big bungalows. So the proposal is not at all practicable. Therefore I will request Shri Bibhuti Mishra that he should withdraw his Bill.

SHRI B. R. SHUKLA (Baharaich) : Mr. Chairman Sir, Shri Bibhuti Mishra is famous for his originality but the aim for which he has brought the bill does not suit to the modern times and is not based on practical point of view. He says that a minister should not hold office for more than two terms as this enables them in monopolising, and misusing the power. But the ministers, who are members of the Lok Sabha and each and every member of Parliament has to go before the people for votes after every five years. It is not necessary that they may again be elected. If elected, it is not necessary, they will be given ministership. So it is not a child's play to get ministership. One has to work hard and show his abilities to get the ministership. Moreover, it is also not certain and particularly now-a-days, that a person will get two terms as minister. Moreover, a new minister will have to apprise himself with the work given to him. It is not an easy job to work with the bureacracy. Bureacracy is like horse. If its reins are made light, it will through the person at its back, headlong down. If its reins are loosened, nobody knows where and in which ditch it will throw its rider. Therefore only an experienced minister will be able to run the administration. Moreover, the salary of Rs. 1500/- is not enough at all and even the minister will be required to pay the house rent out of this sum. Is it possible ? In a Congress session held in Karachi some 40 years ago, a resolution was adopted that the ministers from the Congress party will not draw a salary of more than Rupees five hundreds. But from that period, the prices have increased very much so it is not proper to put a ceiling of rupees fifteen hundred on the salary of a minister. A minister is not expected to live on rupees fifteen hundred only we want that capable persons should become ministers and run the administration efficiently.

MR. CHAIRMAN : The time alloted for the discussion of the bill will be over at 4·35 P.M. Still four members are there who have to speak. Does the house want extension of time by one hour ?

SOME HONOURABLE MEMBERS : Yes please.

MR. CHAIRMAN : One hour is extended. Shri S. M. Banerjee.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : The proposer of the Bill seems to believe that if only the Minister is allowed to remain in office for more than two terms, he is liable to become corrupt. But I want to say that a person holding the office of a minister can become corrupt within his first term itself if he is of that termperament. So the question is that incumbents of the office of ministership should be honest person. So it will be better if a code of conduct is evolved for the members of Parliament. So I would request the proposer that he should withdraw his bill.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : मेरे विचार से यदि कोई व्यक्ति दो बार मंत्री रह चुका है तो उसे तीसरी बार भी मंत्री बनने से वंचित नहीं करना चाहिये । स्टालिन मृत्यु पर्यन्त प्रधान मंत्री बना रहा । माउत से-तुंग वृद्ध होने पर भी चैयरमैन बना हुआ है।

वास्तव में मंत्री एक नेता होता है न कि नौकरशाह। यदि उसको जनता का विश्वास प्राप्त हो तो वह मंत्री, प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति के पद पर बना रह सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसका इस पद पर बना रहना या न रहना जनता के हाथ में है। यदि सत्तारूढ़ दल यह महसूस करता है कि अमुक मंत्री अपना कार्य सुचारु ढंग से और कार्यकुशलता से चला रहा है तो दो बार मंत्री पद पर रहने के बाद भी वह मंत्री पद पर पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

यदि कोई मंत्री दस वर्ष तक भी मंत्री पद पर रहता है तो इसका अर्थ सत्ता का एकाधिकार नहीं है। आज वास्तविक शक्ति नौकरशाहों में निहित रहती है। नौकरशाह को जो अधिकार आज प्राप्त हैं वे जनता के चुने प्रतिनिधि को नहीं हैं। हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना होगा। नौकरहाश को आय और उसको मिलने वाली सुविधाओं एवं जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की आय और उनके मिलने वाली सुविधाओं में कितना अन्तर है। इस बात को सभी जानते हैं कि सरकार का सचिव ही वास्तविक शासक है। उसी के हाथ में सारी शक्ति होती हैं। उनका विदेशों में खाता होता है। जब वे विदेश जाते हैं तो उनके साथ राजाओं जैसा व्यवहार किया जाता है। वास्तव में इस पद्धति में आमूल परिवर्तन की जरूरत है।

श्री विभूति मिश्र गांधीवादी हैं। उनका विचार है कि एक मंत्री 1500 रु० के वेतन से अच्छी प्रकार अपना गुजारा कर सकता है। पर वह अच्छी तरह जानते हैं कि जिन लोगों के इस प्रकार के प्रस्तावों को अमल में लाने की कोशिश की उनका किस तरह अन्त हुआ वहां नौकरशाहों ने विद्रोह कर दिया और तथाकथित शासकों को गद्दी छोड़नी पड़ी। इलियेए उनकी धारणा सही नहीं है। वे संसद् सदस्यों की दशा से भली-भांति परिचित हैं। टेलीफोन पर ही उन्हें कितना अधिक व्यय करना पड़ता है। श्री मिश्रजी को यह समझना चाहिये कि मंत्री के हाथों में सत्ता केन्द्रित नहीं रहती। कोई भी मंत्री 1500 रु० के वेतन से गुजारा नहीं कर सकता और वह इस धन से अमीर नहीं बन जायेगा। आशा है कि मिश्र जी अपना विधेयक वापस ले लेगें।

SHRI D.N. TIWARI (Gopalganj) : In these days of rising prices no sensible person would conceive that a minister can enjoy his life with a salary of Rs. 1500/- p.m. In my opinion this is a wrong contention to restrict the salary of a minister to this amount. If you do so, naturally he will have to find some other sources to meet his requirements. I hope other Shri Mishra has no much intention. He should realise that when we were getting Rs. 500/- we demanded an increase therein. Now we are getting Rs. 1000/- p.m. plus Rs. 51/- per day during the session period. But the Minister does not get this allowance. And if his salary is restricted to Rs. 1500- only he would be drawing less than the amount we are drawing. In case Shri Mishra proposes that the Minister should also get an allowance of Rs. 51/- per day during session period plus Rs. 1500/- as salary that is right. Otherwise, I do not think he would be able to meet his daily essential needs he would be forced to indulge in corrupt practices. In view of these facts I would request him to withdraw the bill.

श्री नरेन्द्र कुमार सात्वे (बेतूल) : विधेयक के उद्देश्यों का अध्ययन करने पर श्री मिश्र जी की, जो इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य है, प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। पर यदि विधेयक के उपबन्धों पर बारीकी से विचार किया जाय तो यह समझ में नहीं आता कि इसे प्रस्तुत करने में तर्क क्या है।

विधेयक में इस बात का उपबन्ध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर दो पदावधियों से अधिक समय तक नहीं रहेगा। उद्देश्यों और कारणों के विवरण मे यह कहा गया है कि इस विधेयक को रखने का मुख्य उद्देश्य सत्ताएकाधिकार को समाप्त करना है। सारी बात इस पूर्व कल्पना पर आधारित है कि यदि एक मंत्री अपने पद पर दो पादावधियों से अधिक समय तक बना रहता है तो उसका सत्ता पर एकाधिकार हो जायेगा। कोई भी मंत्री अपने मन से मंत्री नहीं बन सकता। उसे प्रधान मंत्री द्वारा मंत्री बनाया जाता है। फिर लोकतंत्र में सत्ता कभी भी किसी मंत्री के हाथ में नहीं रहती है। सत्ता तो प्रधान मंत्री के हाथ में रहती है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और वही सत्ता पर एकाधिकार कर सकती है।

यह व्यवस्था की गई है कि एक मंत्री का वेतन 1500/- रु० निर्धारित कर दिया जाना चाहिए जिसमें उसके मकान और फर्नीचर का किराया भी शामिल है। एक मंत्री को मिलने वाले बंगले का बाजार किराया 3,000 रु० के करीब होता है। क्या फिर वह 1500 रु० वापस करेगा? यह उपबन्ध बिल्कुल बेतुका है।

मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के विधेयकों से देश में समुचे संसदीय जीवन का अच्छा प्रतिबिम्ब प्रस्तुत नहीं होता है। पहले ही देश में कुछ लोगों की धारणा है कि संसद सदस्यों को निःशुल्क टेलीफोन यात्रा आदि आदि सुविधाएं प्राप्त हैं। तथा वे जिस सीमा तक चाहें अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। यह करना उनके हाथ में है। पर वे यह महसूस नहीं करते कि जो लोग निर्वाचित होकर आते हैं उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। सादाजीवन और उच्च विचार ही जीवन का धेय होना चाहिए पर यह तभी सम्भव हो जबकि विश्व के सभी व्यक्ति महात्मा गांधी की तरह जीवन व्यतीत करें। आज के इस युग में यह सम्भव नहीं है। एक निर्वाचित सदस्य के लिए अपनी इस अन्य आय में दो स्थानों पर रिहाइश की व्यवस्था करना बहुत कठिन है, इस प्रकार का विधेयक संसदीय जीवन का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता। इस लिए मैं अनुरोध करूंगा कि विधेयक वापस ले लिया जाये।

SHRI K. M. MADHUKAR (Kasaria) : It is true that our Constitution provides for the supermacy of the people. But what is the reality ? The reality is that capitalist like Tatas and Birlas are supreme and ruling the country. I would have appreciated if Shri Mishra had brought a bill for curbing the monopoly of capitalists. It is rediculous to say that a person should be Minister only for two terms, when I.C.S. and I.A.S. beaurocrates can remain in power for 25 years. We should be practical. How can a person holding the post of a Minister can do with a salary of Rs. 1500/- p.m. ?

A leader is not an ordinary man. He has some virtues and because of there virtues he had his party and the masses. He enjoys the confidence of the people. There is no justification in restricting the term of Ministership for two terms only. The provision of the Bill are based on idealism and they are far from reality and practicability. The mover of the Bill appears to have no knowledge of deplomacy and the situation prevailing in the country. The time has changed and the bill should be viewed in the context of this changed time. This bill is impracticable and does not touch the hand realities of life. It is only a damagogy. It is simply waste of time of parliament to discuss the provision of this Bill. It is a futile exercise.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (डा० वी० ए० सैय्द मोहम्मद): श्री विभूति मिश्र ने संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है । पहले भाग में उन्होंने यह प्रस्ताव किया है कि कोई भी मंत्री दो वर्ष से अधिक समय तक मंत्री नहीं बना रहेगा। दूसरे भाग में वह मंत्री का वेतन कम कर 1,500 रुपये करना चाहते हैं। श्री विभूति मिश्र संसद् में और-संसद् के बाहर बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं। अनुभव पर आधारित उनके सुझाव की हम इज्जत करते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने जोरदार तर्कों में विधेयक का विरोध किया है । अतः मैं विस्तार से कहना नहीं चाहता हूं।

पहले भाग में मंत्री का कार्यकाल अधिक से अधिक दो वर्ष रखने का कारण यह प्रतीत होता है कि यदि मंत्री दो अवधियों तक बना रह तो वह शक्ति पर एकाधिकार कर लेता है। लम्बे समय तक पद पर बने रहने से उसकी कुछ प्रवृत्तियां हो जाती हैं जो मंत्री पद के लिए उचित नहीं हैं। लेकिन यह भी खतरा है कि यदि कार्यकाल निश्चित किया जाता है तो उसे यह अच्छी तरह मालूम होता है कि उसे कब पद छोड़ना है अतः कार्यकाल के अन्त में जब उसे यह मालूम होता है कि इसके बाद कभी भी फिर वह उस पद पर वापस नहीं आयेगा तो वह क्या कुछ नहीं कर सकता है और इस व्यवस्था का अच्छा परिणाम नहीं होगा.।

यह विचार अमेरिका से लिया गया प्रतीत होता है जहां राष्ट्रपति रूजवेल्ट के चौथी बार चुने जाने के बाद यह व्यवस्था की गई कि कोई भी राष्ट्रपति दो बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इसके लिए जो कारण पुस्तकों और अनुच्छेदों में दिये गये हैं वह यह है कि अमेरिका में मंत्री ससद् के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। सार्वजनिक पद राष्ट्रपति की इच्छा पर चलते हैं। अतः लोगों ने सोचा यदि राष्ट्रपति का दो अवधियों से अधिक समय के लिए निर्वाचन किया गया तो इससे सारी व्यवस्था खराब होगी और यह देश के हित में नहीं होगा। लेकिन हमारी शासन प्रणाली बिल्कुल भिन्न है। हमारे देश में संसदीय प्रजातंत्र है जिसमें जनता के प्रतिनिधियों की प्रधान मंत्री में आस्था होती है।

प्रधान मंत्री सुविवेक से मंत्रियों का चयन करता है अथवा करती है और मंत्री स्वयं भी संसद् के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमारा शासन तंत्र भी बिल्कुल भिन्न है। हमारे यहां यह मंत्री पर निर्भर नहीं करता किन्तु प्रधान मंत्री पर निर्भर करता है कि वह कब तक रहगा। सभी प्रजातन्त्रों में इसी प्रकार की व्यवस्था है। चुनावों में भी प्रधान मंत्री के ही व्यक्तित्व पर सफलता और असफलता निर्भर करती है यही कारण है कि प्रधान मंत्री शक्तिशाली हो गये हैं। मैं इस पर अधिक विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं किन्तु जैसा कि अनुभव रहा है यह शर्त कि मंत्री को दो वर्ष से अधिक अपने पद पर नहीं बना रहना चाहिए, उचित एवं आवश्यक नहीं है।

जहां तक वेतन का सम्बन्ध है और मंत्रियों के वेतन पर भी सीमा लगाने का प्रस्ताव है में श्री मिश्र जी के ध्यान में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं। भारत सरकार के 1947 के अस्थायी संविधान आदेश के अनुसार गवर्नर-जनरल की एक्जीक्यूटिव काउन्सिल के सदस्यों का वेतन 5,500 रु० तथा 3,320 रु० व्यय सम्बन्धी भत्ता स्वीकृत किया गया था जो कुल मिलाकर 8,900 रुपये प्रति माह बैठता है। यह राशि मुद्रास्फीति और बढ़ते हुए मूल्यों को

देखते हुए यह 24,000 रु० अथवा 25,000 रु० होती है। 1947 में यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री को 3,000 रु० प्रतिमाह वेतन तथा 500 रु० व्यय सम्बन्धी भत्ता मिलेगा। 1947 के मंत्रियों के वेतन अधिनियम, 1947 में यह व्यवस्था की गई कि राज्य मंत्री को 3,000 रु० तथा उप मंत्री को 2,000 रु० प्रति माह वेतन दिया जायेगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952 के अनुसार राज्य मंत्री को 2,250 रु० प्रतिमाह तथा उपमंत्री को 1,750 रु० प्रति माह स्वीकृत किया गया तथा निशुल्क मकान और अन्य सुविधाएं भी दी गईं। इसके बाद कोई वृद्धि नहीं की गई।

मंत्रियों के रिहायशी नियमों, 1962 के अनुसार मंत्रिमंडल के मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों को एफ० आर० 45 क के अन्तर्गत ऐसा मकान दिया जायेगा जिसका स्टेण्डर्ड किराया 650 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगा। उपमंत्रियों के मामले में 350 रु० प्रतिमाह किराए की सीमा रखी गई है। मंत्रियों की रिहाइश के सम्बन्ध में बने नियमों के अनुसार मंत्रिमंडल के नियमों तथा राज्य के मंत्रियों के बंगले में 38,500 रुपये के मूल्य से अधिक मूल्य का फर्नीचर अथवा बिजली के उपकरण नहीं लगाये जाएंगे और इनका कोई किराया वसूल नहीं किया जायेगा। उपमंत्रियों के मामले में यह सीमा 22,500 रुपये की है। राज्य मंत्रियों तथा केबिनेट मंत्रियों के मामले में फर्नीचर का किराया जिसमें बिजली के उपकरण शामिल हैं औसतन 622 रुपये प्रतिमाह पड़ता है। उपमंत्रियों के मामले में 374 रुपये हैं।

यदि मकान तथा फर्नीचर और बिजली उपकरणों की दरों को ध्यान में रखा जाए तो विधेयक में प्रभावित वेतन अर्थात् 1,500 रुपये प्रतिमाह और भी कम हो जायेगा मंत्रिमण्डल के मंत्रियों को इस हिसाब से 1,272 रुपये अर्थात् 650 रु० जमा 622 रुपये और उप-मंत्रियों को 350 रुपये जमा 374 अर्थात् 724 रुपये मिलेंगे और ऐसी परिस्थिति में मंत्री के लिए गुजारा करना बहुत कठिन हो जाएगा।

अतः मैं मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने विधेयक को वापस लें।

SHRI BIBHUTI MISHRA (Motihari) : Mr. Chairman, Sir, there are people in the country whose monthly income is Rs. 40/-. How he leads his life ? He gives vote to us. He has no shoe to wear. We forget it as we have come here in this position. We have held this office. It is not a fallacy but it is a fact. We should praise for Smt. Indira Gandhi who has improved the situation by proclaiming Emergency. In a country which has a large population of poor people, those, who have the heirs of administration in their hands, should lead a life of austerity and renunciation. We belong to a country of saints and seers.

The object of this Bill is to check concentration of power. If a person remains in power for a long period, he is likely to become power thirsty and he will noble all efforts to cling to power. Power is concentrated in Minister and not in a Member.

The Bill does not propose any restriction on facilities of Ministers required for their efficient functioning. All facilities and amenities should be given to Ministers for discharging their duties efficiently. But so far as personal life of Ministers is concerned. they should live like common people of our country.

The Minister has given a suitable reply. He has asked me to withdraw this Bill. So, as a disciplined soldier of Congress Party I seek leave of the House to withdraw the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is : "Leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Constitution of India".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

Motion was adopted.

SHRI BIBHUTI MISHRA : Mr. Chairman, Sir, I withdraw my Bill.

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि मुझे इस विधेयक को पेश करने के लिए मौका मिल सका। मैंने यह विधेयक 1971 में पेश किया था और आज भी मुझे आशंका थी कि मुझे इसे पेश करने का मौका नहीं मिल सकेगा।

1956 के कम्पनी अधिनियम, में संशोधन करने वाले इस विधेयक का उद्देश्य लेखा-परीक्षा के वर्तमान उपबन्धों को प्रभावी तथा युक्तिसंगत बनाकर उन कारणों को दूर करना है जिससे लेखा-परीक्षा क्षेत्र में एकाधिकार जमा लेने की घातक प्रक्रिया को जन्म मिलता है तथा कानून का दुरुपयोग होता है। जब 1971 में यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था, तब सरकार ने लेखा-परीक्षा के क्षेत्र में एकाधिकार के ऊपर कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता महसूस की थी और सरकार ने 1974 में एक संशोधन किया था जिसके आधार पर अधिक से अधिक 20 कम्पनियों के लेखा-परीक्षा की सीमा रखी गयी थी। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा सुधार था, परन्तु मेरा विधेयक इससे भी आगे है। अतः सरकार को लेखा-परीक्षा की सामाजिक धारणा को ध्यान में रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब कि सरकार पुनः विचार करे कि जहां तक इन लेखा-परीक्षा के कार्य का सम्बन्ध है, इसका अधिक फैलाव किया जाना चाहिए।

कुछ चार्टर्ड लेखाकारों ने कुछ वर्षों पहले प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि लेखापरीक्षा की धारणा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अतः इन लेखाकारों को अधिकाधिक अवसर दिये जायें और उन्हें विभिन्न कम्पनियों की लेखापरीक्षा करने की अनुमति दी जाये।

कुछ समय पहले सर्वेक्षण करने पर इस बात का पता चला कि बागान उद्योग में 64 प्रतिशत आस्तियों की लेखा परीक्षा 3 फर्में करती हैं और 80 प्रतिशत आस्तियों की लेखा परीक्षा 6 फर्में करती हैं। चीनी उद्योग में सभी कम्पनियों की कुछ आस्तियों की 67

प्रतिशत आस्तियों की लेखा परीक्षा केवल 15 फर्में करती हैं। कपड़ा उद्योग में 73 प्रतिशत आस्तियों की लेखापरीक्षा 19 फर्में करती हैं। परिवहन उद्योग में 67 प्रतिशत आतिस्यों की लेखा परीक्षा 9 फर्में करती हैं। इस तरह सभी कम्पनियों की 69.40 प्रतिशत आस्तियों की लेखा परीक्षा 17 फर्में करती हैं। 11.16 प्रतिशत आस्तियों की लेखापरीक्षा अन्य 19 लेखापरीक्षा फर्में करती हैं। सभी कम्पनयिों को शेष 19.45 प्रतिशत आस्तियों की लेखा परीक्षा शेष बाफी संख्या में लेखापरीक्षा फर्में करती हैं। दूसरे शब्दों में सभी कम्पनियों की 70 प्रतिशत आस्तियों की लेखापरीक्षा में केवल 17 लेखा परीक्षा फर्मों के विशेषज्ञ (अथवा 107 चार्टर्ड लेखाकार) लगे हुए हैं, जब कि शेष 7964 चार्टर्ड लेखाकारों की सेवाओं का उपयोग 30 प्रतिशत आस्तियों का लेखापरीक्षा के लिए किया गया जाता है। इस प्रकार 7,964 चार्टर्ड लेखाकारों की प्रतिभा अप्रयुक्त रहती है।

जिन अधिकांश लेखा परीक्षा फर्मों का इस क्षेत्र में एकाधिकार है, महानगरों में हैं। अतः सभा और सरकार के विचारार्थ में निम्नलिखित सुझाव देता हूं :

1. उन निगमित निकायों की संख्या की सीमा निर्धारित की जाये जिनके लेखे की लेखापरीक्षा एक फर्म करे। सरकार ने इसकी संख्या 20 निर्धारित की है परन्तु यह बहुत अधिक है। अतः यह संख्या 5 ही होनी चाहिये।
2. सरकारी कम्पनियों की आत्मनिर्भरता इकाइयों की विभिन्न शाखाओं के लिए भिन्न भिन्न लेखापरीक्षक नियुक्त किये जायें।
3. 15 वर्ष के भीतर एक ही सरकारी कम्पनियों इसकी शाखाओं अथवा इकाइयों के लिए लगातार तीन बार से अधिक एक ही लेखापरीक्षा की नियुक्ति नहीं होगी।
4. प्रत्येक तीन वर्षों की लेखा परीक्षा के पश्चात् कम्पिनयों को अपने लेखा परीक्षक अनियवार्य रूप से बदलने होंगे।
5. लेखा परीक्षक की नियुक्ति उससे अपने नाम होनी चाहिये न कि कम्पनी के नाम से।
6. एक ही व्यवसायिक गृह में लेखा परीक्षा दो बार ही लेखा परीक्षण करेगा। चार्टर्ड अकांउटेंट्स आफ इंडिया संस्थान में सराकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति हैं आपको जान कर आश्चार्य होगा कि वर्तमान सरकारी मनोनीत व्यक्ति बड़े बड़े एकाधिकार, गृहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करे और यह सुनिश्चित करें कि सरकारी मनोनीत व्यक्ति इनका प्रतिनिधित्व न करके देश के हित को देखे।

अगर आप कम्पनियों की लेखा परीक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह किस प्रकार का लेखा परीक्षण करते हैं। वह केवल लेखों की जांच करते हैं और पास कर देते हैं। एक सर्वेक्षण में यह पता चला था कि 1970 में 501 कम्पनयिों ने लेखा परीक्षकों को 65.7 करोड़ रुपये दिये तथा साथ ही 27.6 करोड़ रुपये लेखा परीक्षाओं की "अन्य सेवाओं" के लिये दिये गये। यह अन्य सेवायें क्या थीं? यह काले धन को सफेद

धन में परिवर्तित करने की चाल थी। शेयर होल्डरों ने भी शिकायत की है कि इन लेखा परीक्षकों को इतना अधिक वेतन क्यों दिया जाता है मैं तो यह कहना चाहूंगा कि लेखा परीक्षण कार्य का राष्ट्रीयकरण क्यों न कर दिया जाये? अगर हम ऐसा कर देंगे तो अधिकांश तस्करी, कालाबाजारी तथा मूल्य वृद्धि रुक जायेगी। जीवन बीमा निगम की देश भर में 600 से अधिक शाखायें हैं। यह कैसे है कि इन सभी शाखाओं का लेखा परीक्षण कार्य केवल 12 लेखा परीक्षाओं द्वारा किया जाता है।

मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि वह यह विधेयक लाये हैं। इसका मेरे व्यवसाय से सम्बन्ध है। उन्होंने अत्यन्त रुचिकर अध्ययन किया है। किन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में और बहुत कुछ कहना शेष है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं देश भर के सरकारी क्षेत्र के एककों में गया हूं और मैंने पाया है कि इनकी शाखाएं सब स्थानों पर हैं। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि लेखा परीक्षण से व्यर्थ के व्यय और अनियमितताओं में कमी आये, तथा करापवंचन में भी कमी आये। उन्हें उत्पादन के सभी पहलुओं पर विचार करना होगा और निवेश के औचित्य पर भी ध्यान देना होगा। यह लेखा परीक्षाओं के लिये नये उद्देश्य है। इन पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मेरा विचार है कि आपातस्थिति से जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुशासन की भावना आई है अतः कम्पनियों की गतिविधियों की पूरी जांच होनी ही चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार कम्पनी अधिनियम में नये परिवर्तन लायेगी और लेखा परीक्षाओं का एकाधिकार समाप्त करेगी। अगर वह लेखा परीक्षण कार्य का राष्ट्रीयकरण कर दे तो यह अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि : "कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैं श्री पाणिग्रही द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। मैंने एक बार पहले भी लेखा परीक्षण कार्य के राष्ट्रीयकरण की मांग उठाई थी। हममें से अधिकांश को चार्टर्ड एकान्टेन्ट्स एसोशियेशन द्वारा जारी किया गया ज्ञापन प्राप्त हुआ है इस ऐसोसियेशन की लेखाकारों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। मैंने कलकत्ता में चार्टर्ड लेखाकारों से बातचीत की है। उनका कहना है कि उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है क्योंकि अधिकतर काम कुछ ही लेखा परीक्षा फर्मों द्वारा हथिया लिया जाता है और इस प्रकार उनका एकाधिकार बना हुआ है यद्यपि सरकार ने एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, पारित कर दिया है फिर भी इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं रख सकी क्योंकि उनकी एकाधिकार प्राप्त गृहों से मिली भगत है।

ये बड़े बड़े लेखा परीक्षा गृह बड़े एकाधिकार प्राप्त गृहों को सहायता दे रहे हैं। वे सांठ गांठ में उनके साथ हैं। चार्टर्ड एकाउन्टेट्न्स एसोसियेशन द्वारा जारी किये गये ज्ञापन में इसे भी शामिल किया गया है। ज्ञापन में यह कहा गया है कि कुछ अधिकारी गोल माल में लेखा परीक्षा गृहों के साथ शामिल हैं। इसकी पूरी जांच की जानी चाहिये।

हमने कोयले का और जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया है। पिछले दस वर्षों में जीवन बीमा निगम एक बहुत बड़ा संगठन बन गया है। किन्तु इन उद्योगों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भी केवल कुछ गृह ही समुचा लेखा परीक्षण कार्य कर रहे हैं। अतः इस समस्या का सही हल राष्ट्रीयकरण है। इस सुझाव को लागू करने में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। सरकार इसकी जांच करे और सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

SHRI M. C. DAGA (Pali) : Mr. Chairman Sir, it is a well known fact that some auditing units have monopoly over all the big monopoly houses. As a result of this, these monopoly houses find no difficulty in generating black money and indulging in illegal malpractices becauses these auditing houses provide them legal protection.

These monopoly houses would not like to leave these auditing houses because they know all their secret matters.

MR. CHAIRMAN : Mr. Daga, you please continue your speech next time.

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार 16 अगस्त 1976/25 श्रावण 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, August 16, 1976/Sravana 25, 1898 (Saka)

M 640 LSS/76 —200—13-10-76—GIPF.